खण्ड–2, अंक–7
शुक्रवार, 21 बैशाख, शक संवत् 1923
(11 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2001)

(खण्ड 2 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2002

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	क
भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल के निधन पर शोकोद्गार	1–4
प्रश्नोत्तर	4–19
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	19
आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना	19
राजाजी नेशनल पार्क का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना	19
जनपद हरिद्वार को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दृष्टि से पौड़ी से पुनः देहरादून सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना	20
कार्यवाही की असंशोधित प्रति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	20–21
विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र में दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	21–24
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं	24–35
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन), विधेयक–2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	35
विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों के नाम निर्देशन का अधिकार माननीय अध्यक्ष को, दिये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	35
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (पुरःस्थापित) ...	36
बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश द्वारा प्रस्तुत संकल्प ..... (अस्वीकृत)	36–42
उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के जातिगत प्रतिशत के आधार पर हो के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प ..... (संकल्प वापस)...	42–46

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र से सटे क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प ..... (अस्वीकृत)	46–52
उत्तरांचल में पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में ..... (संकल्प वापस)	52–61
सरकारी प्रतिभूतियों व सम्बन्धित प्रासंगिक मामलों को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए सदन को शक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प .... (स्वीकृत)	61–62
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) को इस राज्य में अंगीकृत किये के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प ..... (स्वीकृत)	62–65
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (पारित)	65–66
जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त क्षेत्र मुनस्यारी तथा धारचूला को जनजाति क्षेत्र घोषित करके उस क्षेत्र के निवासियों को समान रूप से सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव ..... (वापस लिया गया) ...	66–75
सहकारी बैंकों के त्रिस्तरीय ढांचे को बदलने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान का नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव .... (वापस लिया गया)	75–88
उत्तरांचल राज्य में ठाकुरद्वारा से हजारों गांव राजस्व ग्राम न होने के सम्बन्ध में श्री ईसम सिंह द्वारा 04 मई, 2001 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत वित्त मंत्री का केवल वक्तव्य ...	88
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाऐं	89

उत्तरांचल विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 मई, 2001

निम्नांकित माननीय सदस्य उपस्थित रहे :-

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अम्बरीष कुमार
3. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4. श्री ईसम सिंह
5. श्री केदार सिंह फोनिया
6. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7. श्री काजी मो0 मोइउद्दीन
8. श्री के0 सी0 सिंह बाबा
9. श्री तिलक राज सिंह बेहड़
10. श्री तीरथ सिंह रावत
11. श्री नारायण सिंह राणा
12. श्री नारायण राम दास
13. श्री नित्यानन्द स्वामी
14. श्रीमती निरुपमा गौड़
15. श्री बिशन सिंह चुफाल
16. श्री भगत सिंह कोश्यारी
17. श्री भारत सिंह रावत
18. श्री मातबर सिंह कण्डारी
19. श्री मुन्ना सिंह चौहान
20. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
21. श्री रघुनाथ सिंह चौहान
22. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
23. श्री राजेन्द्र सिंह
24. श्री राम सिंह सैनी
25. श्री लाखी राम जोशी
26. श्री बंशीधर भगत
27. श्री सुरेश चन्द्र आर्य
28. श्री हरबंस कपूर
29. श्री ज्ञान चन्द

शुक्रवार, दिनांक 11 मई, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के निधन पर शोकोद्‌गार

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ सदन को अवगत कराना है कि इस देश के महानतम कृषक नेता चौधरी देवीलाल जी का निधन अभी कुछ समय पूर्व हुआ। चौधरी देवीलाल जी के जीवन का इतिहास बहुत लम्बा है। परन्तु जिस तरह से हम उनको याद करते हैं वे इस देश के एक किसान पुत्र थे। जैसे चौधरी चरण सिंह जी, उसी तरह से उनका नाम लिया जाता है। हरियाणा में वे चौधरी तेजपाल जी के सुपुत्र थे। उनका ग्राम चौटाला और जिला सिरसा था। 25 सितम्बर, 1914 को श्रीमती धापा के साथ उनका विवाह हुआ। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आपने मैट्रिक तक और आगे कई विषयों में अध्ययन किया। अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और पंजाबी पर उनका आधिपत्य था। दलित वर्ग की सेवा के लिए हमेशा लगे रहते थे। राजनीति में वो एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और एक बार हम लोगों के सौभाग्य से वो इस देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। युवावस्था में वे कुश्ती के शौकीन थे और पुस्तकें आदि पढ़ना उनका शौक था। मान्यवर, चौधरी देवीलाल जी को जब हम स्मरण करते हैं तो उनके साथ 2–3 चीजें जुड़ी हैं, उनका निर्मल चरित्र, उनकी दबंग वाणी और कार्य करने का उनका अजीब तरीका, जिसके अन्दर उनकी सादगी हमेशा झलकती थी। मान्यवर, एक बार मुझे उनके घर जाने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा कि एक खाली चारपाई, जिसके ऊपर कोई बिछौना नहीं था, वे बैठे थे और 4–5 लोग उनके चारों तरफ बैठे हुए थे। मैंने पहले तो सोचा कि मैं पहचानूँ कि इनमें से कौन से चौधरी साहब हैं, लेकिन फिर ज्यादा देर नहीं लगी, उन्हें पहचान लिया और उन्होंने इतने प्यार से मुझे अपने पास बैठाया कि उन क्षणों को मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। उन्होंने सदैव जीवन के अन्दर सादगी रखी। उस समय 4–5 भैंसे वहां पली थी, उसी कोठी के अन्दर खड़ी थी और एक ऐसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि आप किसी पद पर चले जाइए, आपको अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए। .....

मान्यवर, उन्होंने कभी अपनी जमीन नहीं भूली और आज हमें कष्ट है कि वे हमारे बीच नहीं हैं। उनकी अस्थियां हरिद्वार आई थीं। मैं वहां पर उपस्थित था। राज्यपाल जी भी उपस्थित थे। चौटाला जी ने आकर मुझे धन्यवाद दिया। मान्यवर, मैं सरकार की ओर से और उत्तरांचल राज्य की ओर से अपना दुख प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वे कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में थे। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। जब पंजाब और हरियाणा एक थे। वहां की विधान सभा के लिए वे निर्वाचित हुए। विभिन्न पदों पर रहते

हुए कांग्रेस में उन्होंने आजादी के लिए अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया। सन् 74 के बाद वे कांग्रेस से अलग हुए। उस समय वे किसानों के मुद्दों के लिए संघर्षरत थे। वे किसानों के लोकप्रिय नेता के रूप में सारे देश में जाने जाते थे। किसानों से सम्बन्धित कोई मुद्दा आता सदन के अन्दर या सदन के बाहर वे उसके लिए सदैव संघर्षरत रहे। किसानों में वे आज भी लोकप्रिय हैं। मान्यवर, सादगी उनमें इतनी थी कि जब वे उप प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री पद के लिए स्वतः ही अपने आपको उस चयन से, अलग कर लिया ताकि कोई विवाद पैदा न हो। इन्हीं खूबियों की वजह से वे उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उनका भारी सम्मान क्षेत्र में था। हरियाणा की जो संस्कृति है वह उनके घर में चित्रित होती थी। हरियाणा के विकास में चौधरी देवीलाल जी की अपनी सोच रही। मैं दिवंगत नेता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

काजी मो० मोइउद्दीन–

मान्यवर, नेता सदन ने जो अपने विचार व्यक्त किये उससे मैं अपने को जोड़ता हूँ। चौधरी देवीलाल एक जाने–माने किसान नेता केवल हरियाणा के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के थे। यह सही है कि चौधरी चरण सिंह की तरह जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच कर भी अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ा जैसे चारपाई की बात। बिरादरी से वे जाट थे तो थोड़ा बहुत असर उसका भी उनमें था। जब वे उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो 'उप', ऊपर की लाईन में लिखा था। इत्तफाक से उन्होंने प्रधानमंत्री पढ़ दिया। किसी ने कहा आपने उप नहीं कहा, प्रधानमंत्री कहा था उन्होंने कहा चुप बे; जो कह दिया, सो कह दिया। जब वे संसद के सदस्य नहीं रहे और हरियाणा असेम्बली के सदस्य भी नहीं रहे तो किसी ने पूछा कि आप न संसद में हैं न विधान सभा में अब आप कहाँ रहेंगे, उन्होंने कहा अब मैं जनसभा में रहूँगा। .....

..... मान्यवर, हमारे तो वे नेता थे पार्टी में भी हम साथ रहे कभी–कभी बहुत छोटा होने के बावजूद उनको चुटकुले सुनाया करता था खासतौर से जाटों के, तो वे कहते थे तेरे कान पकड़ करके चौड़े कर दूँगा, चरण सिंह ने तेरा दिमाग खराब कर रखा है, ऐ लड़के। वे बड़े प्यार और मौहब्बत से मिलते थे जब उनके निधन का समाचार मिला, हम सब लोगों को बड़ा दुःख हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपना बुजुर्ग इस दुनिया से उठ गया है, परिवार का एक जानामाना सदस्य उठ गया है। मैं आभारी हूँ माननीय नेता सदन का कि उन्होंने इतना कष्ट किया, मा० मंत्रीगण का भी। मा० मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ गये और हरिद्वार में उनका अन्तिम संस्कार किया। मैं बहुत दुःखी हूँ और मेरा दुःख हम सब लोगों की तरफ से उन तक पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी देवीलाल जिनके कार्यकलाप केवल हरियाणा, पंजाब तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कीर्तिमान स्थापित किया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वे हाई स्कूल के स्टूडेन्ट थे उन्होंने अपनी पढ़ाई महात्मा गांधी जी के आह्वान पर छोड़ दी, इस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और आने वाली पीढ़ी उनके जो कार्य रहे हैं, जिस तरह अदम्य साहस रहा, उससे प्रेरणा लेती रहेगी। मान्यवर, उनका राजनीतिक जीवन बड़ा लम्बा

रहा है, वह जिला बोर्ड के सदस्य 1948 से 54 तक रहे और पंजाब के एसेम्बली के सदस्य रहे, उप प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए जितनी ईमानदारी, कर्मठता, लग्नशीलता का परिचय दिया, मान्यवर, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, इस प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में बहुत ही कम होते हैं और उनके निधन से मैं समझता हूँ हरियाणा, पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तरांचल और पूरा भारत एक तरह से दुःख महसूस कर रहा है और उनके जाने से हम लोगों को क्षति हुई है। सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे महापुरुष के प्रति हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि ये संवेदना संदेश उनके परिवारजनों तक पहुँचाने का कष्ट करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय देवीलाल जी के जो आदर्श हैं, वे हमारे लिये धरोहर हैं, उन्होंने राजनीति में स्वच्छ छवि बनाकर जिस तरह से किसानों के लिए संघर्ष किया, चौधरी चरण सिंह ने किया, वह सब हम लोगों के लिये प्रेरणा है। इस प्रकार उन लोगों के लिये जो खेती और खलिहान में काम करते हैं जिनका आज भी जीवन स्तर बहुत नीचे है हम उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता बहुजन समाजवादी पार्टी और माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं उससे अपने आप को शोक संवेदना व्यक्त करते हुये मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। श्रीमन्, चौधरी देवीलाल जी इस देश के उन अग्रणी नेताओं में से थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम को बहुत करीबी से देखा, वे 1930 में राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी के आह्वान पर अपनी शिक्षा छोड़कर के देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। मुझ जैसे कम उम्र के व्यक्ति को भी यह गौरव हासिल हुआ कि मुझे दो बार उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला। वर्ष 1989 के अन्तर्गत, जब एक दौर था, देश के अन्दर राजनीतिक परिस्थितियां बदल करके और देश के अन्दर एक धुवीकरण हुआ, 1989 के अन्दर जब जनता दल के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और वह ताकत के रूप में उभरकर आये तो उस दौरान उस गठबन्धन के अन्दर चौधरी देवीलाल एक केन्द्र बिन्दु थे और उसी दौर में दिल्ली में, हरियाणा भवन में मुझे भी उनके दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसके बाद पुनः दिल्ली के अन्दर ही आज वह नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री शरद यादव जी के आवास पर मुझे पुनः चौधरी देवीलाल जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रीमन्, कहावत तो सुनी थी कि सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन वास्तव में चौधरी देवीलाल जी को देखकर के यह लगा कि यह कहावत हकीकत में चरितार्थ होते दिखी। अभी काजी साहब ने, माननीय नेता सदन ने उनके जो गुण थे स्पष्टवादिता, स्पष्ट सोच, निर्भीकता उसके बारे में कहा, श्रीमन्, जब देश के अन्दर राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक जो प्रावधान आये उसकी कभी–कभी नजर दौड़ती है। मान्यवर, तो यह बात सामने निकलकर आती है, कभी–कभी चौधरी देवीलाल जी की जो बेबाक बात करने का तरीका था अपने विचारों को व्यक्त करने का, उसकी वजह से कभी–कभी देश के अन्दर कुछ मुद्दों पर विवाद की स्थिति पैदा हुई। मुझे याद है आज भी, जब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तरक्की की बात की बहुत प्रमुखता से, सरकार में रहते हुए, उप प्रधानमंत्री रहते

हुये कही, तो देश के अन्दर इस रूप में चर्चा आई थी कि शायद यह शहरी क्षेत्रों के विरुद्ध कह रहे हैं, ऐसा उनका कदाचित मकसद नहीं था, लेकिन वह ईमानदार थे, जिस बात को कहते थे मन से वह दोहरापन नहीं था कि राजनीतिक कारणों से कहीं कुछ करें। उनका एक दर्द था कि ग्रामीण क्षेत्रों में धन का अधिक से अधिक हिस्सा जाना चाहिए और सम्भवतः ये उस दौर की परिणति है कि देश के अन्दर एक स्थिति बनी, एक विचार बने कि प्रदेश के स्तर पर बजट का कम से कम 60 फीसदी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च हो, यह एक उस दौर की उपलब्धि थी और उसका उन्होंने खामियाजा भुगता। मैं पुनः कह रहा हूँ कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को गौरव प्राप्त हुआ कि उस दौर में प्रधानमंत्री बने आदरणीय वी0पी0 सिंह जी, उनसे भी बहुत करीबी से सम्पर्क में रहने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने अपनी बेबाक बात करने का उन्होंने उसको धारण नहीं किया और अपनी जो नेचुरल आदत थी उससे उन्होंने समझौता नहीं किया उसको उन्होंने जारी रखा, उसकी उन्होंने कीमत चुकाई।

मान्यवर, उसी की परिणति थी कि जिन वी0पी0 सिंह के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर अपना नाम पीछे हटाकर उनको प्रधानमंत्री प्रपोज किया लेकिन उन्हीं के कैबिनेट से उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में बर्खास्त किया गया। मान्यवर, चौधरी देवीलाल के निधन के साथ मैं समझता हूँ कि इस देश के खेत–खलिहान की बात करने वाले लोगों का एक युग समाप्त हो गया। आज इतने महान नेता के निधन पर हम सभी दुःखी हैं और श्रीमन्, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी की शोक संवेदना उनके परिजनों तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी देवीलाल जी के निधन पर माननीय नेता सदन द्वारा रखे गये इस शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता समाजवादी पार्टी तथा माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो अपनी भावनाएं रखी हैं, चौधरी देवीलाल जी जो जीवन्त जीवन जीने के बाद 87 वर्ष की उम्र में दलित, शोषित, वंचित तथा विशेष तौर पर किसान समुदाय के हितों के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मैं इस सम्पूर्ण सदन की ओर से आपके श्रद्धा सुमनों को माननीय चौधरी देवीलाल जी के परिजनों तक पहुँचाऊँगा तथा उनके शोक संतप्त परिवार तक आपकी तरफ से सांत्वना पहुँचाऊँगा।

(सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

आई0टी0आई0 संस्थानों के प्रधानाचार्यों को सम्बन्धन प्राप्त व्यवसायों में प्रवेश के निर्देश

*1–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि 28 फरवरी, 2001 के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सभी आई0टी0आई0 संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गये हैं कि केवल सम्बन्धन प्राप्त व्यवसायों के विद्यार्थियों को ही संस्था में प्रवेश दिया जाये?

यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उत्तरांचल में स्थित लगभग 45 आई0टी0आई0 संस्थायें इस आदेश से कुप्रभावित होंगी?

शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्रम, पर्यटन मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हाँ। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार यह व्यवस्था की गयी है।

जी हाँ।

गैर मान्यता प्राप्त व्यवसायों का भारत सरकार से स्थायी सम्बन्धन शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि भारत सरकार के इसी कागज को पढ़कर यह स्थिति पैदा हुई, लेकिन भारत सरकार ने स्थायी मान्यता इन विषयों को दी ही नहीं और ये वर्षों से चल रहे हैं। तो अचानक फिर वही पत्र आया। भारत सरकार से प्रति वर्ष यह पत्र आता था कि जिन विषयों की स्थायी मान्यता नहीं है, जो सम्बन्धित नहीं हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि ऐसे ट्रेड थे जिन पर उनसे रिक्वेस्ट कर ली जाती थी। इस वर्ष फिर आपके पास आ गया। यह प्रश्न इसीलिए पैदा हुआ। मान्यवर, ये प्रश्न स्वाभाविक है, आपके पास भी आएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, आपने तीसरे प्रश्न में उत्तर दिया कि हम ये कार्यवाही कर रहे हैं। प्रश्न है उन बच्चों का जो इन विषयों में प्रवेश ले चुके हैं और स्थायी सम्बन्धन की व्यवस्था हम अब तक नहीं कर पाये हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के स्थायी प्रबन्धन की दिशा में कोई तात्कालिक कदम उठाएंगे और जिन बच्चों ने प्रवेश ले लिया है, उनके भविष्य के बारे में क्या चिन्ता है?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, यह समस्या केवल उत्तरांचल की नहीं है। भारत वर्ष में जितने राज्य हैं, सभी की यह समस्या बन गयी है। माननीया इन्दिरा हृदयेश जी की बातों से मैं सहमत हूँ, भारत सरकार ने बार–बार प्रदेश सरकारों को आदेश दिए कि जिन विषयों में सम्बन्धन चाहते हैं, मानकों के अनुसार उनका विकास किया जाये, उनका सुधार किया जाये, भवन ठीक किस्म के रखे जायें, टूल्स एंड एक्विपमेंट्स प्रशिक्षुओं के लिए ठीक किस्म के हों, लेकिन मुझे भी इस बात का दुःख है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कतई ध्यान नहीं दिया। इत्तफाक की बात है कि भारत सरकार ने यह निर्देश जारी कर दिए कि जिन विषयों में ठीक मानक नहीं हैं, जिन्होंने अपने कार्य में सुधार नहीं किया, उनमें प्रवेश बन्द कर दें। इत्तफाक की बात है, उत्तरांचल बन गया और हमें भी यह झेलना पड़ रहा है। .....

मान्यवर, आपको खुशी होगी जानकर कि हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि हम हर ऐसे विद्यालय जहाँ पर भवन नहीं हैं, टूल्स नहीं हैं के सुधारीकरण का बजट में प्रावधान कर दिया, इसमें गुणवत्ता लायेंगे। हम भारत सरकार से आगामी 3–4 महीने के अन्दर ऐफिलियेशन (सम्बन्धन) की उम्मीद करते हैं। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का भी गठन कर रहे हैं। यदि कोई दिक्कत होगी तो हम इससे परीक्षा करा लेंगे।

उत्तरांचल से विकल्पधारी पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश भेजा जाना

*2–श्री अम्बरीष कुमार–

1. क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश विकल्पधारी पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश कब तक भेजा जायेगा? इनके जाने के फलस्वरूप रिक्त होने वाले निरीक्षक, प्रधान आरक्षी, आरक्षी के पदों पर उत्तरांचल के युवकों को भर्ती किया जायेगा? यदि हाँ, तो प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री श्री नित्यानन्द स्वामी–

1. उत्तरांचल प्रदेश के सृजन के समय 12119 पुलिसकर्मी उत्तरांचल में कार्यरत हैं, जिनमें से 6311 ने उ0प्र0 को विकल्प दिया है तथा 4490 ने उत्तरांचल का विकल्प दिया है। इस प्रकार उ0प्र0 को विकल्प देने वालों की संख्या 60 प्रतिशत के लगभग है। इन कर्मियों के अतिरिक्त उत्तरांचल बनने के समय पी0ए0सी0 में 3528 कर्मी कार्यरत हैं जिनमें से उ0प्र0 के विकल्पधारी 2066 हैं तथा उत्तरांचल के विकल्पधारियों की संख्या 1209 हैं। अतः उ0प्र0 विकल्पधारियों को एक साथ कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। तथापि यह निर्णय लिया गया है कि :–

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे विकल्पधारी जिन्हें पुलिस की भाषा में बदमुजन्ना कहा जाता है, को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त करके भेज दिया जाये तो ऐसे कर्मियों की संख्या उत्तरांचल में 150 से 220 के लगभग है। ये सभी ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके विरुद्ध हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मुकदमें चल रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से इन्हें सजा के तौर पर उत्तरांचल क्षेत्र में तैनात किया गया था। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से पहले ही शासनादेश जारी किया जा चुका है और जिसका कार्यान्वय शेष है। यह विचार है कि उत्तरांचल में पूर्व से स्वीकृत पदों की स्थिति यथासंभव यथावत् रखी जाय तथा उत्तरांचल राज्य अपेक्षाकृत शांति प्रिय स्थान को देखते हुए राजस्व पुलिस को सुसंगठित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। जहाँ आपरिहार्य न हो स्वीकृत पदों में 25 प्रतिशत की कमी करने पर विचार किया जायेगा ताकि अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना न पड़े। 25 प्रतिशत कमी को भूतपूर्व सैनिक संगठन, होमगार्ड इत्यादि से पूरा किया जायेगा।

(ख) यह सर्वमान्य है कि उत्तरांचल में लगभग 10 प्रतिशत ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी अपराधियों से सांठ–गांठ के मामले में क्रियाकलाप संदिग्ध हैं। अतः दूसरे चरण में इन संदिग्ध चरित्र वाले पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किया जाना अगले तीन माह में पूरा कर लिया जायेगा।

(ग) इस प्रकार 10 प्रतिशत रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए उचित स्क्रूटनी करके रखे जाने वाले योग्य अनुभवी तथा स्वस्थ भूतपूर्व सैनिक ऐसा कार्य सम्पादन करेंगे जिसका सम्बन्ध न आम जनता से होगा और न अपराध अन्वेषण से होगा। इसमें अधिकांश राजकीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा पर्यटकों को मार्गदर्शन करने, संवेदनशील आस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि पर तैनात किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये गये हैं।

(घ) अगले तीन साल में उत्तरांचल के विकल्पधारियों में से अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मियों की संख्या की गणना करके उ0प्र0 विकल्पधारियों में से अपेक्षाकृत कम उपयोगी कर्मियों की गिनती शामिल करते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों की भर्ती हेतु यथासमय अध्याचन भेजने हेतु पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जा रहा है।

(ङ) एक हजार पुलिस सिपाहियों की भर्ती का कार्यक्रम एक माह अन्तिम कर दिया जाने हेतु पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है, तथा उक्त व्यवस्था के पश्चात् जो उ0प्र0 के पुलिसकर्मी बचते उन्हें दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार उत्तरांचल नवयुवक पुलिस-कर्मियों का प्रशिक्षण फिलहाल उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में किये जाने का प्रावधान है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि उत्तरांचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश कब तक भेजा जायेगा? इनके जाने के फलस्वरूप रिक्त होने वाले निरीक्षक, प्रधान आरक्षी, आरक्षी के पदों पर उत्तरांचल प्रदेश के युवकों को भर्ती किया जायेगा? यदि हां तो, प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी? मान्यवर, जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि 150 से 220 के लगभग पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं है। पहले हम इन खराब चरित्र वाले लोगों को उत्तर प्रदेश भेजेंगे। मान्यवर, यदि खराब चरित्र के लोगों को उत्तर प्रदेश भेजा जायेगा तो इससे यह प्रवृत्ति बनेगी कि जो अच्छे लोग हैं वे भी यही चाहेंगे कि 1–2 मुकदमें अपने ऊपर कायम करवा कर वे भी उत्तर प्रदेश चले जायें। क्या इससे यह प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। अगर यही आधार हमने रखा कि जो दुष्ट है उनको हम उत्तर प्रदेश भेज देंगे तो जो भले लोग हैं जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं वे भी यही करेंगे कि 1–2 मुकदमें अपने ऊपर कायम करवा लें तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश भेज दिया जायेगा। मान्यवर, इससे इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, क्रमानुसार हम उनको कार्यमुक्त करेंगे। पहले उन लोगों को रखा गया है जिनके ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, जिनका चरित्र संदिग्ध है इनको भेजना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके कारण उत्तरांचल की छवि धूमिल हो रही है। जो अन्य विकल्प-धारी हैं, उनको हम धीरे–धीरे यहां से भेजेंगे। मान्यवर, 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेवाकाल में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, उनको भी हम भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में हम अपने नये पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपना ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है। .....

.....इस बीच में जो जगह खाली है उसमें हम सेना के जवानों को जो रिटायर्ड हैं अवकाश प्राप्त हैं और जो अच्छे बैलवेट हैं अभी स्वस्थ हैं, उन लोगों को उन कामों के अन्दर जो सीधा पब्लिक से जुड़ा होगा जैसे यात्रा में या कहीं चौकीदारी का काम है इन कामों में उनको लगा देंगे। यहां पर उनकी जगह पर धीरे–धीरे हम लोग भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देंगे यही एक क्रम होगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 प्रतिशत ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी अपराधियों से सांठगांठ है और अगले तीन महीने में उनको उ0प्र0 भेजने का काम पूरा हो जायेगा। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न यह है कि मा0 मुख्यमंत्री जी तीन महीने में उनका काम पूरा हो जायेगा। तीन महीने में जो रिक्तियां होंगी इसमें हम अवकाश प्राप्त सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे जो नौजवान हैं जो उत्तरांचल बनने के बाद इस उम्मीद में बैठे हैं। मान्यवर, तीन महीने का समय हमारे पास है, हम संक्षिप्त प्रशिक्षण देकर तीन महीने बाद उन 10 प्रतिशत के स्थान पर उन नौजवानों को क्या भर्ती करने का कान करेंगे?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, सही कह रहे हैं हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग है, उसके बाद वे लोग आ करके उन जगहों पर काम करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मा0 नेता सदन ने उत्तर पढ़ा इसमें श्रीमन्, उत्तरांचल प्रदेश के सृजन के समय 12119 पुलिसकर्मी उत्तरांचल में कार्यरत हैं। जिनमें से 6341 ने उ0प्र0 का विकल्प भर दिया और 4490 ने उत्तरांचल का विकल्प दिया, यदि इन दोनों को भी हम जोड़ें तो 12119 नहीं आता, इसमें एक गैप है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये बाकी पुलिसकर्मी कहां गये, मान्यवर, नम्बर–1 तो यह जानना चाहता हूं। दूसरा श्रीमन्, जो भाग–क में प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो उ0 प्र0 के ऐसे विकल्पधारी हैं जिन्हें पुलिस की भाषा में मुजान्ना कहा जाता है, उन्हें सर्वप्रथम उ0 प्र0 भेजा जायेगा। इसमें श्रीमन्, यह जानना चाहता हूँ कि जो आरोपित पुलिसकर्मी हैं, जिनके खिलाफ कुछ क्रिमिनल प्रोसिडिंग भी विधिघ भाषा में प्रारम्भ हुई या नहीं, लेकिन जिन्होंने ऐसे कृत्य किये हैं जिसके लिए उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिंग होनी चाहिए थी, तो क्या उनके विरुद्ध उत्तरांचल में रहते हुए उनके अपराधिक कृत्य के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी या नहीं? या केवल उनको कार्यमुक्त करना ही उसका आधार माना जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, अगर इस प्रकार का कोई होगा उसको दिखवा लेंगे।

गन्ना किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान

*3–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान कितना शेष है?

क्या सरकार ने भुगतान के लिये कोई सीमा तय की है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

पेराई सत्र 2000–2001 में दिनांक 15–04–2001 तक किसानों को देय कुल 36032 लाख रुपये में से 29140 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है तथा 6892 लाख रुपया शेष है, जो कुल देय का 19 प्रतिशत है।

नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए चौदह दिन की सीमा निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के पहले भाग का मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया जिसके मुताबिक लगभग 6892 लाख रुपये का गन्ना मूल्य का बकाया है जो कि आपके मुताबिक कुल देय का 19 प्रतिशत है। दूसरा जो हिस्सा था मेरे प्रश्न का, क्या सरकार ने भुगतान के लिए कोई समय सीमा तय की है। उसका मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया, नियम के अन्तर्गत न्यूनतम गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 14 दिन की समय सीमा तय है, तो क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 6892 लाख रुपये का गन्ना मूल्य का बकाया 14 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत ही है या इस 14 दिन की समय सीमा समाप्ति के बाद भी बकाया शेष है।

श्री बंशीधर भगत–

वर्तमान में जो शुगर मिल है उसने अपना ड्यू टाइम पर पेमेण्ट किया था, अन्य मिलों का भुगतान 14 दिन से अतिरिक्त है उस पर हमने सभी को निर्देश जारी कर दिये हैं, जो 14 दिन से 15 दिन लगायेगा उसको 12 प्रतिशत का ब्याज देय होगा, ऐसे आदेश हमने जारी किये हैं और इसकी समीक्षा के लिये हमने 22 तारीख को शुगर फैक्ट्री, प्राइवेट निगम और स्वीकृत क्षेत्र की सभी फैक्ट्रियों की एक समीक्षा बैठक बुला ली है, उसमें हम प्रयास करेंगे कि तत्काल भुगतान हो सके।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो इन्होंने बताया कि 6892 लाख रुपया शेष है, तो अभी जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कि यह 14 दिन की अवधि के बाहर का क्षेत्र है या 14 दिन की अवधि के बीच का क्षेत्र है, तो माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया और जिन मिलों पर बकाया है आपने निर्देश जारी कर दिये हैं 12 परसेन्ट सूद देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक निर्देश जारी होते रहे, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन कभी हुआ नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि इन किसानों का भुगतान 14 दिन की अवधि के भीतर नहीं होगा तो उनको 12 परसेन्ट का इन्ट्रेस्ट दिलवाने का कष्ट करेंगे, यह आश्वासन सदन को देंगे।

श्री बंशीधर भगत–

पहले तो मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने जो एमाउन्ट आपको बताया है वह 15 अप्रैल का बताया है, क्योंकि आपके पास 15 अप्रैल का पन्ना है, लेकिन मेरे पास उससे लेटेस्ट जो सूचना है वह 7 मई की है, उसके हिसाब से जो 68 करोड़ रुपया था, उसकी जगह पर 46 करोड़ 31 लाख रुपया देना शेष है, इसमें मैं यह मानता हूं कि 14 दिन की अवधि के बाद का भी है। अभी आपने दूसरा प्रश्न किया कि क्या ब्याज देंगे जैसा आपने स्वयं कहा कि अभी तक जो 14 दिनों में पेमेण्ट नहीं करेगा वह ब्याज देगा, इतिहास साक्षी है आप लोग भी रहे कभी आपने दिलवाया नहीं, हमने पहल की है और निर्देश दिया है कि जो 15 दिन लगायेगा वह ब्याज देगा, आज तक के इतिहास में कभी ब्याज नहीं दिया गया है, मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्री को निर्देश जारी कर दिये हैं जो निर्धारित समय तक पैसा नहीं देगा वह ब्याज देगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पेमेण्ट की एक सीमा तय की, मई और जून, जुलाई के अन्त तक हम हर किसान का पेमेण्ट दिलवायेंगे, अब उसमें जो मई में देंगे और जून में देंगे थोड़ा अन्तर आयेगा तो मैं प्रयास करूँगा कि जो जून माह में पेमेण्ट करेंगे उसका पेमेण्ट ब्याज सहित होगा।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने इस प्रकार के निर्देश जारी किये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी जो आपके निर्देश हैं उनका पालन नहीं होगा और फिर उन मिल–मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप आर० सी० कटवाइये जिस तरह किसान जेल जाता है, वह जेल जायें।

श्री बंशीधर भगत–

नियमों के हिसाब से पहले भी ऐसा होता रहा निर्देश जारी होते रहे सरकारों ने कहा है, मान्यवर, जो 14 दिन में पेमेण्ट नहीं करेगा वह ब्याज देगा और हमने भी कहा है कि 22 तारीख को समीक्षा बैठक बुलाई है सारे जी०एम० और गन्ना विभाग के अधिकारी सब को हमने बुला लिया है, हम प्रयास करेंगे कि इस पर जो देर से भुगतान करेंगे वह ब्याज सहित भुगतान करेंगे।

काजी मो० मोइउद्दीन–

मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में आपको बताकर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि, मान्यवर, किसान से गन्ना, सोसाइटीज लेती हैं और वो मिल मालिकों को दिलवाती हैं, तो माध्यम सोसाइटी बन गया, कभी ब्याज भी दिया गया है तो वह गन्ना सोसाइटीज को दे दिया गया है, किसान को नहीं मिला। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ब्याज किसानों को दिया जाएगा या सोसाइटी को दिया जाएगा?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, काजी जी की बात का मैं जवाब नहीं दे रहा हूं क्योंकि वे इस प्रश्न में पहले शामिल नहीं हैं लेकिन जो हमने बात कही है, गन्ना किसान का निर्धारित समय पर पेमेन्ट नहीं होगा तो उसको हम ब्याज दिलवाएंगे। वे ब्याज किसान को दिलवाएंगे न कि

सोसाइटी को। एक बात मैं और बताना चाहता हूं जैसा आपने कहा कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी। हमने आपके कहने से पहले ही 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं, काशीपुर, सितारगंज और डोईवाला। अगर उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता तो निश्चित रूप से उनकी चीनी को हम कलैक्ट कर लेंगे और जो भी चीनी की बिक्री होगी, उसमें प्राथमिकता रखी जाएगी कि पूरा का पूरा पैसा गन्ना किसान को भुगतान किया जाए।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि हरिद्वार और देहरादून के किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में सवा महीने का अंतर है? जिस तिथि को भुगतान देहरादून के किसानों को किया जा रहा है, हरिद्वार के किसानों को उससे सवा महीने पीछे का भुगतान किया जा रहा है। इस असमानता को दूर करने का प्रयास माननीय मंत्री जी करें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इस मामले में मेरे पास तो एक लमसम फीगर है। डोईवाला ने कितना गन्ना खरीदा, कितना गन्ना पेरा और कितना पेमेण्ट देना था तथा कितना दिया। आपने अब बात कर दी हरिद्वार और देहरादून में अन्तर कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से 2–3 दिन के अन्दर पूरी डिटेल दे दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि दोनों जगह समानता रहे।

चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति

*4–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को जिनसे ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार की चीनी मिलों को गन्ना मिलता है, उत्तरांचल प्रदेश में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा?

यदि हां तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं?

प्रश्न नहीं उठता?

क्योंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों की सीमायें निर्धारित की जा चुकी हैं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे? और क्या माननीय मंत्री जी के पास जानकारी है कि ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश

से हमारे यहां गन्ना आता रहा है, हमारे यहां के भी बहुत से केन्द्र ऐसे हैं, जिनसे गन्ना उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों को जा रहा है और यह ऐसी व्यवस्था हो गयी है, जिसके चलते हमारी मिलों को कम गन्ना मिल पा रहा है। मेरे पास महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर का रिकार्ड है। 40 हजार कुन्तल प्रति दिन इसकी पेराई क्षमता है और 14 हजार 800 कुन्तल गन्ने की आपूर्ति इसको की गयी, जिसके कारण मिल समय से पहले बन्द हो गयी। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश को जो गन्ना हमारे यहां से जा रहा है, उसको रोकेंगे या उत्तर प्रदेश, से और क्षेत्र बढ़ाएंगे? ताकि हमारी इन गन्ना मिलों को गन्ना मिलता रहे और ये चलती रहें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के साथ हमारा समझौता हुआ है, उसके हिसाब से जो गांव का गन्ना उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में आ रहा था और जो उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश को जा रहा था, वैसा ही बना रहेगा, ऐसा एम0 ओ0 यू0 हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

कब तक बना रहेगा?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी तो 5 साल के लिए हुआ है। आगे इसमें दीर्घकालिक समझौता करेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था कि इस समझौते के बाद भी जो मिलें बन्द होने की कगार पर आ गयी, जिनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे, यह बताएं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इस वर्ष की जो दिक्कत है, वो अलग है। इस वर्ष गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहा, इसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई। दूसरा इस वर्ष एक मिल, उत्तम शुगर मिल, नई लग गयी है, तो उसके कारण से थोड़ी दिक्कत हुई है। इस बार बैठकर हमने देखना है कि किसको कितना गन्ना मिला, इसकी समीक्षा हम करेंगे। जिसको बहुत कम मिला होगा और उसकी कलैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, तो उसमें सन्तुलन लाने का प्रयास करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो कीमत गन्ने की हरियाणा और पंजाब में दी जा रही है, यहां के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इसके दायरे में नहीं है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, यह पूछा गया था कि जो गन्ना मिलों का क्षेत्र है, उसकी सीमाएं बढ़ाने पर विचार करेंगे या नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एम0 ओ0 यू0 साईन हो गया है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, एन0 डी0 तिवारी और गृह मंत्री जी ने कहा था कि गन्ने की सीमाएं तय कर ली जाएंगी। कृपया माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 वर्ष तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। मान्यवर, मैंने एम0 ओ0 यू0 साईन होने की बात नहीं कही केवल एम0 ओ0 यू0 भेजा गया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अभी एम0ओ0यू0 भेजा गया है, हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह व्यवस्था 5 वर्ष तक चलती रहेगी। यदि अन्तर्राज्यीय सीमा पर गन्ने की आवाजाही पर प्रतिबंध लगेगा तो कठिनाई होगी। जो एम0 ओ0 यू0 भेजा गया है क्या उसको बहुत लम्बी अवधि के लिए प्रपोज किया है या नहीं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जहां तक एम0 ओ0 यू0 की बात है अभी 5 वर्ष के लिए भेजा गया है बाद में इसे दीर्घकाल के लिए किया जायेगा। मुख्यमंत्री जी की बात हो चुकी है, लेकिन हस्ताक्षर होना शेष है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। इसका ध्यान रखा जाये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बदले सरकार चलती है और एक सरकार के साथ फैसला हुआ है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि यहां से लिखित में भेजा गया है। मैं चाहता हूं कि अनन्त काल तक यह व्यवस्था चलती रहे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी की बेजोड़ क्षमता है, कभी वह कह देते हैं 6 महीने पहले वाले का हम से कोई सम्बन्ध नहीं है, दूसरे से उम्मीद करते हैं कि जो हमने कह

दिया वह कोई भी रहे, लेकिन वह चलता रहेगा। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं ये हम सब ने महसूस किया कि गन्ने की आपूर्ति एक विचारणीय विषय है। दूसरा प्रदेश के साथ अनुबन्ध है एम0 ओ0 यू0 हम करने जा रहे हैं वह युनिट्रेली हो नहीं सकता बाइलेट्रेली है, उसमें उस प्रदेश की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, जरूरी नहीं, जो हम चाहें वह वे भी चाहें। लिहाजा श्रीमन्, क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अपना भी कोई इंतजाम इसके बारे में कर रही है कि यदि उ0प्र0 ने इस करार पर दस्तखत करने से मना किया, उस दशा में भी हमारी शुगर मिल हमारी गन्ना मिल्स सफर ना करें, तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टैण्ड बाई अरेंजमेंट है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें प्रमुख वार्ता हो चुकी है, केवल साईन होना बाकी है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, ऐसा है जहां मुन्ना सिंह चौहान जी बैठे हैं वहां मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कहता। हमने पांच साल की बात कर ली है दीर्घकालीन बात हम करने जा रहे हैं। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है जो गन्ना हमारे पास है उसकी उपज ही बढ़ायी जा सकती है, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता। हम यह प्रयास करेंगे कि उ0प्र0 में लम्बे समय तक हमारा समझौता बना रहे। गन्ने की जो दिक्कत है वह तभी होगी जब ये समझौते नहीं होंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा सीमायें बढ़ाने का प्रकरण केन्द्र का प्रकरण है, उत्तरांचल सरकार और उ0प्र0 का नहीं। पहला सवाल तो केन्द्र का प्रकरण उत्तरांचल बनाना भी था, लेकिन प्रस्ताव उ0प्र0 एसेम्बली ने भेजा, एक तो मा0 मंत्री जी यह बता दें कि केन्द्र तो तय कर देगा, उत्तरांचल की एसेम्बली में ऐसा प्रस्ताव सरकार लाने को तैयार है कि नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने बताया 5 साल का हमारा समझौता होगा इस पांच साल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जो ये सीमावर्ती जनपद हैं, जिनसे गन्ने की आपूर्ति उत्तरांचल के मिलों को हो रही है, वहां कोई नई मिल उ0प्र0 सरकार स्वीकृत नहीं करेगी और स्वीकृत करेगी तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी यह तो आप और हम जानते हैं, नई मिल कोई स्वीकृत नहीं होगी। क्या एम0 ओ0 यू0 में उ0प्र0 सरकार ने यह भी लिख कर दिया है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि श्री अम्बरीष कुमार जी से और हरिद्वार के अन्य विधायकों से, कि इतना डर दिमाग में क्यों घुस गया। डर का तो प्रश्न ही नहीं है, हम आपको यहां बड़े भाई की तरह रख रहे हैं, बड़े भाई की तरह सम्मान देंगे, आपका जो सीमा वाला भाव है वह कुछ और है, उस डर को आप निकाल दें। सीमा बढ़ाने का तो केन्द्र का काम है मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। जहां आपने कहा कि उ0प्र0 की सीमा में निकट में कोई शुगर मिल खुल जायेगी तो फिर क्या स्थिति होगी। क्या एम0 ओ0 यू0 में ऐसा नहीं है? क्योंकि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा, जो क्लियर है उसमें ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं आप हमसे कहें हरिद्वार में एक

फैक्ट्री लगा दो, निश्चित रूप से सरकार का यह मत होगा कि जो फैक्ट्रियाँ हैं उन्हीं को नहीं दे पा रहे हैं। वैसी स्थिति और प्रदेशों की सीमाओं के बाहर भी लगी हुई है वहां भी कोई ऐसी फैक्ट्री खुलने जा रही है ऐसा मैं नहीं मानता हू।

रुड़की की मण्डियों का नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरण

*5–श्री राम सिंह सैनी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुड़की की मण्डियों को नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं?

स्थानान्तरण न करने से सरकार को मण्डी शुल्क की लगभग कितनी हानि प्रतिमाह उठानी पड़ रही है?

कृषि विपणन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

रुड़की मण्डी स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण नवीन मण्डी स्थल में व्यापार स्थानान्तरित नहीं हो सका। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही नवीन मण्डी स्थल में व्यापार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

वर्तमान में मण्डी स्थानान्तरित न होने के कारण मण्डी शुल्क की कोई हानि नहीं हो रही है। गतवर्ष की अपेक्षा, मण्डी समिति रुड़की में, इस वर्ष प्रतिमाह मण्डी शुल्क में लगातार वृद्धि हो रही है।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि ये रुड़की मण्डी का निर्माण कब से शुरू हुआ था और जो अनुबन्ध हुआ था मान्यवर, उसमें समय सीमा क्या तय की गयी थी कि मण्डी स्थल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और जो लोग इसके समयबद्ध निर्माण के लिए दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही मा0 मंत्री जी कर रहे हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, रुड़की मण्डी समिति के निर्माण की स्वीकृति 12–8–95 को हुई थी, उस समय उसका दो करोड़ छः लाख अठहत्तर हजार का इस्टीमेट था। इतने में यह कार्य पूर्ण किया जायेगा और इसकी कार्य अवधि 31–5–2001 है। मान्यवर, मण्डी के निर्माण में हमेशा एक व्यवस्था रही है कि चयनित अनुबन्ध को माने जिसको मण्डी के लोग ठीक समझते थे, ...

..... बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार के समय में दिक्कत आई और उत्तर प्रदेश में ही इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि अनुबंध के आधार पर काम नहीं होगा, 27 मई, 98 को काम रोक दिया गया, लेकिन पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने ही एक फरवरी, 2000 को उस पर फिर यह कहकर कि टेण्डर कराकर अब कार्य करेंगे, फिर उस को स्वीकृत कर लिया और उसमें पुनरीक्षित आंकड़े 79.70 लाख रुपये का और बढ़ाकर वह स्वीकृत करके भेज दिया उसके बाद यहां काम चालू कर दिया।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह सवाल किया था कि जो प्रारम्भ में अनुबंध हुआ था उसमें तो 2001 की सीमा थी नहीं, वह बाद में जो आपने शुरू किया था उसमें 2000 की सीमा कर दी, मैंने यह पूछा था कि प्रारम्भ में जो कार्य शुरू हुआ था तब अनुबंध में समय सीमा क्या थी, कार्य को पूरा करने की और जो समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं हुआ है, इस काम के लिये दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बंशीधर भगत–

फाइल तो उत्तर प्रदेश में होगी, जो प्रारम्भ में हुआ होगा, उसकी फाइलें हमने मंगाई हैं और जैसा आपका दूसरा प्रश्न है कि दोषी लोग हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही चयनित अनुबन्ध के अनुसार ही काम प्रारम्भ कराया था, तथाकथित कुछ लोगों ने शिकायत की होगी तो उस कार्य को बन्द करायें, उस समय तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही सचिव और मण्डी निदेशक ने यह कहकर कि अब टेण्डर के आधार पर कार्य करेंगे, स्वीकृति हुई। बाकायदा पुनरीक्षित आगणन 79 लाख रुपया स्वीकृत करके उस को पुनः किया, उस मामले में क्या कारण रहे उसके बारे में उत्तर प्रदेश से जानकारी चाहेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया वर्तमान में मण्डी के लिये स्थान के न होने के कारण मण्डी शुल्क की कोई हानि नहीं हो रही है और इन्होंने कहा कि वो मण्डी शुल्क लगातार बढ़ रहा है। मान्यवर, आज भी अलग–अलग स्थानों पर व्यापार कर रहे हैं तो इसमें मेरी निश्चित जानकारी है कि जो चोरी होती है मण्डी शुल्क में, अगर एक स्थान पर मण्डी होगी वहां पर चोरी नहीं होगी तो जब शिफ्ट् हो जायेगी मण्डी वहां पर, तो निश्चित रूप से शुल्क बढ़ेगा और यह कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हो रही है कोई कमी नहीं आ रही है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, चोरी शब्द मेरे मुंह से निकला ही नहीं मैंने यह कहा कि मण्डी शुल्क में गिरावट नहीं आई है, चूंकि जैसे अभी तक चल रहा है जो मार्च, 99 से 2000 का मैं बता रहा हूं, कि शुल्क हमें मिल रहा था, इस पिछले मार्च, 99 से 2000 का मैं बता रहा हूँ कि हमको 23 लाख 21 हजार मण्डी शुल्क मिला और इस समय जुलाई, 2000 से मार्च, 2001 तक 27 लाख 14 हजार मण्डी शुल्क उस जगह पर से मण्डी चल रही है जहां पहले चल रही थी। अब आप सम्भावनायें व्यक्त कर रहें हैं कि एक स्थान पर होगा तो मण्डी शुल्क अधिक मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम सिंह सैनी जी आपका उत्तर आ गया है।

अतारांकित प्रश्न

नवीन मण्डी स्थल, रुड़की के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

1–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि नवीन मण्डी स्थल, रुड़की के निर्माण में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 30–09–99 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में तत्कालीन उप निदेशक (निर्माण) श्री एस0एस0 परमार को गम्भीर अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया था?

यदि हाँ, तो दोषी पाये गये उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

यह प्रकरण उत्तरांचल के गठन के पूर्व का है। उत्तर प्रदेश से प्रकरण की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

तदैव।

तदैव।

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् से कार्यमुक्त होकर आये अनुसूचित वर्ग के अधिकारी को उप निदेशक (निर्माण) के पद पर कार्यभार ग्रहण न कराया जाना

2–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् से उत्तरांचल के लिए कार्यमुक्त होकर आए अनुसूचित वर्ग के अधिकारी को उप निदेशक (निर्माण) के पद पर कार्यभार न कराये जाने के क्या कारण हैं?

क्या यह सही है कि उप निदेशक (निर्माण) का कार्यभार सहायक अभियन्ता को सौंपा गया है?

तथा उक्त विसंगति का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत उप निदेशक (निर्माण) का एक ही पद सृजित है, जिस पर मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 28–09–2000 द्वारा श्री एस0एस0 परमार, उप निदेशक (निर्माण) पूर्व से ही कार्यरत हैं। अतः पद रिक्त न होने के कारण उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त होकर आये अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन की राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में

3—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में 31 दिसम्बर, 2000 तक कुल कितने विश्व युद्ध (द्वितीय) के सैनिक थे, जिनको रु0 250/— प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है?

क्या सरकार बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की भांति वित्तीय वर्ष 2001—2002 में पेंशन 500 रु0 प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव करेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

समाज कल्याण, उद्यान मंत्री (श्री नारायण राम दास)—

उत्तरांचल राज्य में 31 दिसम्बर, 2000 तक द्वितीय विश्व युद्ध के 5578 भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें हैं, जिन्हें रु0 250/— प्रतिमाह पेन्शन दी जा रही है।

सरकार अपनी सामर्थ के आधार पर विचार करेगी।

केन्द्रीय सुगन्ध पौध संस्थान (सिमैप) की शाखा स्थापित किया जाना

4—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के हिमालय से लगी क्षेत्र में जन—उपयोगी जड़ी—बूटियों का भण्डार है?

जहां पर रोजगार व प्रशिक्षण की दृष्टि से केन्द्रीय सुगन्ध पौध संस्थान (सिमैप) की शाखा स्थापित किये जाने हेतु मांग की जा रही है जो केन्द्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के संज्ञान में भी है?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में सिमैप स्थापित किये जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत—

जी हाँ।

संज्ञान में नहीं है, सिमैप भारत सरकार के अधीन एक संस्था है जिसकी शाखा स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ। अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों के सम्बन्ध में

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, वर्ष 1996 में उत्तरांचल के सभी जनपदों में आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों के विरुद्ध शासनादेश सं0 4381/15–5–95–547/94 टी0सी0 1995–1996, दिनांक 22–11–95 के अनुसार अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के रूप में वेतनमान रु0 850/– पर नियुक्तियां प्रदान की गयी। शासनादेश में स्पष्ट था कि ऐसे सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण दिलाया जाना था। परन्तु 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी है।

यहां पर उल्लेखनीय है कि मृतक आश्रितों के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के बारे में व्यवस्था की गयी है कि यदि 5 वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण होने से पूर्व दीक्षा (प्रशिक्षण) नहीं दिलाया जाता है तो पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के पूरे होने पर बिना प्रशिक्षण के ही इन अप्रशिक्षित अध्यापक प्रशिक्षित वेतनमान दे दिया जायेगा। [संदर्भ शासनादेश सं0 860/15(13)/97–1499 (8) 77, दिनांक 15–05–97]।

अतः आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति सहायक अप्रशिक्षित अध्यापकों को भी पांच वर्ष की सेवा अवधि की निरन्तरता के आधार पर दीक्षा मुक्ति एवं प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना चाहिए।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सदन में चर्चा करके कार्यवाही की मांग की जाती है।

राजाजी नेशनल पार्क का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, जिला हरिद्वार तीर्थ नगरी होने के कारण विश्वविख्यात स्थान है। आज उत्तरांचल राज्य में समस्त जिलों में प्रथम श्रेणी का स्तर इस जिले को प्राप्त है और राजाजी नेशनल पार्क भी इसी जिले के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका सौन्दर्यीकरण नाम मात्र के बराबर ही है। अतः उत्तरांचल राज्य की राजस्व आय बढ़ाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु राजाजी नेशनल पार्क का सौन्दर्यीकरण होना अति आवश्यक है।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद हरिद्वार को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार मार्च, 98 से पूर्व तक संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून से सम्बद्ध था। मार्च, 98 में नयी कमिश्नरी सहारनपुर से हरिद्वार को सम्बद्ध कर दिया गया। नवसृजित उत्तरांचल के गठन के पश्चात् पुनः हरिद्वार को देहरादून से सम्बद्ध कर दिया गया।

अब परिवहन विभाग ने अधिसूचना संख्या 3–7/स0परि0/कैंप/2001 जारी कर हरिद्वार जनपद को पौड़ी से सम्बद्ध कर दिया है। अतः हरिद्वार के गाड़ी स्वामियों, गाड़ियों के परमिट, उनके नवीनीकरण, स्थानान्तरण आदि के लिए 100 किलोमीटर अधिक तथा 8 घंटे अधिक समय लगाना पड़ेगा।

हरिद्वार उत्तरांचल का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक वाहनों वाला जनपद है, अतः इस आदेश से लोगों में आक्रोश है। अतः हरिद्वार को पुनः देहरादून से सम्बद्ध किया जाये अथवा हरिद्वार में नया संभागीय परिवहन प्राधिकरण स्थापित कर ऋषिकेश आदि को इससे सम्बद्ध कर दिया जाये।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः शासन को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

कार्यवाही की असंशोधित प्रति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरी एक छोटी सी सूचना है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। यह एक परम्परा है कि जो हमारी असंशोधित कार्यवाही होती है, वह जितने हमारे मान्यता प्राप्त दल और जितने अन्य दल, जो विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वह उन सब के कार्यालयों को या उनके नेताओं को उपलब्ध करा दी जाती है। जिसके माध्यम से उस कार्यवाही के आधार पर हमने जो सरकार से कहा हो, जो घोषणा की हो, किसी मंत्री का वक्तव्य देखना हो, किसी सदस्य का वक्तव्य देखना हो, जिसके विषय में कोई शंका हो, उन सब का समाधान कर लेते हैं। मान्यवर, यह एक परम्परा है, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कृपया यहां भी यह व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष–

यह बात सत्य है कि कार्यवाही की असंशोधित प्रति विधानसभा के मान्यता प्राप्त दलों को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की परम्परा है, किन्तु जैसा कि आप सभी लोगों की जानकारी में है कि विधानसभा सचिवालय की संरचना पूर्ण नहीं हुई है और प्रतिवेदकों की हमारे पास व्यापक कमी है, इसलिए यह दिक्कत आ रही है। अगले सत्र से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको रोज की रोज कार्यवाही मिलेगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जब पूरी बन जाए, उस वक्त उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष–

पूरी प्रति बनाकर उसको संशोधित करने के लिए दे देंगे।

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र में दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, अभी कोई एक सप्ताह हुआ, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र में दिये जाने का अनुबंध हुआ है और वो कार्य प्रगति पर है। माननीय मंत्री जी ने सदन में भी बताया। अभी इस परियोजना की एक टनल के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी आये थे। उ0प्र0 के माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बाहैसियत ऊर्जा मंत्री, इसका उद्घाटन किया। केवल उद्घाटन कर लेना आपत्ति का विषय नहीं है, लेकिन परियोजना के स्वामित्व वाले राज्य के ऊर्जा मंत्री की हैसियत से उन्होंने इस परियोजना के शुभारम्भ को हरी झण्डी दी। यही नहीं सरकारी तौर पर इस उत्तरांचल प्रदेश के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनको यथा संभव निर्देश भी दिए गये।

मान्यवर, यह एक बहुत गंभीर संवैधानिक प्रश्न है। इसलिए मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 3 और 4, जिसके द्वारा इस नवसृजित राज्य का निर्माण हुआ और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 246 की तरफ आकर्षित करता हूँ, जिसके अन्दर यह व्यवस्थाएं की गयी हैं कि देश के अन्दर जितने भी कार्यक्षेत्र होंगे, उसका विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। पहली सूची है–यूनियन लिस्ट, दूसरी सूची है–कॉंक्रेन्ट लिस्ट, और तीसरी सूची है–स्टेट लिस्ट। ....

मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूँ कि जो यह कार्य हो रहा है, यह कार्य विशुद्ध रूप से हमारे राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र का विषय है। यह मान्यवर, 246 में लिखा है "सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाई पार्लियामेन्ट एण्ड स्टेट लेजिस्लेचर" संसद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों की वस्तुस्थिति। तो श्रीमन्, यह जो हमारे राज्य का अधिकार क्षेत्र है, जिसके बारे में निर्णय करने का अधिकार हमें और कहीं यदि उसके अंदर इस 246 के मुताबिक कोई बात कहने, सुनने का अधिकार है तो फिर केन्द्र सरकार को हो सकता है। यदि हम इसे कॉंक्रेन्ट लिस्ट का विषय भी मान लें, समवर्ती सूची का विषय भी मान लें तो केन्द्र का भी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे राज्य का एक राज्य के विषय में हस्तक्षेप का कदाचित् अधिकार नहीं हो सकता। यह गम्भीर औचित्य का प्रश्न है और औचित्य के प्रश्न के साथ–साथ ही श्रीमन्, इस प्रदेश की स्वायत्ता का भी प्रश्न है। माना कि हमने स्वीकार किया कि उत्तरांचल की सरकार असहाय है, माना कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी अधिकार विहीन हैं, लेकिन मैं एक बात स्मरण कराना चाहता हूँ कि हममें से कोई भी व्यक्ति किसी निजी पार्टी से ताल्लुक रख सकता है, लेकिन इस सदन के अंदर हम सबसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले इस राज्य के प्रतिनिधि हैं और उधर बैठे माननीय नेता सदन और माननीय मंत्री परिषद् के सदस्य इस प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि हैं।

यदि श्रीमन्, आपके अधिकारों पर अतिक्रमण होता है, यदि आपकी स्वायत्ता पर अतिक्रमण होता है तो वह केवल आपके निजी सम्मान पर अतिक्रमण नहीं है, बल्कि यह इस नवसृजित उत्तरांचल राज्य के सम्मान के ऊपर अतिक्रमण है, उसकी ऑथारिटी को अंडरमाईन करना है और साथ ही साथ उत्तरांचल के जनमानस का अपमान है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। श्रीमन्, यह गम्भीर औचित्य का विषय है। निरन्तर स्थितियाँ इस तरह की पैदा होती चली जा रही हैं। इस प्रदेश का जो अपना अधिकार है, वह ऑथारिटी निरंतर डायल्यूट होती जा रही है, असंवैधानिक कृतियों से। लिहाजा श्रीमन्, इस गम्भीर औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी पीठ से व्यवस्था की प्रार्थना करूँगा।

ऊर्जा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं संविधान खोलने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य तो बहुत अच्छी तरह से संविधान को पढ़ते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप कानून के विद्यार्थी हैं। कानून के विद्यार्थी आप रहे हों या न रहे हों, परन्तु सदन के अंदर यह लगता है कि जितना आप पार्टीशिपेशन करते हैं उससे मालूम होता है कि आप संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत बार हम कोशिश भी करते हैं कि आप संविधान की जो व्याख्या करेंगे, उससे हमको भी मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आखिर 1992 में जिसका एम0ओ0यू0 हो गया हो, अब उत्तरांचल राज्य बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किसी के साथ समझौता हो गया हो। (व्यवधान) मेरा आपसे कहना है कि धारा – 3, 4 का इसमें कहीं कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुच्छेद 246 को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। (व्यवधान) मेरा अनुरोध यह है कि यथा स्थिति यह है कि यह उत्तरांचल बनने से पहले ही इस पर सारी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन के साथ समझौता हो गया और 79 में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी प्राइवेट कम्पनी के साथ या व्यक्ति के साथ उत्तर प्रदेश का कोई समझौता हुआ है तो शेष पर हमने जैसा कहा कि सारी सम्पत्तियाँ जो यहाँ पर हैं वो हमारी हैं। प्राइवेट के साथ दो समझौते हुए हैं एक दमकल के साथ और एक विष्णु प्रयाग के साथ। यह कहना कि 3, 4, और 246 का जहाँ तक सम्बन्ध है इसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो पहले ही उनके साथ समझौता हो चुका है। ....

.... मान्यवर, परिसम्पत्तियों का सवाल है, मैं इस सदन का भी मत जानना चाहता हूँ कि आप विष्णु प्रयाग के लिए, पहले किसी भी सरकार ने समझौता किया हो, पैसा चाहे फाइनेंस कम्पनी से लगा रहे हों या अपने आप लगा रहे हों, उसको हम कह दें कि भविष्य में निजी उद्यमियों को प्रदेश के अन्दर प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको हम लाना चाहते हैं अगर हम आप से यही कह देंगे नहीं–नहीं सारी सम्पत्ति तो हमारी हो गई फिर कोई लगायेगा क्यों हमको तो इसमें 12 प्रतिशत देगा या फिर हमारी शर्त जो होगी वह उन शर्तों को मानेंगे, जो अपना पैसा यहाँ लगायेगा उनको हम जमीन भी दे रहे हैं, उसे पानी भी दे रहे हैं।

मान्यवर, पावर हाउस बन रहा है, पावर हाउस चाहे विष्णु प्रयाग का हो, कोई भी हो उसे विशेष कम्पनी बना रही हो तो निश्चित रूप से यह मान कर चलिए कि उसने सारा

पैसा उसमें लगा दिया है तो वह उसकी सम्पत्ति है। ठीक है, हमारी जो शर्तें होंगी उन शर्तों के उल्लंघन के बाद उसको यह कह सकती है कि हमने आपको नजूल की जमीन दी, लेकिन उसकी सम्पत्ति को पहले दिन से ही कहते हैं आपकी तो इसमें कुछ है ही नहीं तो कोई काहे के लिए इसमें रिस्क लेगा।

मान्यवर, एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो समझती है मैं सोचता हूँ कि यह सामान्य परम्परा है। यह होता है जो टी0एच0डी0सी0 या एन0एच0पी0सी0 वहाँ लगाये, चाहे प्राइवेट व्यक्ति लगाये। लेकिन इस संबंध में बार-बार इसमें कहीं पर औचित्य का प्रश्न नहीं है। मा0 नरेश जी आये थे। नरेश जी और हम वहाँ गये थे काफी काम हो चुका है। कुछ पत्रकारों ने लिख दिया कि उन्होंने उद्‌घाटन किया और कोश्यारी जी भी वहाँ पर थे, हम लोग वहाँ पर गये इसमें हम विशेष करके उ0प्र0 के साथ हैं। वह हमारा पड़ोसी प्रदेश है, हम उस प्रदेश से अलग हुए हैं। हम लोगों के आपस में संबंध ठीक ढंग से चल रहे हैं इस प्रकार की बात करना मैं नहीं समझता हूँ। मान्यवर, राज्य बनने से पहले से केन्द्र से आग्रह किया था इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है इसलिए इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न या नियमों का कहीं उल्लंघन हुआ है या हमारे संविधान के किसी धारा के अनुरूप सदन का कार्य नहीं हो रहा है तो मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। हम तैयार हैं आप किसी दिन इस पर पूरी बहस करा लें। लेकिन औचित्य का प्रश्न नहीं है यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

आपने ग्राह्‌यता पर बोल लिया, मा0 मंत्री जी ने अपना वर्जन रख दिया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

.... आप वहाँ का लखवाड़ प्रोजेक्ट का उद्‌घाटन कराइये, किसी से भी करा सकते हैं मैं यह कह रहा हूँ कि आपने स्वयं अपने उत्तर में कह डाला।

श्री अध्यक्ष–

आपने जिसे प्रश्न के दायरे में इस को रखा है उसे सूचना में रखें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

सूचना तो नहीं है श्रीमन्, आप इस पर नजर डालें, आपने स्वयं कहा कि विष्णु प्रयाग का एम0ओ0यू0 उत्तर प्रदेश में है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में यह कह डाला कि जिसका एम0ओ0यू0 उत्तर प्रदेश के साथ था उसी समय हम भी तो उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे अब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, शायद हम अपनी बात समझा नहीं पाये हैं, मान्यवर, हमारे मंत्री जी पूरी तरह से तैयार हैं, इस विषय के ऊपर आप कभी भी चाहें, सदन के अन्दर किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत लें आयें, लेकिन यह औचित्य में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष जी–

यह औचित्य के प्रश्न के दायरे में नहीं आता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, 8 तारीख तक कितने औचित्य के प्रश्न स्वीकार्य हुये। श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूँ कि 8 तारीख तक इस सदन के अन्दर औचित्य के प्रश्न कितने उठाये गये, उस विवाद में श्रीमन् मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने तो केवल फैक्ट्स आपके सामने रखे कि यह प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस प्रदेश की स्वायत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है यह हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ है, इससे ज्यादा गम्भीर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष जी–

आप नियमों के अनुरूप लें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद 246 में इस बात के लिये साफ व्यवस्था है कि जब उत्तर प्रदेश के साथ एम0ओ0यू0 हुआ तब हम भी तो उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे, आज यदि विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट है तो उत्तर प्रदेश के साथ–साथ वह हमारा भी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जिन संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सदन का कार्य होता है उसका कोई उल्लंघन होता है तब आप औचित्य का प्रश्न उठायें।

श्री अध्यक्ष जी–

मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चतुर्थ एवं पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान दिया गया परन्तु पुलिस विभाग में आरक्षियों तथा मुख्य आरक्षियों को दोनों ही वेतन आयोगों के संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी ऐसे कर्मी हैं जो सबसे ज्यादा दिखायी देते हैं (विजीबिल हैं) जन–साधारण का सबसे ज्यादा वास्ता इन्हीं लोगों से पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुरूप इन्हें वेतनमान तक नहीं दिया जा रहा हो और इस वर्ग में घोर कुण्ठा व्याप्त हो तब उनसे सद्‌व्यवहार की कदम–कदम पर हम अपेक्षा करते हैं, व्यवहारिकता की दृष्टि से यह अपेक्षा करना भूल है। अपनी सेवा–शर्तों सम्बन्धी कठिनाइयों को लेकर के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मी सदैव असंतुष्ट रहते हैं उन्हें जहाँ पदोन्नति के अवसर न के बराबर है वहीं उन्हें अति कठिन परिस्थितियों में दायित्वों के निर्वहन के लिए तैनात किया

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है, चाहे भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश, हर दशा में आम नागरिक पुलिस के सिपाही से यह अपेक्षा करता है कि वह मुस्तैदी के साथ सड़क के किनारे या चौराहे पर खड़ा मिले और किसी भी जरूरत के वक्त बिना समय गवायें घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति दे। आश्चर्य की बात है कि पुलिस विभाग के अन्दर ही उच्च अधिकारियों से लेकर उप निरीक्षक तक के कर्मियों को, शत प्रतिशत वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिया गया परन्तु सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले आरक्षी एवं मुख्य आरक्षियों को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान नहीं दिया गया।

चतुर्थ वेतन आयोग में आरक्षी का मूल वेतन रु0 1200/– निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध उसे रु0 950/– का वेतनमान दिया। इसी प्रकार पाँचवें वेतन आयोग द्वारा आरक्षी का वेतनमान रु0 4000/– बेसिक संस्तुत किया गया है, जिसके विरुद्ध उन्हें रु0 3030/– का बेसिक वेतन दिया जा रहा है यही कारण है कि पुलिस महकमें की बुनियाद समझी जाने वाली पुलिस का सिपाही आज घोर अनुशासनहीन होता चला जा रहा है चाहे थानों पर आवासीय सुविधायें हों या पी0ए0सी0 के कैम्प की हों, हम सभी जानते हैं कि वहाँ मानवीय सुविधाओं की स्थिति निहायत दयनीय रहती है, परन्तु सरकारें इस गलतफहमी में हैं कि केवल आदर्श और अनुशासन के भाषण दे करके पुलिस के सिपाही को ज्यादा सक्रिय और उत्तरदायी बनाया जा सकता है परन्तु यह सरासर भूल है। उत्तरांचल नया प्रदेश है, यहाँ पर तत्काल इस गम्भीर विषय पर सोचा जाना चाहिए कि पुलिस के सिपाही व दीवान को न केवल वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिया जाये बल्कि उनकी पदोन्नति के अवसरों के बारे में भी ऐसी नीति बने जिससे इस वर्ग के पुलिस कर्मचारियों को अपने भविष्य में कैरियर ग्रोथ की उज्जवल संभावनाएं नजर आए तभी वह लगन व निष्ठा तथा सद्व्यवहार से कार्य करेगा। नित–प्रतिदिन पुलिस लाइनों में, थानों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतें इन्हीं कारणों की परिणति हैं यदि इस विषय में तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो गम्भीर परिस्थितियाँ भविष्य में सामने आएंगी।

विषय जनजीवन की सुरक्षा व कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है, अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं कार्यस्थगन की सूचना दे रहा हूँ।

श्रीमन्, चौथे वेतन आयोग की सिफारिश आई, मान्यवर, उसके अन्दर पुलिस के सिपाही को रु0 1200 का मूल वेतन संस्तुत किया गया, उसके विरुद्ध पुलिस के सिपाही को साढ़े नौ सौ का वेतनमान प्रदेश सरकार ने दिया। मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसके बाद पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश आई। पांचवे वेतन आयोग ने पुलिस के कॉन्स्टेबल को रु0 4000 का वेतनमान संस्तुत किया। सरकार ने पुलिस के सिपाही को रु0 3030 का वेतनमान दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस के सिपाही और हेड कॉन्स्टेबल यह दो ऐसे पद हैं जो आम जनता को सबसे ज्यादा नजर आते हैं। कहने का मतलब वही सबसे ज्यादा दिखने वाला व्यक्ति है। इसे सदन के अन्दर श्रीमन्, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के, मुझ जैसा व्यक्ति भी रोज इस बात की आपत्ति करता है कि पुलिस के कर्मचारियों द्वारा पुलिस के द्वारा फलां–फलां जगह अनियमितता की गई, अनुशासनहीनता की गई। गलत कार्य किया गया। एक तरफ श्रीमन्, हम पुलिस महकमें के ऊपर नागरिकों के जान–माल की हिफाजत, इज्जत, आबरू की, सुरक्षा की

जिम्मेदारी देते हैं और उसी पुलिस विभाग का ऐसा तबका जिसे पुलिस विभाग का बुनियाद समझा जाता है, उस छोटे तबके के अधिकारों का हनन करके, उसके हितों का हनन करके हम पुलिस महकमें को प्रभावी बनाने की बात करते हैं।

मान्यवर, झूठे आदर्श का सहारा लेकर हम उसे अनुशासित बनाने की बात करते हैं। सब-इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मी को चौथे पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक वेतनमान दिया गया। पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक भी डायरेक्टर जनरल से लेकर नीचे सब इंस्पेक्टर के पद तक को वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक वेतनमान दिया गया लेकिन दोनों ही वेतनमान में पुलिस के सिपाही और हैड कांस्टेबिल को वेतनमान देने में सरकारों को कष्ट हुआ, बहुत कंजूसी बरतनी पड़ी। दूसरे विभागों के सभी कर्मचारियों को वेतन आयोग की संस्तुतियों के मुताबिक वेतनमान दिए गये लेकिन पुलिस के कांस्टेबिल और हैड कांस्टेबिल को नहीं दिये गये। यदि सरकार चौथे और पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को कायदे से पढ़ ले तो वो कारण भी उस वेतन आयोग की सिफारिशों में उल्लेखित मिलेंगे, जिसके अन्दर वेतन आयोग ने इस बात के लिए कहा कि कौन सी वजह है कि इन कर्मियों को ये वेतनमान दिए जाने की संस्तुति की जाए। हम उम्मीद करते हैं, उस सिपाही से चाहे आजकल कड़ाके की धूप हो, चाहे धुआंधार बारिश हो। कड़ाके की ठंड हो। रात के 12 बजे हों, दिन का 12 बजा हो, वो सड़क के किनारे मुस्तैदी से खड़ा मिले, लेकिन उसकी सेवा शर्तों को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम सबको देने को तैयार हैं लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उसकी सेवा सम्बन्धी शर्तों में हम कोई भी सुधार करने को तैयार नहीं हैं।

आज यदि कांस्टेबिल और हैड कांस्टेबिल के पदों की पदोन्नति पर आप नजर डालेंगे तो 80 फीसदी पुलिस का कांस्टेबिल, कांस्टेबिल भर्ती होता है और कांस्टेबिल ही रिटायर होता है। बीस फीसदी लोग भी हैड कांस्टेबिल नहीं बन पाते और 5 फीसदी लोग भी उसमें से सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाते। ये उनके कैरियर ग्रोथ का हिसाब है। तो आखिरकार जब पुलिस के सिपाही को आगे अंधेरी सुरंग नजर आती है। जब उसे लगता है कि मैं तो सिपाही भर्ती हुआ हूं और सिपाही रिटायर होकर घर जाऊंगा। मैं तो हैड कांस्टेबिल हूं, इससे आगे मुझे जाना नहीं है। मैं जा नहीं सकता तो निश्चित् रूप से उसके अन्दर एक कुण्ठा और हीन भावना पैदा होती है और वो ये मानकर चलता है कि मुझे कोई अच्छे प्रदर्शन और बहुत ज्यादा अनुशासित रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा अम्बरीष जी अभी तक कह रहे थे कि अगर किसी जगह से अपने आप को हटवाना है तो कोई क्राइम कर दो तो शिकायत हो जाएगी। तो श्रीमन्, यह बहुत गंभीर विषय है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जब ये मामला उठा तो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसमें सरकार को निर्देश जारी किया कि इन पुलिस आरक्षियों, इन पुलिस हैड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल के ग्रिवेंसेज के ऊपर इनकी पिटीशन को लेकर के सरकार इसका तत्काल निस्तारण करे, यह गंभीर है, ये फैसला कोर्ट ने दिया लेकिन चूंकि, पुलिसकर्मी की यह मजबूरी है कि वह यूनियन बनाकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम उसकी वर्दी का भाषण देकर उसका शोषण करना चाहते हैं और उससे शानदार प्रदर्शन की भी उम्मीद करते हैं।

श्रीमन, हम कहना चाहते हैं ये नया प्रदेश बना है, इस प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आम आदमी का जिनसे सबसे ज्यादा ताल्लुक पड़ता है। उन लोगों की सेवा शर्तों की, उनकी न्यायोचित मांगों, उनके वेतनमान सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के दौरान 3–4 बार पुलिस के अच्छे काम की प्रशंसा इस सदन के अन्दर की और आपकी हम लोगों से शिकायत भी रही कि हम लोगों ने पुलिस के कुछ चुनिन्दा लोगों के घृणित कृत्य को उठाया। .....

मान्यवर, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अपराध कोई पुलिसकर्मी करेगा तो दंडित करने की हम मांग करेंगे, लेकिन चंद अपराधी होने की वजह से हम सम्पूर्ण पुलिस वर्ग को जो पूरे महकमे की जान है उसको हम नजरअंदाज कर दें, उसकी सेवा शर्तों के बारे में न सोचें, वेतन आयोग ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार हम उनको वेतन न दें। श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूँ आमतौर पर जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो एंगिल है इस सदन के अंदर माननीय राम सिंह सैनी जी ने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज कोई भी इज्जतदार नागरिक पुलिस थाने में घुसने से कतराता है। शासन में बैठने वाले प्रमुख सचिव, सचिव भी अपना कार्ड दिखाये बिना यदि थाने में जायें तो उनको पुलिस के व्यवहार का पता चल जायेगा। पुलिस का आदमी ऐसा व्यवहार क्यों करता है? मान्यवर, वह जानता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, उनके न रहने की व्यवस्था है, न उठने बैठने की व्यवस्था है। आपने श्रीमन्, लखनऊ में दारूलसफा में आते–जाते देखा होगा कि पी0ए0सी0 वाले टैंट में रहते हैं। किसी को एक दिन भी उस तम्बू के नीचे रहना पड़े, जब लू चलती है तो बिना किसी पंखे के, बिना छत के उस तम्बू में रहना पड़े तो पता चले। मान्यवर, पुलिस विभाग में अनुशासन के नाम पर अधिकारियों की तानाशाही चलती है। केवल भाषण देकर उन्हें अनुशासन में नहीं रखा जा सकता है। श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूँगा कि इस गम्भीर विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और उनके प्रमोशन का रास्ता खोलने का कार्य करें तभी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपना शानदार प्रदर्शन करें। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य रोककर चर्चा कराई जाये।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ इसको आप मेरी धृष्टता न मानें। नियम 56 में यदि मान्यवर, थोड़ा विचार इस पर भी हो जाय। मान्यवर, शायद कुछ भीड़ कम हो जाये अगर वह ग्राह्यता की सीमा में पहले है तो तात्कालिक होना चाहिए। मान लो कल डकैती पड़ गई, कल बहुत बड़ी घटना हो गई, आपको अधिकार है एक परम्परा से चला जाय तो एक बात है। पंचम आयोग भी बहुत दिनों से बना हुआ है तो तात्कालिक तो प्रश्न नहीं उठता, लोक महत्व का मान सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के चतुर्थ एवं पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में वेतन समिति का गठन किया गया, जिससे वेतन आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष उ0प्र0 में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित किया गया था। इस समिति द्वारा पुलिस विभाग के आरक्षी और मुख्य आरक्षी को वर्तमान पंचम, चतुर्थ वेतन आयोग के अनुरूप ही वेतन निर्धारित किया गया अर्थात आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए निम्नलिखित वेतनमान निर्धारित किया गया–आरक्षी को चतुर्थ वेतनमान में 990 का ग्रेड और पंचम वेतन आयोग में 3050 का ग्रेड और मुख्य आरक्षी को 975 का ग्रेड और पंचम वेतन आयोग में 3200 का ग्रेड दिया।

मुख्य बात जिसको मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि अमुख आरक्षी यहां रहेगा या अमुख आरक्षी उ0प्र0 में रहेगा। सिद्धान्ततः यह सभी कर्मचारी अभी तक उ0प्र0 पुलिसकर्मी हैं। उनके विषय में या अन्य सेवा संबंधी कोई भी निर्णय लिया जाना उ0प्र0 सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि वेतनमान पुनर्निर्धारित किये जाने की वांछनीयता है तो इस कार्य को उत्तरांचल सरकार तब तक नहीं कर सकती जब तक कि संवर्गों का विभाजन स्पष्ट रूप से न हो जाय। उत्तरांचल के पुलिसकर्मी परिश्रम एवं निष्ठा के साथ पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। उनका मनोबल उच्च स्तर का है और उनके द्वारा छोटे समय में कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। मान्यवर, जहां तक आवासीय समस्या का प्रश्न है, इसके विषय में उत्तरांचल सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से भी अनुदान प्राप्त होगा जिसका उपयोग करते हुए पुलिस भवनों का निर्माण किया जायेगा और आवासीय समस्या का निदान किया जायेगा। आप कहेंगे आवासीय समस्या का निदान क्यों कर रहे हैं। मान्यवर, उसमें जो पुलिसकर्मी रहेंगे यदि उसका आवंटन उ0प्र0 में हो जायेगा तो जब वह चला जायेगा और जिसका आवंटन यहां होगा वह उस मकान में चला जायेगा और मान्यवर, हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हैं जब यह विभाजन हो जायेगा हम अपने पुलिसकर्मियों का जो भी हमारा कर्तव्य होगा उसका पालन करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, क्षमा करेंगे एक लम्बा अनुभव सदन में बैठने का मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है। अभी जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आपने लिया, यह मैं समझती हूं कि पीठ का अधिकार है। वह इसे तय करें, कि ये नेता सदन का अधिकार अवश्य है कि वह कह दें कि यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है। पर सम्भवतः यह अधिकार नही है कि पीठ ने यदि इसे ग्राह्य कर लिया तो चैम्बर में वह इसका निर्णय करें। ये कहने का अधिकार नहीं है यह मेरा एक ज्ञान है। आपके साथ ही मैंने लम्बे समय तक कार्य किया, इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी परम्परायें सदन की बनी रहें। मान्यवर इसलिए मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखा।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलने से पहले उन्होंने मुझको अग्राह्य करने की कोशिश की।

श्री ईसाम सिंह जी–

मान्यवर, जिला हरिद्वार में अपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है, आये दिन हत्यायें, बलात्कार, चोरी, लूट की घटनायें घटती रहती हैं। ऐसा ही एक हत्या का मामला

गांव सहतपुरा, थाना मंगलौर के अन्तर्गत संजय पुत्र श्री कांशीराम अनुसूचित जाति का प्रकाश में आया है। जिसकी लाश दिनांक 5–5–2001 में एक राजबाहे से बरामद हुई। मृतक दिनांक 3–5–2001 को खेत में पानी देने गया था, जिसके 2 दिन लापता रहने के बाद लाश बरामद हुई, दो व्यक्तियों के खिलाफ थाने में मंगलौर में नामजद रिपोर्ट हुई। उस केस के सम्बन्ध में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई जिससे जनता आंदोलित है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व प्रसंग पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा करा ली जाने की मांग करता हूँ।

मान्यवर, वैसे तो कानून व्यवस्था की हरिद्वार जिले से सम्बन्धित कई मुद्दे सदन में उठ चुके हैं और बार–बार घटना होना यह बड़ा गम्भीर विषय है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं। एक व्यवस्था थी गांव नगला गोयल के सम्बन्ध में, अहतर सिंह के मकान में डकैती पड़ी और जिसमें केस की फाइनल रिपोर्ट लगाकर के रफादफा कर दिया गया था। उस केस को रीओपन किया। जांच चल रही है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कहीं इसमें ऐसा न हो जाये, 5 तारीख में मुकदमा दर्ज हुआ और अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इतना होता है कि यदि कोई इन्चार्ज काम नहीं करता तो दूसरा बदल दिया, लेकिन प्रभावी कार्यवाही कोई हो नहीं रही है और नामजद रिपोर्ट भी है। मजे की बात यह है कि इस केस के सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट है और वह भी प्रूफ के साथ है और इसमें कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस गम्भीर मसले के सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये। मेरा आपसे निवेदन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मृतक का कोई झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसकी लाश वहां पर मिली राजबाहे के पास और उसमें जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है। उसमें गला घोटने से उनकी मृत्यु पाई गई है। इसलिए इस पर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष जी–

मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रकरण है। यह श्री जयवीर सिंह राणा, यह रहने वाले हैं बागपुर के और मान्यवर, मेरठ में इनका एक जौहर फारूक सिद्दीकी, जो इनके कभी साथी भी नहीं रहे तो यह गैंग कैसे काम कर रहा है, तो इनके सामने समस्यायें आईं कि एक मेरा भांजा है। मेरा पुत्र है इसकी मैं नौकरी लगवाना चाहता हूं। उत्तरांचल नया राज्य बना है तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी दोनों की लगवा देंगे और उन्होंने एक हरिद्वार के शर्मा जी हैं जिनका मान्यवर, मैंने नोटिस में बता भी दिया है, नाम भी दिया है, टेलीफोन नम्बर भी दिया है, खत देकर शर्मा जी के पास भेज दिया और मान्यवर यह कहा कि शर्मा जी नौकरी लगवा देंगे, शर्मा जी ने कोई कर्नल थपलियाल बता दिया जो शिवालिक नगर में रहते हैं। वह थपलियाल साहब के पास पहुंचे, थपलियाल साहब ने उन्हें गाड़ी में घुमाया और कहा नौकरी लग जायेगी और मान्यवर, गम्भीर प्रकरण यह है कि वह उसको सचिवालय में देहरादून अपने साथ लेकर आये। सचिवालय में जाने के बाद .....

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कुछ नेताओं से मिलकर उन्होंने यह काम पक्का कर लिया कि भाई इसकी एप्रोच तो बड़ी है। सचिवालय में भी ले आया और यहां नेताओं से भी मिलवा दिया। नौकरी तो ये लगवा देंगे और उनसे उन नेताओं को जिनसे मिलवाया, पैसा दिलाया, अपने आप लिया। 5 लाख रुपया दो नौकरियों के लिए जयवीर राणा से इस गैंग ने लिए और यह केवल कहने की बात इसलिए नहीं है कि ये मैं आपकी पीठ पर प्रस्तुत कर दूंगा, आप चाहें तो मुख्यमंत्री जी को भेज दीजिएगा। ये शपथ–पत्र देकर जयवीर राणा ने बात कही है। मान्यवर, पहले तो उसने लगातार यह कोशिश की कि किसी तरह से अगर नौकरी नहीं लगी तो मेरा पैसा वापस मिल जाये। तमाम तांत्रिक हरिद्वार के बुला कर डराया, धमकाया और उसके साथ उसने यह भी कहा कि दो लाल बत्ती की गाड़ी भी उसके घर पर आती जाती दिखाई दी। अब ये किसकी थी, ये उसने अपनी जानकारी के अनुसार इस प्रार्थना–पत्र में लिखा है। बहरहाल ये जाँच का विषय है। उसने एक गंभीर बात ये भी अपने प्रार्थना–पत्र में लिखी है कि ये गैंग केवल नौकरी लगवाने का काम नहीं करता। जो मैंने इनके पास रह कर देखा है। ये गैंग पूरे भारत में फैला है। दिल्ली में भी उनके आदमी हैं। जो पेट्रोल पम्प दिलवाने के नाम पर भी ठगी करते हैं। गैस एजेन्सी दिलाने के नाम पर भी ठगी करते हैं और इस तरीके से भोले–भाले लोगों को ये लूटने का काम कर रहे हैं। ये सर्वविदित तथ्य आज के युग में है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत भारी है और साथ–साथ कन्ज्यूमरी के इस बढ़ते युग में पैसे की लालसा भी बहुत है। कोई पेट्रोल पम्प कहीं से मिल जाए, कुछ न करना पड़े। पेट्रोल पम्प की बंधी हुई आमदनी आती रहे, हम उससे अपना गुजारा कर लेंगे। गैस एजेंसी मिल जाए तो हमारा गुजारा भली प्रकार हो जाये। तो हम लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर हमारा शोषण कर रहे हैं।

मान्यवर, अगर ये पेट्रोल पम्प की बात होती तो दूसरी बात होती, लेकिन उत्तरांचल के नाम पर 5 लाख रुपया नौकरी के लिए ले लेना। यहां सचिवालय तक लाना, कुछ लोगों से यहां मिलवाना। अगर इस गिरोह को नहीं पकड़ा गया, इसकी सही जांच नहीं हुई और इनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही नहीं हुई कि भविष्य में कोई ये चेष्टा नहीं करे, तो हमारे इस नवगठित राज्य की जो प्रतिष्ठा है, ये उस पर दाग भी लगाएगा और यहां के लोगों का शोषण भी होगा। ये गंभीर प्रकरण मैंने नियम 58 के अन्तर्गत उठाने की बात कही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा लें। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, जिससे उत्तरांचल का भी मामला जुड़ा है और लोगों का शोषण भी जुड़ा हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, एक गंभीर घटना की ओर माननीय अम्बरीष कुमार जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने नाम भी लिए हैं। जौहर फारुक सिद्दीकी, मेरठ, श्री आर०के० शर्मा, बिल्केश्वर कालोनी, हरिद्वार। दूरभाष नम्बर भी दिया है, से मिलवाना, कहा कि ये तुम्हारा काम करा देंगे। एस०पी० से सेवानिवृत्त हुए हैं वो, जिनके बारे में बताया और शर्मा ने इन्हें श्री थपलियाल, निवासी शिवालिक नगर, बी०एच०ई०एल० से मिलवाया और इन लोगों ने दो गाड़ियां भी देखी, उनके नम्बर शायद नोट किए होंगे। लेकिन मान्यवर, मेरे पास सूचना है कि उसमें कोई रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं है। अगर रिपोर्ट दर्ज हो गयी होती तो जिस तरह से अभी हमारी पुलिस काम कर रही है, 24 घण्टे के अन्दर पुलिस का हाथ उन तक पहुंच जाता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लाल बत्ती का लालच दिखाकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो वो बचेंगे नहीं।

उत्तरांचल में उन लोगों के लिए जो प्रॉपर जगह है, वहां पहुंच जायेंगे, नजदीक ही है। .....

मान्यवर, यदि लाल बत्ती वाले भी इसमें शामिल होंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जब उसका प्रार्थना–पत्र है तो उसको दर्ज करवा दें और इस पूरे गैंग का पता लगवायें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करूँगा कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाये। मान्यवर, उत्तरांचल में 17 पॉलीटेक्निक हैं, जिसमें से 16 राजकीय हैं और एक सहायता प्राप्त है। सरकार का यह दायित्व है कि वहां के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से हो। मान्यवर, मैं जानकारी दे रहा हूं कि जनवरी से लेकर आज तक 4 महीने हो गये हैं वहां के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सरकार नहीं कर पाई है, जिसके कारण वे कुण्ठाग्रस्त हैं। मान्यवर, एक कन्हैयालाल पॉलीटेक्निक है, इसका परीक्षाफल अच्छा रहता है, अनुशासन के मामले में भी यह ठीक है। मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर यह जानना चाहता हूं कि वेतन का भुगतान नियमित रूप से शासन क्यों नहीं करा पा रहा है। मान्यवर, 16 वहां राजकीय पॉलीटेक्निक हैं और एक सहायता प्राप्त है जिसके वेतन का प्रबंध वहां सरकार करती है। वहां के प्रबंधन ने यह प्रस्ताव किया है कि इसे भी सरकार अधिग्रहित कर ले। मान्यवर, काजी जी कहते हैं कि हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग माना जाता है तो मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, न तो अविलम्बनीय है, न तात्कालिक है। जनवरी के अब तक 15.64 लाख रुपये शासन द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। आपकी सूचना पुरानी है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, वे कल ही मेरे पास आये थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, कल ही पैसा निर्गत किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 9 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। राज्य के गठन को 6 माह व्यतीत हो चुके हैं। उत्तरांचल राज्य में स्थित देहरादून के ऐतिहासिक सर्किट हाउस तथा नैनीताल स्थित "नैनीताल क्लब" अब विशिष्ट अतिथियों–मेहमानों एवं अति

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। देहरादून का सर्किट हाउस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू की स्मृतियों को संजोए हुए एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सारी दुनिया में जाना जाता है। नेहरू जी की लेखनी में दून घाटी का एक विशिष्ट स्थान रहा है और अन्ततः अपने जीवन के अन्तिम दिनों में देहरादून की स्मृतियों को अपने में संजोए हुए वह ब्रह्मलीन हो गये। इस ऐतिहासिक सर्किट हाउस को सुरक्षित रखने में यह सरकार पूर्णतया असफल रही है। संवेदनशील सरकार संवेदनशील मुद्दों पर समझौता नहीं करती है, परन्तु देहरादून के सर्किट हाउस की अव्यवस्था ने सरकार की संवेदनहीनता का परिचय दिया है।

नैनीताल क्लब भारत के सभी माननीय विधायकों, मंत्रियों एवं सचिवों को सदैव उपलब्ध रहा है, परन्तु आज स्थिति यह हो गई है कि यदि नैनीताल में सरकारी काम-काज हेतु मंत्रीगण, सचिव एवं विधायकगण जायें तो बचे खुचे तीसरी कैटेगरी के कक्ष ही रहने को मिलेंगे। यदि वे भी तब तक खाली रह गये तो। हमारा सरकार से जानने का यह अधिकार है कि देहरादून के सर्किट हाउस और नैनीताल के नैनीताल क्लब को विशिष्ट मेहमानों, मंत्रियों, विधायकों को उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है या सरकार की असहाय स्थिति एवं विवशता हमारी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को मूल रूप में सुरक्षित रखने में असमर्थ है।

नैनीताल क्लब ब्रिटिश काल में बनाया गया विक्टोरियन शैली का एक अनूठा नमूना है। इसी क्लब के पंत सदन में भारत रत्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्व0 पंडित गोविन्द बल्लभ पंत का आवास था। क्या सरकार इन ऐतिहासिक अमूल्य निधियों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का दायित्व निभा पायी? इन दोनों ही ऐतिहासिक भवनों के प्रति सरकार की उदासीनता से जन जीवन में रोष एवं आक्रोश है। राज्य गठन की शुभबेला में इतनी दयनीय स्थिति के लिए जनमानस तैयार नहीं था।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य रोककर चर्चा कराई जाये। .....

मान्यवर, यह मेरे मन की भावना नहीं है, हमारे बहुत से साथी इसे नहीं कह पायेंगे, क्योंकि मुझे यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ पंत सदन को देखकर, आज वहाँ पर उनका स्मारक बन जाना चाहिये था। नये राज्य में हम महान सपूत को कोई श्रद्धांजलि या कोई उसके ऐतिहासिक नाम पर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। मैं इस समय सारे भाव में उस बात को नहीं कह रही हूँ लेकिन मान्यवर, क्या यह व्यवस्था करना भी हमारा दायित्व था। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्थिति क्या है। देहरादून राजधानी बनी, नैनीताल में विभिन्न व्यवस्थायें हुई। कल पूरे नैनीताल में हड़ताल थी क्योंकि बोट क्लब हाउस और आई-हास्पिटल को तोड़ने के निर्देश दे दिये गये। बोट क्लब हाउस की एक ऐतिहासिक स्थिति है। मुझे नहीं मालूम कि गृह विभाग, उत्तरांचल से आपके पास सूचना आयी है या नहीं आयी है। आप अपने उत्तर में बहुत सारी बात कह दें।

विधायक बनने के बाद जब हम कमेटी में जाते थे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कहां रुकते थे, उनके हाथ की लिखी हुई पंक्तियां वहां पर हैं। 200-300 वर्ष पुराने पेड़ थे, उनकी लेखनी जो वहां पर प्रस्फुटित हुई, आज उसकी स्थिति क्या है? उसकी जो

अल्मारी, शीशे और जो उसके एन्टीक हैं, जिसके हाल में जो प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं, पता नहीं किस जमाने की बनी हुई हैं, बर्मा के टीक की बनी हैं या कहां के टीक की बनी हैं, उतना एक्सपर्टहाइज तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो जानने की कोशिश की है, विधायक के रूप में जब हम जाते थे, कमरा नम्बर–1 खुलवाकर देखा तो कहा गया कि नहीं देंगे। अगर आज यह पता चल जाय कि सर्किट हाऊस में कमरा नहीं मिल पायेगा। यहां पर जो मंत्रिगण, विधायकगण या सचिव हैं, उन्हें पता हो कि अब नैनीताल क्लब में नहीं मिल सकता है, नैनीताल क्लब के जो काटेजेज हैं, वह नहीं मिल सकता है, कमरे भी नहीं मिल सकते हैं, जिन कमरों में विधायकों के रहने की व्यवस्था, उनमें कर्मचारी तो रहेंगे ही। एक काटेज तो मा० मुख्यमंत्री जी के नाम पर था, एक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से था और एक पंत सदन के नाम से था। आज मा० मुख्यमंत्री जी आपके लिए कोई आवास नहीं है। आप अगर नैनीताल जायें तो आपको बरदाश्त करना ही है। हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री जी थे और जो मुख्यमंत्री जी के आवास के नाम से जाना जाने वाला था, विक्टोरियल आर्किटेक्ट में बना। आज वहां पर बहुत सारी सामग्री जैसे पेन्टिंग, आर्ट्स, आज इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। इन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

यह सर्किट हाउस देश की आजादी और दुनिया की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की वहां पर लेखनी चलती थी। जहां पर हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जी पूजा किया करते थे। श्री वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में एक प्रस्ताव आया था कि एक बार सचिवालय वहां बने, परन्तु वह व्यवहारिक रूप से नहीं हो सका। आजादी की लड़ाई में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी ने लाठियां खायी, उनकी गर्दन हिलती रहती थी, क्या उस सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हम कर पाये। .....

..... कल जब हड़ताल हुई और लोगों ने यह जानकारी दी कि साहब बोट हाउस क्लब टूट रहा है। आई–हास्पिटल टूट रहा है। हमारी सीमायें हैं और उन सीमाओं को क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो मान्यवर, आप भी समझ रहे हैं। आपकी भी सीमायें बंध गई हैं, लेकिन इतनी मजबूर और असहाय स्थिति नहीं है। इनकी व्यवस्था की जाती है, कृपया यह धरोहर यह चीजें खाली कर दी जाये। विधायक, मंत्री, सचिव जो यहां बैठे हैं उनके स्थान को छीनकर विवशता के आधार पर किसी अन्य को न दी जाये और वह संस्कृति धरोहर जिनके नाम से हो वह प्रथम कक्ष बन्द रहता है। मुख्यमंत्री होने के नाते विशेष व्यक्तियों को मिलता है, उन्हीं के लिये आवंटित रहने दिया जाये। हमारे छोटे व्यक्ति भी जाकर उसमें रहें, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन मान्यवर, इसलिए हम पर आवास की व्यवस्था नहीं है और उसको तोड़कर उसमें किचन बनाकर उसकी दुर्दशा होती जा रही है और मान्यवर, हमने नैनीताल जाना छोड़ दिया और मान्यवर, यदि ये शासन में रहते हुये आपने यह व्यवस्था नहीं की तो हमें तो लगता है कि नैनीताल में भी जाना हम लोगों का छूटेगा। मान्यवर, कृपा करिये इन सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करिए। मैं आपकी कठिनाई भी जानती हूं। मैंने जानकर आपके ध्यान को बहुत वेदना के साथ सदन में आकर्षित किया है और माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त के प्रति जो श्रद्धा जुड़ी है देश को उससे वंचित न करें, इसलिये मैंने इसे 56 के नियम में लाकर ध्यान आकर्षित किया है और मैं चाहूंगी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान्यवर इस पर आप चर्चा कराइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, पहले तो मैं माननीया श्रीमती इंदिरा जी ने कल की घटना की जो बात बतायी है, उसे पहले स्पष्ट कर दूं। कोई लिखित आदेश तो हाई कोर्ट का नहीं है। हाई कोर्ट ने किसी रेफरेन्स के अन्दर कहा था कि नैनीताल झील के आसपास कुछ गलत निर्माण हुए हैं। वह समाप्त होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष और अखबार की किस न्यूज के ऊपर ऐसा उन्होंने कहा। उसके अन्दर मैंने आज डी०एम० से बात की थी, डी०एम० ने कहा कि एक–दो ऐसे भवन हैं जो बहुत पहले ही, कई बार उनके ऊपर आपत्ति हुई कि ये गलत है और उनको तोड़ना चाहिए, तो उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात हुई थी। बोट क्लब के बारे में वास्तव में नहीं कहा है और न नैनी मन्दिर के लिए कहा, पब्लिक तो कह रही है। मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि वहां पर जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, उनसे मिलकर हाई कोर्ट के पास हमारी यह बात पहुंचाएं कि सरकार इस सब के बारे में पूरी तरह से जागरूक है और हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ हमारे स्मारकों और कुछ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब मैं आपको अपनी विवशताएं भी बता देता हूं। देखिए एक ओर हाई कोर्ट है, एक ओर हाई कोर्ट का आदेश होता है, उसका पालन करना हमारे अधिकारियों का कर्तव्य हो जाता है। अब मैं वहां पर यह भी नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो मान्यवर, हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं, उसके बारे में वह वहां पर देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वहां के नागरिकों और जन जीवन के ऊपर कोई ऐसा असर न हो।

अब दो बातें मैं आखिर में कहूंगा। पहले तो आपने हमारा यहां जो सर्किट हाउस है उसकी बात कही है। मान्यवर, उत्तरांचल की राजधानी अभी अस्थायी है। अगर हम यहां पर निर्माण करते हैं तो हमारे कुछ बंधु आपत्ति करेंगे और कहेंगे कि अभी तो अस्थायी है तो आप निर्माण क्यों कर रहे हैं। हमारी बड़ी मुसीबत है। मैं तो यहां पर आपको इसलिए भी बता दूं, आप इस बात को अन्यथा न लें, हम महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन कर सकते हैं लेकिन महामहिम राज्यपाल के लिए भी कोई उपयुक्त स्थान चाहिए। जो हमने उनको स्थान दिया था, उन्होंने मुझे बताया कि वह उनके लिये उपयुक्त नहीं है। मैंने उनसे यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री का जो आवास है उसमें मैं नहीं रह रहा हूं आप कृपा करके उसे लेना चाहें तो ले लें। उन्होंने कहा कि उसमें भी दो कमरे हैं, ज्यादा नहीं है। यह भी हम व्यवस्था करने की सोच रहे हैं।

मान्यवर, यह भी हम व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल स्वयं संवेदनशील हैं और एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप वहां पर रह रहे हैं। वह स्वयं समझते हैं इस बात को जो आप कह रहे हैं। मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा भिज्ञ हूं और संवेदनशील भी हूं। मान्यवर, पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने जीवन के अन्तिम दो–तीन दिन पहले देहरादून में दो–चार पंक्तियां लिखी हैं, वह ऐतिहासिक हैं। उसके बाद वह यहां से बीमार गये थे, दिल्ली जाकर वो बीमारी से उठे नहीं, उनका दुखद देहान्त हो गया। उन पंक्तियों को हम बनाये रखना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी एक प्रश्न के ऊपर अपनी लेखनी से कुछ अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, जो हमारा सर्किट हाउस है, वह संभवतः हमारे भारत वर्ष के अन्दर सबसे अधिक सुन्दर सर्किट हाउस है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल जी रह रहे हैं, उसमें कोई

तोड़–फोड़ नहीं हो रही है। उसके अन्दर हमारे ऐतिहारिक स्थान हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, न बाग को और न फूलों को। वे बहुत ही सुलझे हुए बहुत ही समझदार और बहुत ही वरिष्ठ व्यक्तियों में से हैं। किसी मजबूरी में रह रहे हैं। यदि ऐसा हो गया और हम अपनी राजधानी के बारे में कोई निर्णय किसी समय कर पाये तो वह अपने आप ही उस स्थान पर चले जाएंगे जो उनके लिए तय होगा। जहां तक नैनीताल क्लब का प्रश्न है, कुछ कमरे इस समय हाई कोर्ट के आधिपत्य में हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सभी कॉटेज सहित और पंत सदन सहित। मुख्यमंत्री कॉटेज है कि नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी तो आपके घर में भी रह लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस विषय को यहां पर विवाद का विषय न बनाया जाए। क्योंकि यह इतना संवेदनशील मामला है। हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम अपने नैनीताल क्लब को सुरक्षित रखें। इस समय मैं जितना कम कहूं, उतना अच्छा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं, इसे अग्राह्य करता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करके जो वहां पर पंत सदन है, उसका रिनोवेशन हो।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 8 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का छठा अधिनियम बन गया। .....

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 लेने से पहले वह प्रस्ताव ले लें।

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों में नाम निर्देशन का अधिकार माननीय अध्यक्ष को दिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "यह सदन प्रस्ताव करता है कि माननीय अध्यक्ष, उत्तरांचल विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान सभा की

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के प्राविधानों के अधीन वर्ष 2001–2002 के लिए सदन की जिन–जिन समितियों का गठन करना चाहे तथा ऐसी समितियां जिनमें निर्वाचन कराये जाने का प्राविधान है, सदन ऐसी समितियों में नाम निर्देशन का अधिकार माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को देता है और इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि यदि माननीय अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझें तो समितियों के निर्धारित सदस्यों की संख्या में कमी कर सकते हैं।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा की जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चूंकि आपका भाषण जारी था इसलिए आप अपनी चर्चा जारी रखें।

बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा एवं मतदान

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह संकल्प जो मेरे द्वारा रखा गया है, जिस पर चर्चा हो रही है इससे मैं ही नहीं, इस पक्ष और उस पक्ष दोनों के सामने यह समस्या है। मान्यवर, हम लोग

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक निवास के रूप में द्रोण होटल में रहते हैं तो 10, 20, 30, 40 क्रमशः लोगों का आना जारी रहता है। कुछ छंटनीशुदा के नाम पर आते हैं, कुछ डेलीवेजेज के हैं वे भी आते हैं, कुछ नया रोजगार पाने की तलाश में आते हैं। आज प्रमुख रूप से वे लोग आये जिन लोगों को उत्तरांचल राज्य के आंदोलन के समय गोलियां लगी थी। ऐसे 14 व्यक्ति आये। इसकी प्रमाणिकता तो सरकार के पास होगी। उन्होंने कहा हमें ये-ये गोलियां लगी हैं, कुछ को 20 हजार रुपये की राहत मिली थी, हमें नहीं मिली। मैंने कहा क्या तुम्हें 20 हजार चाहिए। उन्होंने कहा 20 हजार हमें नहीं चाहिए, हम को आप नौकरी दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि इस राज्य के गठन में हमारा योगदान रहा है। अपने शरीर से वस्त्र हटाकर कन्धा, पैर जहां कहीं भी उनको गोली लगी थी, दिखाना शुरू कर दिया। वे अपना सर्टिफिकेट भी दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के गठन में हम लोगों का इतना बड़ा बलिदान है तो हमको इसके गठन का सेनानी मानते हुए इतना पुरस्कृत तो आप सरकार से करवाईये कि हम को रोजगार का अवसर मिल जाये। यह समस्या केवल मेरे पास ही नहीं, सरकार के पास भी आये दिन ऐसे लोग आते रहते हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की एक विशेष संस्कृति रही कि वहां लड़का पढ़ पढ़ाकर चाहे बाहर चला गया या पर्वतीय क्षेत्र में मनीआर्डर इकोनामी रहे या तो सेना में चले गये, जो बच गये कर्मचारी या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले वे लोग नहीं रहे और सरकारी नौकरियों के प्रति उनका आकर्षण रहा। यद्यपि काफी वरिष्ठ हमारे लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सरकारी नौकरियां सब के लिए सम्भव नहीं है, लेकिन मान्यवर, सरकारी नौकरी नहीं सम्भव हो पायेगी, यह मैं भी जानती हूँ और हमें ऐसा समझना चाहिए। पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। बहुत सारे रोजगार के अवसर वन विभाग में हो सकते हैं, तमाम और तरह की योजनाएं आएंगी, भारत सरकार की योजनाएं आएंगी। लेकिन इनको वे अस्थाई रोजगार मानते हैं और अस्थाई रोजगार के प्रति उनका रूझान नहीं है। हम लोगों को रोजगार 2-3 साल के लिए दें तो उससे रोजगार छीने नहीं।

माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी राय यही रखते हैं लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते यह कठिनाई है कि शिक्षक मित्र और शिक्षक बंधु की व्यवस्था की। इस क्षेत्र में बहुत पंगे होने के नाते मैं जानती हूँ कि वे भी स्थाई नौकरी के पक्ष में हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। 5000 नियुक्तियों की बात की थी इसलिए उन्होंने सदन में अपनी आत्मा की आवाज पर चीफ मिनिस्टर के नाते यह कहा कि नितांत अस्थाई है, हम स्थाई व्यवस्था करेंगे और जो लोग व्यक्तिगत भी मिलने जाते हैं उनसे भी कहते हैं कि हटाया नहीं जायेगा, लेकिन मान्यवर, नियम-कानून तो अपना काम करेगा। स्थाई जो होंगे 10 महीने या 11 महीने के बाद उनकी दिक्कतें हैं। यदि वे स्थाई हों तो उनकी कैटेगरी भी उस स्थिति में आये। ऐसे स्थिति पैदा नहीं हो पा रही है कि जो तमाम बेरोजगार लोग हैं, वे सीमित नहीं हैं, वे इतने अधिक हैं, उनकी एक फौज है। उन्हें हम न स्वरोजगार दे पा रहे हैं, न हम उन्हें रोजगार दे पा रहे हैं, न हम उन्हें स्थाई नियुक्ति दे पा रहे हैं और आपने यहां कृपापूर्वक जो सदन में यह कहा कि जो नर्सें हैं जो हमारे यहां आयुर्वेद के डिग्री होल्डर डाक्टर हैं, हम उन सब को समायोजित करेंगे क्योंकि आपको आवश्यकता है। जो रिक्तियां बताई जाती हैं जैसे आपने पुलिस में रिक्तियां बताई हैं, शिक्षा में रिक्तियां बताई हैं। .....

..... मान्यवर, इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में मा0 मंत्री जी ने उत्तर देते हुए रिक्तियां बतायी हैं, ऐसे ही सिंचाई के क्षेत्र में रिक्तियां बतायी, ऐसे ही वन विभाग में

रिक्तियां बतायी, कोई विभाग ऐसा नहीं जहाँ रिक्तियां नहीं हैं। लेकिन उनके तत्काल चयन की प्रक्रिया के प्रति हो सकता है राजस्व आड़े आये, लेकिन रखना तो पड़ेगा ही। जैसे– मान लीजिए नया राज्य बना तो सचिवालय में आज भी हमारी पीठ से मा0 अध्यक्ष जी भी कह देते हैं कि यह ठीक है, मिलना चाहिए, परम्परा है, नियम है लेकिन कुछ दिन हमारे साथ इसमें सहयोग करियें अगले सत्र से मिलेगा। मान्यवर, यह प्रश्न हमारे माध्यम से नहीं यह संदेश आपके द्वारा जनता में चला गया। यह समयबद्ध मैंने इसलिए रखा कि हम आपसे यह अपेक्षा करें कि अचानक आप एक एनाउन्समेंट कर देंगे कि यहा कोई बेरोजगार नहीं रहेगा तो यह सम्भव किसी सरकार के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये तो मान्यवर, समयबद्ध कार्यक्रम जैसे आपने पांच हजार की घोषणा की। आप इसका उत्तर देते हुए कह सकते हैं पांच हजार हमने ये किये। इसके बाद हम एक हजार पुलिस में ले रहे हैं। मान्यवर, बेरोजगारों की जो संख्या है उसका अनुपात में एक प्रतिशत बैठता है या नहीं इसका मूल्यांकन करना होगा, अगर यह एक प्रतिशत है तो इससे संतोष का मैसेज मिल जाता है, न इससे जो हमारी रिक्तियां हैं उसकी पूर्ति हो पा रही है क्योंकि मान लीजिए आपने राजकीय क्षेत्र में कार्य कर दिया तो जो गैर सरकारी इन्स्टीट्यूशन हैं उसमें 30 प्रतिशत रिक्तियां हैं जिन्हें मैनेजमेंट 800, 900 तथा 1000 रुपये देकर एक तरह से शोषण है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे संस्थान नहीं हैं कि 5, 7, 10 टीचर को अपने पास से पैसा दे सकें तो ऐसे सहायता प्राप्त इन्स्टीट्यूशन भी 30 से 35 प्रतिशत पूरे उ0प्र0 में खुले हैं उत्तरांचल में भी इनकी संख्या अधिक है, राजकीय से अधिक सहायता प्राप्त की। इसके बाद जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक रोज ही घूमते हैं और आज भी आ रहे हैं कि साहब हमारे ग्रान्टीनेट का क्या होगा क्योंकि उसके बाद उन्हें सरकारी तनख्वाह मिलनी प्रारम्भ होगी। फिर वह कहते हैं सीनियर्टी की सूची कैसे बनेगी, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। वे लोग तमाम काम बता गये मैंने कहा दो बजे आना चिट्ठी लिख दूंगी कि जब मान्यता मिलेगी, उन्होंने कहा साहब मान्यता के उन्होंने तीन अर्थ निकाल रखे हैं, लोग अब इतने तरह के रिबूमर्श, इतने तरह के मैसेज से सुसज्जित हो जाते हैं और भयाक्रान्त हैं कि कोई अवसर मिलना चाहिए उसमें वह छूट तो नहीं जायेंगे। अगर वह छूट जायेंगे तो दोबारा उन्हें अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो उ0प्र0 में भी शायद यह कहती–कहती काफी उनकी खुशामद भी करती हूँ, दौड़ते हुए भी हम नहीं गिरेंगे। 1991 में नियुक्त राज्य कर्मचारी और शिक्षक विनियमित हो जाये वह भी इसी का हिस्सा है। ये कन्टीन्यू सेवा में हैं जो कन्टीन्यू सेवा में तीन वर्षों से हैं, कानून कहता है आप उन्हें निकाल नहीं सकते तो उसको वेतनवृद्धि, सेलेक्शन ग्रेड से क्यों वंचित कर रहे हैं, क्यों उसको जी0पी0एफ0 कटाने से वंचित कर रहे हैं। वहां तो कभी कार्मिक जाओ, तो फिर वित्त विभाग में जाओ कहते हैं कल होगा, परसों होगा।

मान्यवर, अब हमारे छोटे राज्य में राज्य कर्मचारी की स्थिति क्या होगी आपकी राय क्या है, खासकर जो हमारे जनप्रतिनिधि पर्वतीय क्षेत्र से आये हैं जो हमारे प्रतिनिधि पर्वतीय क्षेत्र से हैं उन्हें राज्य कर्मचारी और शिक्षक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं पूरी तरह से उसकी व्यवस्था और सारा निर्णय उनके द्वारा प्रभावी होंगे। ये हम लोग जो पर्वतीय क्षेत्र से आये हैं।

मान्यवर, जो शिक्षक और राज्य कर्मचारी राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए हैं उनसे व्यवस्था प्रभावित होगी। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, सरकार से, इस व्यवस्था को एक तो वह व्यवस्था को जो अनियमित प्रकार से चल रही है उसको आप दूर कर दें, कुछ यश ले लीजिए। सत्ता में बने रहने का यदि मन लेकर आये हैं और अगर यह यश लेने को तैयार नहीं हैं तो वह तैयार बैठे हैं अभी आये थे। उ0प्र0 में जो विकल्पधारी पर्वतीय क्षेत्र के वन विभाग के कर्मचारी हैं, वह आज घूम रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरा तो विकल्प बनता है तो मैंने कहा यहाँ वाले तो नहीं गये, तो उत्तर तो मैंने आपकी तरफ से दिया ठीक है, वन मंत्री जी चाहते हैं तो उसने चिट्ठी पकड़ाई किसी और ही दिन औचित्य का विषय बनेगा या नहीं बनेगा आप से पूछ लूँगी। मैंने उससे कहा वन मंत्री जी बड़े हैं या सचिव? तो उन्होंने कहा वन मंत्री जी। तो मैंने कहा जो वन मंत्री जी अपने सचिव से काम न करा पायें, उसका क्या होगा। मैंने कहा वन मंत्री तो सरकार में खुद ही बड़े हैं। नौकरशाह जो हमारे आदेश का पालन करता है मान्यवर, आप उनका पालन करा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या से हम भी अवगत हैं, माननीय सदस्या को इस बात की चिन्ता है, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। इस पर कई बार प्रश्न भी हो चुके हैं, तारांकित प्रश्न हुये हैं और कई बार यह बातें उठ भी चुकी हैं और हमने हर बार यही बताया कि सरकार को इस बात की चिन्ता है और हमारा पूरा प्रयास है कि बेरोजगारी की यह जो समस्या है इससे पूरी तरह से निबटेंगे। बेरोजगारी के कई कारण हैं, लेकिन कारणों में न जाकर के, मैं तो यही बताना चाहूँगा। कि अभी तक जो भी प्रयास किये गये हैं सरकार द्वारा, उनका हल्का सा विवरण देना चाहूँगा, नया राज्य बना है, नये विभाग बने हैं, विभागों का रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, अब प्रयास यह किया जा रहा है कि आंकड़े तैयार हो कि हर विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों पर नौकरी देने की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, आप अवगत हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो चुका है, लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका है, एक पारदर्शी सिस्टम हम देना चाहते हैं, प्रदेश में सभी प्रकार की नियुक्तियां होंगी चाहे वह समूह "क" की हो, "ख" की हो या "ग" की हो। किसी भी समूह की हों, सभी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेंगी, समय लगेगा इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन रोजगार के जो भी साधन उपलब्ध करा सकते हैं उसके लिए हम बिल्कुल सत्यनिष्ठ हैं और हम कृतसंकल्प भी हैं कि हमारा एक–एक काम इस प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक हजार पद पुलिस में और शिक्षा विभाग में 5 हजार पद क्रियेट किये गये हैं। पुलिस विभाग में व अन्य सभी विभागों में रिक्तियां हैं, उन पर भर्तियां होंगी, उन पर लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। बेरोजगारी तो हर समाज की कठिनाई होती है। बेरोजगारी की समस्या से कोई ऐसा समाज नहीं है जो जूझ नहीं रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हताश होकर मैदान को छोड़ दें। जो सबसे विकसित समाज है, पश्चिमी समाज, अमेरिका में जाइये, यूरोप में जाइये कहीं भी जाइये। उनकी भी बेरोजगारी की समस्या है। दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग इससे जूझ रहे हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। .....

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। जब हम पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हैं तो शायद यह हमारे लिये उचित नहीं है। वहाँ 3–4 प्रतिशत तक बेरोजगारी है, हम अपने यहाँ प्रतिशत तक नहीं बता पाए।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बता दूँ कि अमेरिका की बेरोजगारी 7 प्रतिशत है, इंग्लैंड में भी बेरोजगारी की समस्या 6–7 प्रतिशत है।

–व्यवधान–

श्री अध्यक्ष–

आपस में बातचीत न करें, पीठ की तरफ देख कर बात करें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, वहाँ भी बेरोजगारी है, क्योंकि पूरी दुनिया में रोजगार का पैटर्न बदल रहा है। जिस किस्म के रोजगार आज क्रिएट हो रहे हैं, उस प्रकार का काम करने वाले लोग अमेरिका में भी नहीं हैं। हिन्दुस्तान में भी रोजगार के पैटर्न बदल रहे हैं, तो मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या से हम अवगत हैं हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम बना रहें हैं। उद्योग–धन्धों के लिए नीति हम बना रहे हैं। नये उद्योग–धन्धे स्थापित होंगे, नये रोजगार के साधन मुहैया होंगे। जितने उद्योग–धन्धे उत्तरांचल में स्थापित होने की गुंजाइश है, इस समय, मेरा ख्याल हैं अन्य प्रदेशों में नहीं है। हमारी एक उदार उद्योग नीति आने वाली है। उद्योग तो तभी पनपेंगे जब नीति उदार होगी। नीति किसी सरकार का बैरोमीटर होता है, उद्योग–धन्धे पनपने के लिए या न पनपने के लिए। तो हमारी जो उदार नीति बनेगी उसका लाभ हमारे उद्यमियों को मिलेगा, और कई उद्योगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आई0टी0 हमारे पास आयेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास आयेगी। मैंने आज लोगों को एक चिट्ठी भी लिखी। एपरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉउन्सिल ने प्रॉमिस किया है हमें, कि हम यहाँ पर 150 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, और एक–एक यूनिट में कम से कम 600 आदमी काम करने वाले होंगे। इस प्रकार रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

पर्यटन हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय बनने वाला है। इसमें स्वरोजगार मिलेगा– टैक्सी ड्राइवर के रूप में, होटल स्वामियों के रूप में, दूध बेचने वाले के रूप में, इस प्रकार से तमाम लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जड़ी–बूटी के माध्यम से भी हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हमारे पहाड़ों में जो जंगल है उनमें जड़ी–बूटियों का जो भण्डार है उनका हम उपयोग करेंगे। इस तरह का एक शोध संस्थान बनाने की योजना है। वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम है और यह हमारा संकल्प भी है। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई जिज्ञासा का बड़े विस्तार से जवाब दिया है। मान्यवर, हमारे यहाँ 1 लाख 75 हजार बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं।

हमारे यहाँ एक दिक्कत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, यानि वह बाबू या टीचर बनना चाहता है। स्वरोजगार की ओर कोई जाना नहीं चाहता है। आप सभी लोग विदेश जा चुके होंगे। विदेशों में डिग्निटी ऑफ लेबर है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि हमारे यहां ऐसा नहीं है। यहाँ किसी लड़के से आप कहें कि थैला लेकर बाजार से सामान ले आओ तो वह थैला लेकर बाजार जाने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। लड़का थैला लेकर बाजार जाना नहीं चाहता है। इसलिये यह दिक्कत आ रही है। दूसरी बात मान्यवर, हमारे उत्तरांचल के जिन लोगों को राज्य गठन के आन्दोलन के समय गोली लगी, जिन लोगों का दुखद देहान्त हो गया, जो शहीद हो गये। उसमें से 26 लोगों को हमने नौकरी दे दी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने कुछ–कुछ रूपये दिये हैं। मान्यवर, हो यह रहा है कि जो आदमी किसी वजह से भी जेल गया, वह भी कह रहा है कि मैं उत्तरांचल के आंदोलन के कारण जेल गया। मेरा कहना यह है कि हमारे बहुत से लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उनको छांटना मुश्किल है। हमारे बहुत से बंधु–बहनें जुलूस निकालते थे तो शाम को अखबार वालों से पूछते थे कि मेरा नाम अखबार में छपा या नहीं। तो मान्यवर, केवल जुलूस निकालने वालों को, जुलूस में शामिल होने वालों को नौकरी तो नहीं दी जा सकती। .....

मान्यवर, दूसरा मैंने अभी बताया कि शिक्षा के अन्दर अभी तक हम लोगों ने साढ़े पांच हजार के करीब लोगों को काम दिया है। शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र और विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत, इन लोगों के बारे में हम हर एक जगह यह कह रहे हैं कि जिनकी अर्हता है वह एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा उन लोगों को, हम फिर दोबारा सेलेक्शन कर देंगे, लेकिन जो बिल्कुल अर्हता नहीं रखता होगा उसकी बात तो अलग है, वो भी रहेंगे। अभी पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको हम ले लेंगे तो हर विभाग के अन्दर जैसे–जैसे जगह होगी वैसे–वैसे उन लोगों को उनकी अर्हता के हिसाब से ले लेंगे। मान्यवर, बेरोजगारी तो सारे विश्व की समस्या है, यहाँ की भी समस्या है। अब हम लोगों ने चाय बगान के अन्दर 22 हजार लोगों को नौकरी देने का प्राविधान कर दिया है, लगभग 100 लोग काम पर रखे भी गये हैं। मशरूम की खेती के अन्दर 10 हजार लोगों को काम देने का हमने निर्णय लिया है। काम तो बहुत मिलेगा लेकिन दिक्कत वही है अधिक मेहनत का काम करने से परहेज करता है। इसलिए मान्यवर, जो यह प्रस्ताव रखा है आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसको कृपया आप वापस ले लें। मान्यवर, सरकार इसकी ओर जागरूक है, अगर मान लो हम जागरूक नहीं होंगे तो हम लोगों का इस सरकार में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है, हम अपने नौजवानों को, जो बेरोजगार हैं, अगर उनको काम देने पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग न्याय नहीं करेंगे। इसलिए सरकार पूरी तरह जागरूक है, जैसे–जैसे काम मिलता जायेगा हम उनको काम देंगे। इसलिए कृपापूर्वक आप इसको विद्ड्रॉ कर लीजिए।

*काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, दो–एक रोज पहले श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने शहीद केशरी चन्द्र गढ़वाली जी के सम्मान में एक शोक प्रस्ताव पास कराया था, मैंने उसमें कहा था कि शहीद का कोई इलाका नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता वह केवल देश का होता है और

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शहीद केवल वह होता है जो देश पर अपनी जान देता है। माननीय नेता सदन ने उसका समर्थन किया था, तो मेरा कहना यह है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने उत्तरांचल के लिए जद्दोजहद की। शहीद के अलावा अगर कोई इससे बड़ा शब्द चाहें तो रख लें और शहीद उन्हीं के लिए रहने दें तो बड़ी कृपा होगी और अपनी कही हुई बात पर कायम रहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी ने उदारतापूर्वक बहुत से रोजगार बताये और मिलने की सम्भावनायें भी उनके प्रति बतायी, मान्यवर, सत्ता से जनता की अपेक्षा है। मान्यवर, जब यह परिस्थिति आ जायेगी कि 10–20 हजार लोगों को रोजगार मिल जायेगा तो उस दिन हम यहाँ धन्यवाद का भी प्रस्ताव लायेंगे, तो मान्यवर, इस प्रकार आप अपने विचार जान लें क्योंकि ये संकल्प तो निरन्तरता का है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के जातिगत प्रतिशत के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा एवं मतदान

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के जातिगत प्रतिशत के आधार पर हो।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर आपका विचार जारी रहेगा।

(अब हम 3.00 बजे तक के लिये उठते हैं)

(सदन 1 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

भोजनावकाश

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

*श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हमारा जो पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश था, उसमें आरक्षण की एक नीति थी। अब हमारा राज्य अलग है, हमारी आरक्षण नीति बनना बहुत आवश्यक है। उस नीति में मेरा मत है कि जो वर्ग, जो जाति जिस रूप में सकल आबादी का जो प्रतिशत है, उसके अनुसार हमको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के पीछे जो

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाव है, शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, जो हमारे संविधान की भावना है कि जो लोग दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था जो हमारी सरकारी नौकरियाँ हैं, संस्थाओं में जो नौकरियाँ हैं और शैक्षिक संस्थाओं में, उसी के आधार पर सकल जनसंख्या के अनुसार उसको किया जाये। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य नया बना है, यहां पर अब सेवाएं अलग रूप में होंगी। बहुत सी नौकरियों में, संस्थाओं में लोग आएंगे, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए और हर राज्य में अलग–अलग आरक्षण के प्रतिशत हैं। उत्तर प्रदेश में भी था। संविधान के अनुसार जितनी भी हमारी जातियाँ हैं, जितने भी हमारे वर्ग हैं, उनके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सारी व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश का संदर्भ लें, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पर है।

अब हमारा उत्तरांचल अलग राज्य बन गया है। हमारी सामाजिक संरचना अलग है। हम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हम केवल यह कहते हैं कि इस माननीय सदन के द्वारा जातियों के जो वर्ग हैं, उनकी सकल जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिशत है, उसके अनुसार यहां पर आरक्षण किया जाए और आरक्षण की व्यवस्था को तुरन्त लागू किया जाए। ताकि जो भी नौकरियाँ हैं उनमें इसको लागू किया जा सके। मेरा मानना है कि अभी उत्तरांचल शासन ने एक कमेटी का भी गठन किया, उसमें भी सर्वेक्षण हुआ, क्या–क्या होगा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है क्या कैसे होना है, इसका स्वरूप भी निर्धारित होना चाहिए। लेकिन इसके पहले भी एक शासकीय बैठक हुई जिसमें श्री आर0एस0 टोलिया, श्री इंदू पाण्डेय और राकेश शर्मा जी थे, और उन्होंने एक कमेटी बनाकर दिसम्बर में इसका परीक्षण किया, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भी और जो यहाँ हो सकता है, उसके अनुसार भी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसका भी संज्ञान लिया जाए। उन्होंने सारा अध्ययन करके उसको बनाया होगा। मैं कुछ ज्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहता, मैं केवल यह चाहता हूँ कि चूँकि यह हमारा नया प्रदेश बना है और नये प्रदेश में नयी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो आरक्षण इसमें प्रमुख है, हम रोज यहाँ यही बात करते हैं, जो हमारी नौकरियाँ हैं, हमारी संस्थाएं हैं, उनमें लोग लगेंगे, तो उसमें न्याय हो सके, सब जातियों, सब वर्गों के साथ। इस अपेक्षा के साथ मैंने यह संकल्प रखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार और इस सदन के सभी लोग इस संकल्प को, चूँकि यह उत्तरांचल के हित से जुड़ा है, स्वीकार करें, यह मेरा निवेदन है। .....

*श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री भारत सिंह रावत द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। आरक्षण के मामले में इसका क्या प्रतिशत हो, उसके बारे में विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन आरक्षण का लाभ किसको मिले, इसके बारे में भी विचार करना बहुत जरूरी है। मान्यवर, जब से आरक्षण की व्यवस्था हुई तब से यह अनुभव में आया कि किसी–किसी परिवार को आरक्षण का लाभ तो मिल गया, लेकिन आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन तक आरक्षण की रोशनी पहुँची ही नहीं। मान्यवर, जिन परिवारों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है यह व्यवस्था सुनिश्चित

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जाये कि उन्हें दोबारा यह लाभ न मिले। मान्यवर, होता यह है कि जिसको आरक्षण मिल गया, उसकी पत्नी को भी आरक्षण मिला, उसकी लड़की को भी आरक्षण मिला, उसके नाती-पोतों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है जबकि दूसरे परिवार में किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, यह असमानता हो रही है। लगभग 90 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को आरक्षण की सुविधा नहीं मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुविधाजनक स्थानों पर है, अपने परिवार के लिए वे आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात है। आरक्षण हो इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन आरक्षण का लाभ एक परिवार को एक ही बार मिलना चाहिए। जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, नियुक्ति में उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब हमारा उत्तरांचल राज्य बना है तो अब आरक्षण के सम्बन्ध में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि जिनको आरक्षण का कोई लाभ आज तक नहीं मिला उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मान्यवर, ओ0बी0सी0 में कुछ जातियाँ ऐसी है जो हमारे पहाड़ों में बहुत सम्पन्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें पिछड़े वर्ग की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। जब कि वे सम्पन्नता की दृष्टि से आरक्षण की हकदार नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि यहां पर उन जातियों का, उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करने के बाद अगर गलती से कुछ जातियाँ इसमें शामिल हो गई है तो उनको उससे हटा दिया जाये। जो आरक्षण के वाकई पात्र है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। .....

..... मान्यवर, जहाँ तक आरक्षण की बात है अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाय तो बहुत ही उत्तम रहेगा। जो गरीब है और उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों के परिवारों की स्थिति से भी बहुत दयनीय है उनको दो जून की रोटी नसीब नहीं है। अगर हम आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर दें तो, एक तो उससे जातिगत विषमतायें दूर होंगी, जो सामाजिक तनाव है, सामाजिक असमानता की जो बात की जा रही है वह भी दूर होगी। हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, वे गरीबी की श्रेणी में नहीं आते उन्हें जबरदस्ती आरक्षण मिल रहा है और बहुत से अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं, वे आरक्षण के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब चाहे किसी भी जाति का हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिये हमें आर्थिक आधार तय करना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो निश्चित रूप से जो समाज के दबे कुचले लोग हैं जो ऐसा तबका है, चाहे आप किसी जाति से जोड़कर देख लीजिए उसको सहारा मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मा0 रावत जी ने जो संकल्प किया है, आरक्षण के बारे में उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, और सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि आरक्षण के संबंध में नया मानक निर्धारित किया जाय, नया आधार तैयार किया जाय, इससे उत्तरांचल की जनता में एक अच्छा संदेश जायेगा और भविष्य के लिए जिन परिवारों को अब तक सब सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा उनको न्याय मिलेगा। इसी के साथ मैं इस संकल्प पर बल देता हूँ और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।

*श्री ज्ञान चन्द-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री भारत सिंह रावत जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुए इस प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों के लिए जो प्रतिशत के आधार पर आरक्षण देने की जो बात है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश का जो 2001 में सर्वेक्षण हुआ है, लेकिन उस सर्वेक्षण का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है और इससे पूर्व 17, 18 प्रतिशत जो अनुसूचित जाति होने का जो दावा किया है, मैं मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी से इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि आज भी इस प्रदेश के अन्दर ऐसी जातियाँ हैं जो अन्य स्टेटों से आकर जो लोग यहां पर बसे हुए हैं उनको वहां पर जो आरक्षण की सुविधा दी जाती थी जो उसमें सर्वे हुआ है, मान्यवर, कई ऐसी जातियाँ हैं। मान्यवर, मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ। मा0 समाज कल्याण मंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात है, जिसको जानबूझकर इस समय जो सर्वेक्षण है वह अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं लिया गया और अन्य स्टेटों में उनको जो सुविधायें दी जा रही हैं, वहाँ से उनको प्रमाण–पत्र मिला है। मान्यवर, उनको इनक्लूड नहीं किया गया। मैं तो इसको एक साजिश कहना चाहूँगा। मैं यह नहीं समझता हूँ कि हमारा उत्तरांचल राज्य बन गया है और मान्यवर, अगर केन्द्र सरकार ने उसको विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की है तो इसमें भी अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य के कारण दिया गया है। इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जे में तो ऐसी जातियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

हरिद्वार हमारे साथ इसलिए जुड़ा, हरिद्वार में बताया जाता है कि वहाँ 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, क्या यह सर्वेक्षण सही हुआ? मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी जो इसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उस कमेटी ने आज तक कौन सी रिपोर्ट दी है। मान्यवर, उस कमेटी में कौन–कौन मेम्बर हैं और कितने वहाँ पर अनुसूचित जाति के मेम्बर रहे, मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि 3 मेम्बर हैं एक अनुसूचित जाति का मेम्बर है, मैं इस बात को निश्चित जानकारी के साथ कहता चाहता हूँ अभी माननीय जोशी जी कह रहे थे वह उनकी अपनी जानकारी है। मैं भी चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ, आज जो चकराता का क्षेत्र है, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी वहाँ से विधायक हैं, 91 से हम लोग साथ–साथ उत्तर प्रदेश के विधान सभा से चुनकर आये हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्थितियां हैं, एक विशेष क्षेत्र को दिया गया है, जनजाति के नाम पर और वहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति क्या है एक सर्वेक्षण करा लें, चकराता क्षेत्र कोई दूर नहीं है। वहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वहाँ आज सर्विस में कितने लोग हैं, कितने आई0ए0एस0, कितने पी0सी0एस0 हैं, कितने डा0 हैं, कितने इंजीनियर हैं। वहाँ आज भी उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, उनकी स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और इसीलिये जाति के आधार पर एक ट्रेड के आधार देश में जो लोग जिस काम को करते थे उस आधार पर जाति को सुविधायें दी गई हैं तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो सर्वेक्षण हुआ वह 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ, अनुसूचित जातियों को, जनजाति को, पिछड़ी हुई जाति को और अल्पसंख्यकों को नौकरी में भी और अन्य जगह में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हमारे देश के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति का एक मंत्रालय है और कई स्टेटों में भी मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पर मंत्रालय खत्म कर दिया गया है। जनजाति निगम खत्म कर दिये गये

हैं जो कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखता था, उसको खत्म कर दिया। एक समाज कल्याण विभाग बना दिया और समाज कल्याण विभाग में सारे लोग आते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कि आप इस विषय में गौर करें कि वास्तव में आने वाले समय में ऐसा मैसेज न दें, उत्तरांचल राज्य में कोई अनुसूचित जाति और जनजाति को पूछने वाला नहीं है, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो हमारी कमेटी बनी है उस कमेटी की आज तक क्या रिपोर्ट आई है वह भी माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई है, कौन उस कमेटी का मेम्बर है और जो सिड्यूल बना है उस सिड्यूल में कौन-कौन यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं और किन लोगों को चिन्हित किया गया। जिस प्रकार से बंगाली लोगों की बात आई है कि बंगाली लोगों को अनुसूचित जाति में लिया जाये तो ऐसी और कितनी जातियाँ हैं जिन लोगों को चिन्हित किया गया है जो बाहर से आये हैं। आज 50-60 फीसदी के अन्दर जो है अनुसूचित जाति यह सारे वर्ग के लोग यहाँ पर हैं उनको उसी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।

समाज कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री नारायण राम दास)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि एक संकल्प 13-2 में भी आया है, माननीय श्री राम सिंह सैनी जी का है और ये दोनों संकल्प एक ही विषय से संबंधित होने के कारण एक साथ ही अगर सुना जायेगा तो उत्तर देने में सुगमता होगी।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे प्रदेश के क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल कालेजों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किये जाने के संबंध में श्री राम सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प

*श्री राम सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे प्रदेश के क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल कालेजों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।"

मान्यवर, जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिस समय भारत वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त इस प्रकार के उपेक्षित लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और मान्यवर, चाहे पिछड़े वर्गों के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, सबने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया क्योंकि सामाजिक न्याय उनके साथ नहीं हो रहा था और उसी परिकल्पना के साथ उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आप आज के युग में भी देखिए, अब्दुल हमीद साहब जैसे लोगों ने जो कि पिछड़े वर्ग के थे, जब सन् 65 में हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो किस प्रकार की कुर्बानी दी। तो मान्यवर, आज इस उपेक्षित वर्ग के लोग, जो लोग खेतों और खलिहानों में काम करते हैं,

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनकी आर्थिक स्थिति आप जानते हैं, बड़ी सोचनीय है। इन लोगों को बहुत लम्बे संघर्ष के बाद माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को 15 प्रतिशत आरक्षण उन्होंने स्वीकृत किया था। तत्पश्चात् मंडल कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर माननीय मुलायम सिंह जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया।

मान्यवर, यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे शैक्षिक संस्थान हैं, चाहे वो मेडिकल कालेज हों, इंजीनियरिंग कालेज हों, डिग्री कालेज हों, उनके प्रवेश में भी 27 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को सुनिश्चित किया गया था। परन्तु अभी उत्तरांचल में जहां तक मुझे सूचना मिली है मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि 9 से 11 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जायेगा। मान्यवर, यह उनके साथ एक घोर अन्याय है। एक कमेटी बनी है, मैं कहना चाहता हूँ, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, जब उत्तरांचल का सुरूर लोगों के दिमाग में था तो हरिद्वार को उसमें शामिल नहीं किया गया था। मान्यवर, मेरे यहां जितने भी ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, चाहे उसमें सैनी हैं, चाहे गुर्जर हैं, चाहे यादव हैं, इसी तरह से हमारे माइनॉरिटी के लोग अन्सारी वगैरह सारे के सारे, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हमारे हरिद्वार में, मैं समझता हूँ लगभग 60–65 फीसदी लोग पिछड़े वर्ग के हैं। इसी तरह से मैंने अभी यह जानकारी प्राप्त की कि जनसंख्या का क्या मापदण्ड होगा। मुझे बताया गया कि यहां पंचायत के चुनाव से पहले कोई रैपिड सर्वे हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी वो रैपिड सर्वे त्रुटिपूर्ण था। उसमें किसी की जाति नहीं लिखी गयी। किसी से यह नहीं पूछा गया कि उसकी जाति क्या है ? किसी ने अहिर बता दिया, छोड़ दिया गया, यादव बता दिया, छोड़ दिया गया। तो मान्यवर, उस रैपिड सर्वे का कोई आधार नहीं होना चाहिए। .....

मान्यवर, तो इस प्रकार से जल्दी में उठाया गया कदम सरकार की नीति निर्धारण करेगा तो घोर असंतोष समाज में व्याप्त होगा। चाहे वह अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो निश्चित रूप से उनमें असंतोष व्याप्त होगा।

अब अनुसूचित जाति के लोगों को 21 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हुआ था कि अनुसूचित जातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाये। पिछड़े वर्ग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है कि जो लोग पिछड़े हैं उनको 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है उसका निर्णय हमारी सरकार को मानना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां 84 लाख जनसंख्या है। इसका पुनः सर्वे करा दिया जाये जो तथ्यपरक हो, साईन्टिफिक हो और शासन जो यह समझता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 27 प्रतिशत से कम है तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां 40 प्रतिशत उत्तरांचल में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है। एक ऐसा सर्वे हो जो सत्य हो तो इस प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। हम कह सकेंगे कि न्यायसंगत निर्णय यहां लिया गया है। केवल सरकारी नौकरियों में नहीं, सरकारी सेवाओं में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थाओं में, मेडिकल कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज में सीटों का आरक्षण दिया जाये। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

*श्री ईसम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भारत सिंह रावत जी के संकल्प के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात है तो इस सन्दर्भ में वैसे तो 1952 के समय में अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी और उसमें मुख्यतः 4 बिन्दु रखे गये थे कि ऐसी जातियां जिनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक दृष्टि से जिनको गिराया गया है, उनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाये। भारतीय संविधान की धारा 15, 16 में यह प्रावधान भी है। पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत यह प्रावधान है और इस सम्बन्ध में काफी जद्दोजहद चली है विशेषकर पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में। काका कालेकर की रिपोर्ट 1957 में आई और उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। 1988 में बी०पी० मंडल आयोग के माध्यम से गठन हुआ, 1980 में उसकी रिपोर्ट सदन में रखी गई और कहीं जाकर 1989 में यह व्यवस्था दी गई कि पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। पिछड़े वर्ग की जातियों के सम्बन्ध में 3743 जातियां बताई गई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। यदि काका कालेकर की रिपोर्ट का आधार लें तो उसमें 38 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है। मंडल की बात करें तो उसमें 52 प्रतिशत की बात कही गई थी कि पिछड़े वर्ग के लिए 52 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।.....

.....मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के आधार पर यह बात 27 प्रतिशत की कही गयी है, जनप्रतिनिधियों ने माना है और जनता ने माना है, तो मेरा इसमें यह मत है कि जहां तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात है, वैसे तो अनुसूचित जनजाति के बारे में 7 प्रतिशत की आरक्षण की बात कही गई है और अनुसूचित जाति के बारे में 21 प्रतिशत की बात कही गई है। पिछड़े वर्ग के बारे में 27 प्रतिशत की बात कही गई है। चाहे वह शिक्षण संस्थायें हों, या सर्विसेज हों, या राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, हर एक क्षेत्र में यह प्राविधान किया गया है। मैं सदन में आपके माध्यम से मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि आरक्षण की जहां तक व्यवस्था की बात है तो उत्तरांचल राज्य में भी यह व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। यह हमारा मत है और मैं इसके साथ–साथ श्री राम सिंह सैनी जी के साथ अपने विचार सम्बद्ध करते हुए इस संकल्प का समर्थन में अपना मत प्रस्तुत करते हुये और मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस सदन के माध्यम से यह व्यवस्था देने की कृपा करें।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इस बात पर सीमित होकर अपनी बात कह रहा हूं। आदरणीय सैनी जी ने ओ०बी०सी० के रिजर्वेशन से सम्बन्धित जो मात्रात्मक पहलू पर प्रश्न उठाया वह बात अपने आप में काफी हद तक उसको सभी लोग स्वीकारते भी हैं कि ओ०बी०सी० का कोई सैन्सस फीगर एवलेबिल नहीं है जिसके अन्दर ओ०बी०सी० की जनगणना राष्ट्र की जनगणना के साथ कभी नहीं की गई। लिहाजा जो सवाल उठते हैं, जो विवाद पैदा होते हैं, वह ओ०बी०सी० की जो रिपोर्टेड फीगर है, उनको ले करके होता है। एकमात्र आधार जो सरकार के पास हम लोगों की बात करने के लिए जैसे इस जनपद की हम बात करें या आदरणीय सैनी जी हरिद्वार की बात करें और तत्समय पूरे उ०प्र० में

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही पूरे देश की तो हम बात नहीं कर पायेंगे, लेकिन तत्समय पूरा उ०प्र० में पंचायतों के चुनाव में भी आरक्षण का प्राविधान किया गया था। महिला आरक्षण का, ओ०बी०सी० के आरक्षण का एक रैपिड सर्वे करके कराया गया, अब उस सर्वे की आथेन्टीसिटी क्या है, इस पर तो सरकार ही सही बात बता सकती है।.....

मान्यवर, यह बात निकल कर के जरूर आती है इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, कि आज इस प्रदेश के अन्दर एक वातावरण बना है कि ओ०बी०सी० की जनसंख्या को ले करके जो फिगर अभी तक रिपोर्ट हुई है रैपिड सर्वे के आधार पर उसके बारे में लोगों की शंकायें हैं, और शंकायें बना रहना किसी भी मामले में निश्चित रूप से समाज के हित में नहीं है। इस बात का गम्भीरता से विचार होना चाहिए कि ओ०बी०सी० की जनसंख्या का ठीक से पता लगाने के लिये गणना करने के लिये फिर से कोई इंतजाम हो और उस सर्वे के आधार पर निर्धारण किया जायेगा तो निश्चित रूप से तमाम सारी शंकाओं का निराकरण हो सकता है। धन्यवाद।

श्री नारायण राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भारत सिंह रावत द्वारा संकल्प जो प्रस्तुत किया गया है उसमें माननीय सदस्यगण ने जो विचार दिये हैं और इसी पर माननीय श्री राम सिंह सैनी द्वारा जो संकल्प आया है उसमें भी जो विचार माननीय सदस्यगण का आया है उसके आधार पर हमारा विनम्र उत्तर है। चूंकि राज्य सरकार आरक्षण के मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और इसीलिये राज्य सरकार ने एक आरक्षण कमेटी बनाई हुई है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और सदस्यगण के रूप में मोहन सिंह गांववासी, माननीय अजय भट्ट, माननीय तिलक राज बेहड़ जी और माननीय मुन्ना सिंह चौहान सदस्यगण हैं, इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक आरक्षण की व्यवस्था वही रखी गई है जो उ०प्र० में विद्यमान है।

श्री ज्ञान चन्द–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी, आपकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है या आप उसके मेम्बर हैं तो आपने स्पष्ट नहीं किया। मान्यवर, यह कमेटी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के सर्वेक्षण के लिये बनी है या नहीं?

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आरक्षण कमेटी जो गठित की गई है उसको यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट देनी है उसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिये जो भी व्यवस्था उत्तरांचल सरकार करना चाहेगी वह विधि सम्मत, संविधान सम्मत से हटकर तो नहीं हो सकती और जहां तक बात आई है कुछ जातियों को यहां पर अनुसूचित जाति में नहीं लिया गया है या कुछ पिछड़े वर्ग में कुछ जातियां गलत शामिल की गई हैं या नहीं शामिल की गई हैं तो आरक्षण कमेटी को या उत्तरांचल सरकार को जातियों को शामिल करने का अधिकार नये सिरे से नहीं है, ये मामले पार्लियामेण्ट के विषय हैं।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ज्ञान चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो बात सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की माननीय मंत्री जी ने कही है, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो लोग आउट आफ स्टेट से यहां पर आये हैं और जिनको वह सुविधायें उन स्टेटों को दी जाती थी क्या उन लोगों को यहां पर आपने शामिल किया है या नहीं किया या करने का विचार है तो यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि जो जातियां छूटी हुई हैं उसका संज्ञान माननीय सदस्य अगर उत्तरांचल सरकार को या आरक्षण कमेटी को किसी को भी करा देंगे तो उसकी संस्तुति भारत सरकार को उत्तरांचल सरकार की ओर से कराने की संस्तुति हम करेंगे।

मान्यवर, राज्य किसी भी जाति को अपने ढंग से शामिल करने के लिए सक्षम नहीं है। जहां तक माननीय सैनी जी ने यह शंका व्यक्त की है कि उत्तरांचल की मंत्रि–परिषद् ने उत्तरांचल में पिछड़े वर्ग को 9 से 11 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह शंका निर्मूल है। उत्तरांचल राज्य की मंत्रि–परिषद् ने ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है और मैं तो माननीय सैनी जी और माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तरांचल सरकार ने अभी आरक्षण कमेटी की रिपोर्ट आने और उस पर विचारोपरान्त निर्णय लेने तक उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान आरक्षण नियम विद्यमान हैं, वही लागू कर रखे हैं। मेरा एक अनुरोध और है, चूंकि संकल्प दो आये और विषय एक है नियमानुसार इसकी ग्राह्यता का प्रश्न उठता है, मैं तो चाहूंगा कि यह अग्राह्य हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह तो सदन की सम्पत्ति है। सदन चाहेगा तो अग्राह्य करेगा, सदन चाहेगा तो ग्राह्य करेगा।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, चूंकि उत्तरांचल सरकार इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि संकल्पकर्ता माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, संविधान में सभी व्यवस्थाओं का, मैं संविधान का अवलोकन कर रहा था और हमारे विज्ञ माननीय सदस्यों ने भी हमारा ध्यान संविधान की ओर खींचा है और मान्यवर, यह विषय इस देश के अन्दर वर्षों–वर्षों से अनेकों बार उठा है। संविधान के आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ व्यवस्थाएं दी हैं लेकिन हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, संविधान और सुप्रीम कोर्ट से बंध गये हैं। मैं आपको एक ही बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी लोग हों, उनको संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, हमारे

जो माननीय वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसमें उन सब बातों पर विचार होगा और जो भी माननीय सदस्य अपनी बात वहां कहना चाहें, जो समिति में नहीं हैं, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं, जनता का कोई व्यक्ति भी जाकर उनसे बात करना चाहे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी भी इसलिए है कि अभी कई जगह चुनाव हैं, लेकिन ऐसी जल्दी भी नहीं है कि जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, हम उनका उल्लंघन करें। मैं आभारी हूं कि आपने बहुत ही विद्वतापूर्ण भाषण दिए। मैं अपने कमरे से सुन रहा था और माननीय भारत सिंह रावत जी हमारी बड़े विद्वान सदस्य हैं। मैं उनका आभारी हूं कि एक ऐसा सामूहिक विषय आपने उठाया लेकिन जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने एक सम्यक उत्तर दिया है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप इसे वापस ले लेंगे तो हम लोग काम करेंगे, आप हमें अवसर दीजिए।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस संकल्प को सदन के सम्मुख और शासन के सम्मुख लाने का मेरा एक ही मंतव्य था कि हमारा उत्तरांचल अलग बन गया है और जिस तरह से सारे देश में अलग–अलग राज्यों की अलग–अलग आरक्षण नीति है। उसी प्रकार से हमारी भी आरक्षण नीति लागू होनी चाहिए और जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में थे, खास कर जैसा माननीय सैनी जी ने कहा, वहां पर 27 प्रतिशत बैकवर्ड को आरक्षण मिला था। अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश में भी जो पिछड़ी जातियों की स्ट्रेटजी दी गयी थी, उसके अनुसार वो 37 प्रतिशत जनसंख्या है। .....

37 प्रतिशत जनसंख्या को 27 प्रतिशत किया। हमारी नीति भी अलग से होनी चाहिए। यह संविधान की जो भावना है पिछड़े समाज में शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिले। इस बात को लेकर जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तरांचल में जो आन्दोलन हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमको उत्तर प्रदेश में आरक्षण में दबाया जा रहा था। हमारी विशेष नीति होनी चाहिए। जैसा माननीय जोशी जी ने कहा एक कमेटी बनी है, उसमें सारा विचार किया जायेगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो गरीब हैं उनको भी हम सम्मिलित करें। सम्पन्न लोग आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, डाक्टर बन जाते हैं। जो क्रीमिलेयर है उस पर भी विचार किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं क्षमा चाहूंगा, आपने कहा कि हमें जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी है। जो कमेटी बनी है, उसमें सभी अच्छे लोग हैं, अच्छा कुछ सोचेंगे अपने प्रदेश के सम्बन्ध में। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, संविधान के अनुसार आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। काका कालेकर कमशीन बना था जिसमें 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, वी0पी0 मंडल कमीशन बना था उसमें 52 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। इन सब बिन्दुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की संस्तुति की थी। मान्यवर, 27 प्रतिशत से कम का आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोग स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के जातिगत प्रतिशत के आधार पर हो" को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि " इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे प्रदेश के क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल कालेजों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस पर मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–51 आयेगा तब इस पर विचार किया जायेगा। अभी यह मामला नहीं आया है।

(श्री ज्ञान चन्द के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप जानकारी चैम्बर में ले लीजिए, सदन में चर्चा का प्रश्न नहीं है।

उत्तरांचल में पॉलीथिन के प्रयोग, पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

*श्री अम्बरीष कुमार–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पॉलीथिन के प्रयोग, विक्रय एवं क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

मान्यवर, यह संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 48–क में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा राज्य, देश के पर्यावरण की रक्षा के संरक्षण तथा संवर्द्धन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। मान्यवर, हमारे जो संविधान निर्माता थे वे अनुभव करते थे कि मानव जीवन का पर्यावरण की

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुद्धता से सीधा–सीधा संबंध है। इसके बाद मान्यवर, उन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यह व्यवस्था की कि किसी भी राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह पर्यावरण का संवर्द्धन भी करें और पर्यावरण को शुद्ध भी रखें। लेकिन आज जो पॉलीथिन, प्लास्टिक है, मान्यवर, यह पर्यावरण के लिए सबसे गम्भीर खतरा है और पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने का काम कर रहा है यह जो पॉलीथिन बैग्स हैं, घर बाहर में फेंकते हैं, परिणाम यह होता है कि नालियाँ भी चोक होती हैं, सीवर लाइन भी चोक हो जाते हैं, फलस्वरूप गंदा पानी चारों तरफ फैलता है और मक्खी मच्छर उसमें जन्म लेते हैं। मान्यवर, जो बीमारी का कारण बनते हैं। मान्यवर, अगर बात यहीं तक सीमित होती तो इसका उपाय आसान भी रहता। मान्यवर, सम्भव भी रहता, लेकिन बात तो उससे कहीं आगे है जो नदियाँ भारत की हैं, आज उनमें भी हजारों–हजार क्विंटल पॉलीथिन विभिन्न स्थानों पर उसमें लोग फेंक रहे हैं, पूजा की सामग्री डाल रहे हैं और ज्यों का त्यों पॉलीथिन नदियों में उसको बहाने का काम करते हैं। देश के समुद्रों की तरफ देख लें, वहां भी स्थिति यही है। उड़ीसा में, बम्बई में सब जगह इस प्रकार पर एक चिन्ता व्याप्त है। यह पॉलीथिन नाम का जो राक्षस है उसका उपाय क्या है इससे हमको मुक्ति कैसे मिलेगी।

मान्यवर, उत्तरांचल आज हरिद्वार से लगाकर गंगोत्री तक देखें, जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहां पर इसका प्रयोग बहुतायत में है। गोमुख तक भी, लोगों ने बताया जहां पर कभी पॉलीथिन का दर्शन नहीं होता था, गोमुख जो हमारा एक ऐसा सबसे साफ शुद्ध स्वच्छ ग्लेशियर है। मान्यवर, उसकी पवित्रता को भी वहां के प्रदूषण को भी आज पॉलीथिन से खतरा पैदा हो गया है। आप किसी मंदिर में जाइये, मंशा देवी के मंदिर में जाइये, चंडी देवी के मंदिर में जाइये या कहीं और किसी भी मंदिर में जाइये वहां पर प्रसाद की तमाम पूजा की सामग्री भी मंशा देवी मंदिर में तो मान्यवर आप जाते हैं और देखते हैं कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहले डोरी बांधते थे अब उसके स्थान पर पॉलीथिन की थैली बांधने का काम हो गया है। दूर–दूर तक आपको पॉलीथिन ही पॉलीथिन नजर आयेगा। मान्यवर, वहां रैक टिकर्स भी नहीं है न बच्चे भी नहीं हैं जो कूड़े से पॉलीथिन को निकालते हैं। .....

तो मान्यवर, उसका परिणाम यह होता है कि उस कूड़े को वहां पर परमानेन्ट रेस्टिंग प्लेस मिल जाता है, वह कूड़ा वहां स्थाई रूप से भरा रहता है, धीरे–धीरे मिट्टी जमती है तो वह मिट्टी में दब जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि वहां पर वेजिटेशन होना बन्द हो जाता है और जो पानी सर्कुलेट होकर सीधे जमीन में जाना चाहिए वह भी नहीं जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मिट्टी को बाइण्ड करने वाली शक्ति होती है, पौधों के माध्यम से उसका भूक्षरण होता है और अन्ततः यह भूस्खलन को न्यौता देता है, अब इसके तरीके हमारे सामने क्या हैं, या तो इसकी रिसाइक्लिंग हो और रिसाइक्लिंग न हो तो यह नष्ट हो, रिसाइक्लिंग इसलिए सम्भव नहीं यह सस्ता होता है, 6 माइक्रोन की पॉलीथीन जो आज बाजार में बिकती है उसकी 250 थैली एक किलो की होती है जो मुश्किल से एक रुपया की होती है तो अगर इसको रिसाइक्लिंग करायें तो सम्भव नहीं है और अगर इसको नष्ट कर दें तो वायुमण्डल में ऐसी गैसें टॉक्सिक गैसें निकलती हैं और इसकी राख भी हानिकारक होती है तो यह गम्भीर समस्या उत्तरांचल के सामने है। क्यों कि इसका तीर्थों पर, मन्दिरों में प्रयोग बहुत बढ़ गया है तो मान्यवर, इसके

लिये लोगों ने प्रयास भी किये हैं, जन–जागरण का काम भी किया है। दिल्ली में भी किया, बम्बई में भी किया और मान्यवर 1995 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून भी बना। इसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई और इस पर रोक लगाने के साथ–साथ वहां कर भी लगाया गया और 30 परसेन्ट तक वह कर उन लोगों पर अधिक लगाया गया जो पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह भी कारगर नहीं हो पाया हमारे जो स्टेट हैं सिक्किम है, मेघालय उन्होंने भी इसके विषय में कानून बनाया और 1998 में हमारी केन्द्र सरकार ने एक कानून इसके बारे में बनाया, लेकिन हुआ क्या केन्द्र सरकार में कानून बना कि जो पॉलीथिन होगा वह 25 माइक्रोन का होगा और रिसाइक्लिंग करने के बाद भी वह 20 माइक्रोन से कम नहीं होगा तो केन्द्र सरकार ने केवल एक चीज का ध्यान रखा कि खाद्य पदार्थ अगर हम पॉलीथिन में रखते हैं तो जो टॉक्सिक डाइस इसमें होती है उनसे रोग जो वेस्ट मैनेजमेण्ट का एक तरीका है उसके जो नियम हैं यह उसके सर्वथा विपरीत था, क्योंकि पहले तो हम 6 माइक्रोन की पॉलीथिन से लड़ रहे थे और अब 25 माइक्रोन के बन रहे हैं, रिसाइक्लिंग के बाद भी वह रहेगा, कम से कम यह गवर्नमेण्ट का प्रावधान उस कानून में था, लेकिन वह 20 रहेगा इसको कौन देखने वाला है, उन्होंने कहा कि जो भारतीय मानक संस्थान है वह इसका अनुसरण करेगा, लेकिन आज जिस तरीके से पॉलीथिन की रिसाइक्लिंग की व्यवस्था है और मान्यवर, दूसरी सबसे बड़ी जो चीज थी जिस पहलू की उसमें उपेक्षा की गई वह यह कि यह पर्यावरण को दूषित करता है, इसका नष्ट होने का कोई तरीका नहीं है हमारे उत्तरांचल राज्य में हमारा नेशनल पार्क भी है और मान्यवर, यह भी देखा जाता है कि इस नेशनल पार्क में पर्यटक जाते हैं तो मान्यवर, अपने साथ पॉलीथिन ले जाते हैं और जो चीतल हैं, दूसरे छोटे जानवर हैं वह उन पॉलीथिन को खाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु होती है।

अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे और मैंने भी उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सभापति विधान परिषद् के थे, और सेन्ट्रल हॉल में प्रदर्शनी लगी थी जिसमें यह दिखाया गया था कि जो लखनऊ में पॉलीथिन खा रही है गाय, वह खाकर मर गई और एक–एक गाय के पेट से 40–40 किलो पॉलीथिन बरामद हुआ उनके खाने के बाद भी वह नष्ट नहीं हुआ यह आज पॉलीथीन की स्थिति है। हमारे इस प्रदेश में विशेषकर है और पूरे देश में है।

मान्यवर, इसलिए मैं इस संकल्प के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसमें मल्टी फैसिट काम होना चाहिए। जन–जागरण का काम कैसे हो? हम स्कूल के बच्चों को, सामाजिक लोगों को, स्वयं सेवी संगठनों को, अनाथ आश्रमों को और जो हमारे धार्मिक लोग हैं, उनको इन्वाल्व करने का काम करें, जिसके आधार पर मान्यवर, अभी केरल में सबरी माता मन्दिर है, वहां पर मंदिर के अधिकारियों ने अपने परिसर में पूर्णतया पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इस प्रकार का काम हमारे धार्मिक स्थलों में भी हो, हम उनको भी इसमें शामिल करें, उनकी भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करें और इसके साथ–साथ इस प्रकार का कानून भी बनाने का काम करें, इस पर प्रतिबंध रहेगा और तीसरी बात मान्यवर, यह है कि हम इसका विकल्प भी ढूंढने का काम करें। जिससे हमारा वह प्रतिबन्ध, यह जन–जागरण कामयाब भी हो सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कागज के प्रयोग को बढ़ावा दें, गत्ते के प्रयोग को बढ़ावा दें और मान्यवर, मेरी तो यह जानकारी है कि हमारा जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार है, उसके अन्तर्गत जो इंडियन जूट बोर्ड है, उन्होंने भी ऑफर किया था कि

हम पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी इस पर कुछ काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को सम्मिलित करके अगर हम इस राक्षस से छुटकारा पा सकें और यह हमारे लिए इसलिए संभव है कि छोटा राज्य है, प्रभावकारी ढंग से हम विकल्प भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कानून बनाकर प्रभावी रोक भी लगा सकते हैं और आसानी से जन–जागरण भी कर सकते हैं। तो मान्यवर, मेरा यह विचार है कि उत्तरांचल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। पॉलीथिन का प्रयोग इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। निश्चित रूप से पॉलीथिन एक ऐसी वस्तु है, जो बिल्कुल नष्ट नहीं होती। आज कस्बों में, शहरों में जो पॉलीथिन का प्रयोग बढ़ रहा है, उपयोग करने के पश्चात् पॉलीथिन नालों इत्यादि में फेंक दिया जाता है, जो बहने वाले गन्दे पानी को रोकता है और गन्दगी को फैलाता है। इसी प्रकार से जो इसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है, यह एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। उत्तरांचल राज्य में विशेष रूप से समस्या और भी गम्भीर है जब हम यहां से ऊपर पहाड़ की ओर जाते हैं तो वहां खाइयों में, रास्तों में यह पॉलीथिन बैग मिलते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं और अनेक प्रकार से इसका कुप्रभाव हमें दिखाई देता है। यह भी एक सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र में इसे बीनने की कोई व्यवस्था नहीं है और इनकी एक पर्त सी जम रही है, धरती पर, उससे जो पानी जमीन में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है और एक फिल्म सी बनती जा रही है, वह आने वाले समय में और भी समस्याएं खड़ी करेगी। .....

मान्यवर, अनेक स्तरों पर और केन्द्र सरकार द्वारा भी इसे खत्म करने तथा निरूत्साहित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसका सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। ऋषिकेश में भी एक व्यापक अभियान चलाया गया था। देहरादून में भी स्कूली बच्चों द्वारा कागज के लिफाफे बांट कर पॉलीथिन पर रोक लगाने की अपील की गई। एक अन्य संस्था एन0आई0एस0 के छात्रों ने भी एक रैली निकाली थी और जन–जागरण का अभियान चलाया था। देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के अभियान चलाये गये हैं, परन्तु आज जो उसका प्रचार–प्रसार और उपयोग है, जो सुविधा के रूप में दिखाई देता है तो इसे खत्म करना असम्भव सा लगता है और वह विकराल रूप दिन प्रतिदिन धारण कर रहा है। जिस प्रदर्शनी का उल्लेख माननीय अम्बरीष जी ने किया मुझे भी उसे देखने का अवसर मिला। फोटो के माध्यम से जो चित्र प्रदर्शित किये गये कि गाय के पेट में कई किलो पॉलीथिन पाई और गाय के मरने के बाद भी वह नष्ट नहीं हुई। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(श्री बंशीधर भगत के सदन के अंदर पत्रकार से मिलने जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह परम्परा ठीक नहीं है)

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी ने जो संकल्प रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। मान्यवर, जो विचार माननीय कपूर जी ने व्यक्त

किये है मैं कहना चाहता हूं कि कितना प्रदूषण इससे फैलता है, कितनी बीमारियां इससे
फैलती हैं, बड़े–बड़े शहरों में जो सीवरेज है उसमें यह फंस जाता है उससे सारी सीवरेज
चोक हो जाती हैं, इससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं
मानता हूं कि जन–जागरण का कुछ प्रभाव होता है। मान्यवर, फैमिली प्लानिंग का कितना
प्रचार हो रहा है, सरकार ने कितना पैसा इसके जन–जागरण पर खर्च किया, किन्तु फिर
भी उसका कितना असर पड रहा है। क्यों न पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाये।
इसके नष्ट होने की पूरी सम्भावना हमारे इस छोटे राज्य उत्तरांचल में है। इस दानव का
खात्मा इस प्रदेश से हो जायेगा। .....

..... मान्यवर, मैं जो श्री अम्बरीष कुमार जी ने, मा0 कपूर जी ने विचार व्यक्त किये
हैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। ये पॉलीथिन जो है राक्षस के रूप में सारे
वातावरण को दूषित कर रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कोई लाभ नहीं
है, सारी की सारी हानियां है। मान्यवर, इसके क्रय पर इसके विक्रय पर और इसके प्रयोग
पर प्रतिबन्ध लगना ही चाहिए।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मा0 अम्बरीष जी ने संकल्प
प्रस्तुत किया है ये हम सभी की चिन्ता का विषय है और वैसे तो देखा जाय न केवल इस
प्रदेश में और न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज एक गम्भीर चिन्ता का विषय
बन गया है उसको पॉलीथिन हम लोग कह लें पॉलीथिन एक पॉलीथिन की थैली मात्र तक
ही सीमित नहीं है। जितना भी पॉलिमर है इस श्रेणी का, उससे चाहे डिब्बा बनता हो चाहे
थैली हो यह बेसिकली बायोडिग्रेडेबिल नहीं है अर्थात् ये सड़गल करके जो बायोमास है
उसमें मिल नहीं सकता है, यह इसकी बुनियादी खराबी है, यहीं से यह सवाल उत्पन्न होता
है कि इसके वेस्ट के डिसपोजल का क्या इंतजाम हो यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
मान्यवर, चूंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ पॉलिमर्स मैंने इसलिए कहा, नष्ट नहीं होता है।
वैज्ञानिक स्तर पर भी इसके बारे में गम्भीर चिन्तन हुआ, विचार–विमर्श हुआ लेकिन इसका
कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसका रास्ता है तो वह आत्मनियंत्रण है। आज हमारे सामने
दो स्थितियां है किसी भी तरह वह खत्म हो नहीं सकता। कभी–कभी लोग सैल्फ
डिसैपशन, की प्रेक्टिस में चले जाते हैं, हम लोग समझते हैं जला देंगे खत्म हो जायेगा।
इसी सदन के अन्दर तमाम सारे मुल्कों में भी जो दुनिया के अन्दर पहली दफा एक सम्मिट
हुआ, जिसको सेव अर्थ सम्मिट कहा गया था उसके अन्दर भी इस बात के ऊपर चिन्ता
व्यक्त की।

दुनिया के अन्दर हमारा जो आवरण है, जो कुदरत ने दिया है, जिसे हम ओजोन
लेयर कहते हैं जो एक नीली छतरी के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ है, जो सूरज
के खतरनाक एल्ट्रावाइलट रेडिएशन हैं उससे हमारे शरीर की मानव मात्र की रक्षा करता
है। पॉलिथिन को हम जलाते हैं तो जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है इसी
तरह से तमाम पाल्यूशन हैं, ईंधन के जलने से हो या क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स है
सी0एफ0सी0 जिसको बोला जाता है जिसमें हमारा एयर कन्डीशन भी है जिसके नीचे हम
आराम से बैठे हुए है इसकी भी बाद में डिस्पोजल की समस्या है क्योंकि इसके अन्दर जो
गैस है, इनेट गैस उसको बोलते हैं, सी0एफ0सी0 ये जब यहां से खराब हो करके फेंका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा तो इसकी भी समस्या है डिस्पोजल की जो ओजोन लेयर है उसके लिए यह घातक है और मान्यवर, अन्टार्टिका जो ध्रुव है उसके ऊपर भी ओजोन लेयर के ऊपर छेद हो गया है यदि और पॉलिथिन को जलायेंगे तो इसका भी प्रभाव लगभग वही निकलेगा तो यह अम्बरीष जी ने तो ठीक कहा। सम्भवतः भारत सरकार ने उसको केवल खाद्य पदार्थों में व्हाइट पॉलिथिन को रखा इसका मतलब जो 25 माइक्रोन से नीचे आयेगा उसका कोई न कोई अंश थोड़ा सा खाद्य पदार्थों में मिलकर निकल करके आता है, वह हमारे शरीर में जायेगा। लेकिन वह इनवायरमेंटल प्वाइन्ट ऑफ व्यूज है, इसके ऊपर नहीं सोचा गया इसका कोई तरीका नहीं है जितना हम कह रहे हैं, इसका एक ही तरीका है, हम इसके प्रयोग को बन्द करें। .....

.... इसके प्रयोग को बन्द करें। स्वेच्छा से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कानून बनाकर बन्द करें। एक बात जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि, माननीय कपूर जी के प्रश्न के उत्तर में कई बार कहा आपने उचित ही कहा यह ऐसा राक्षस है, जिसकी मौत सम्भव नहीं है, इसका एक ही उपाय है कि राक्षस पैदा न हो, इससे बचा जाये तो श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि कम से कम जैसे, मैं इस प्रदेश के अन्दर की बात करूं, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी इस मसले पर कई बार हमारी चर्चायें हुई, ज्यादातर, यह सुअवसर रहा कि वन पर्यावरण विषयों पर ज्यादातर यह सुअवसर रहा कि हम लोग विपक्ष की तरफ से कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा करते रहे तो वहां भी इस बात के लिए चर्चा होती थी। गंगा जी के ऊपर जाते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर की तरफ तो एक गंगोत्री एक्शन प्लान के तहत एक छोटी सी कार्य योजना चली थी कि गंगोत्री तीर्थ रास्ते पर जितनी पॉलीथिन बिखरती चली जाती है वह एक एन0जी0ओ0 के माध्यम से भारत सरकार ने उसमें वित्त पोषण किया था कि उस पॉलीथिन वगैरह को ठीक करेंगे, लेकिन पॉलीथिन कहां तक सीमित रहेगी हम लोग पार्टीज करते हैं वहां पानी पियेंगे उसी के गिलास में अब पानी के भी छोटे गिलास पैक होकर आने लगे उसको भी कोई नष्ट करने का तरीका है नहीं, परम्परागत रूप से कांच के गिलास को, स्टील के गिलास को आदि को हमने तिलांजलि दे दी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको सार्वजनिक स्थानों पर जो हम समारोह करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक प्रतिबंध हमें लगाना पड़ेगा, विकल्प तो साइंटिफिक कम्यूनिटी बताएगी। ऐसा नहीं था कि पहले खाना नहीं खाते थे, खाद्य पदार्थों की पैकिंग नहीं होती थी वह सब होता था। जूट के बैग थे उसी जूट के बैग के ऊपर जिसे कहा जाता है वाटर रैजिस्टेंट कोटिंग जिस चीज की लगाई जाती थी वो वाटर रैजिस्टेंट कोटिंग यह था कि उसके अन्दर पानी भरता था तो आसानी के साथ वह पानी के अन्दर रिएक्ट नहीं करता था जब तक उसके साथ एक डिग्री ऑफ फ्रिक्शन इन्वाल्व न हो, बिल्कुल रगड़ कर के निकाला जायेगा, लेकिन, तो कम से कम यहां पर आप इतना प्रबन्ध कर दें कि जो लूज पैकिंग है, उसे प्रतिबंधित कर दें, कानून बना दें, अभी उ0प्र0 में विधान सभा में एक कानून आया था हम उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करा पाये उसके अन्दर नगरपालिका लोकल बॉडी को दण्ड देने का अधिकार किया गया था, वह पानी के सर्कुलेशन को रोकता है, एक लेयर बनती चली जा रही है, उसके बाद उसमें वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है, वाटर की रन ऑफ कंडीशन बढ़ जाते हैं, यह तकनीकी पहलू है, इस पर हम इसको सोशल एक्सपर्ट पर ज्यादा कन्सन्ट्रेट करें और उसके लिये जरूरी है कहीं न कहीं इसकी शक्ति का परिचय हम लोगों को देना पड़ेगा, शक्ति का परिचय नहीं

देंगे तो ठीक है इसके अच्छे परिणाम नहीं आयेंगे। लेकिन लूज पॉलीथीन एक फर्क की बात दिखाई नहीं देनी चाहिए ऐसा नहीं है, लूज पॉलीथीन का मतलब है कि उसके अन्दर हम वही चीज ले जा सकते हैं जो पॉलीथीन के बिना भी ले जा सकते हैं, हम बाजार से दूध ले जाते हैं, बर्तन में भी ले जा सकते हैं, आटा ले जा रहे हैं उसे कागज की थैली में भी ले जा सकते हैं, जो पैक्ड मैटीरियल आ रहा है, उसका विकल्प नहीं है, तो मेरा यह सुझाव है कि निश्चित रूप से और नगरपालिकाओं में जो ड्रेनीज चोक होने का मामला और दूसरी जो सिविल कठिनाई हैं उसमें पैदा होने का सबसे बड़ा कारण बन गई है तो इसलिए करोड़ों–लाखों की सड़कें बरबाद होती हैं, श्रीमन्, इसमें सरकार को शक्ति से यहां पर कानून बनाकर शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और ताकि लोग संयमित होकर इस पर नियंत्रण करने का काम करें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं अपने विद्वान साथी माननीय अम्बरीष कुमार जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, मगर साथ–साथ मैं चाहूंगा कि रोजमर्रा की जिन्दगी में हम पॉलीथीन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कल हम आपके यहां स्वादिष्ट भोजन करने गये थे, तो वहां पर प्लास्टिक का बहुत प्रयोग हुआ, अच्छा होता, कल ही आप शुरू कर देते।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जिसको मैंने कॉन्ट्रेक्ट दिया था, उसको मैंने मना किया था कि इस भोजन में आप प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी मैं माननीय मुन्ना सिंह जी से वो बात कर रहा था। मैं यह कहता हूं कि हम लोगों को यह संकल्प तो लेना ही चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोग जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसमें पहली शर्त होगी कि आप वहां प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदन को मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय नित्यानन्द स्वामी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, यह जन हित का काम कर रही है। देखिए, हमने जो खनन पर वर्चस्व था, उसको खत्म कर दिया, शराब पर वर्चस्व था, उसको भी खत्म कर दिया। जैसे कहते हैं ना, "सौ सुनार की एक लोहार की"। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज की कार्यसूची में देखें, क्रमांक 15 में हम इसी पर विचार करने जा रहे हैं जो बात आपने कही वो तो हम पहले ही सोच रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि आपने तो इसको राक्षस कहा, मैं इसे महाराक्षस कहता हूं। महाराक्षस है ये, इससे हमारी सीवर लाइन बन्द हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पर्यावरण दूषित हो जाता है, फसलों को नुकसान होता है और जलाने पर भी यह जलता नहीं। हम अब यह देखना चाहते है कि करना क्या है, कानून बनाएं? कानून तो भारत सरकार ने भी बनाया, 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया और 1995–96 में हिमाचल सरकार ने बनाया और कानून क्या बनाया कि जो इसका इस्तेमाल करेगा, उस पर हम 5 हजार रुपया जुर्माना करेंगे। मगर आज अगर शिमला में जाएंगे तो वही गति पाएंगे और लखनऊ में देखें तो यही गति है। मेरा अनुरोध है कि पहले तो हमको इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा और मेरा

विकल्प यह है, आप तो आज बात कर रहे हैं, हमने इसके बारे में नैनीताल में 2 बैठकें कर ली हैं। एक बैठक आई0आई0पी0 में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे और मैं भी था। एक भारत सरकार का जो वाइल्ड लाइफ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी कर चुके हैं और एक राजपुर में कर चुके हैं। इस पर प्रतिबन्ध लगाएं तो, हमारा यह कहना है, जन–जागरण लाना पड़ेगा। छात्र–छात्राओं के द्वारा, स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा, शासन और प्रशासन के द्वारा और स्थानीय निकाय के द्वारा हम इसमें सुधार लाएं। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि यह बायोडिग्रेडेबिल है, यह नष्ट नहीं होता। ......

मान्यवर, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि यह नाश नहीं होता है। मैं माननीय कपूर जी का भी बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। हमने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि अपने–अपने जिले में इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें। स्थानीय निकायों को भी हमने कहा कि अपने अपनी नगर निकाय में, नगर पालिका में 2 ड्रम रख दें। एक ड्रम में नाश होने वाले पदार्थ डाले जायें और एक में नाश न होने वाले पदार्थ डाले जाएं।

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट कर दें कि उन ड्रमों का क्या होगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इन ड्रमों को हम कहीं ले जाकर डाल देंगे। यह अस्थाई व्यवस्था है। मैं इस बारे में एक प्रस्ताव ला रहा हूं। मान्यवर, हमने कुछ सूचनाएं भी एकत्र की हैं, विदेशों से भी हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। इसके लिए प्रारम्भिक स्थिति में इसको अनुशासित और नियमित रूप से प्रयोग करें। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि वाटर एक्ट 1974 है इसको प्रस्ताव के रूप में ला रहे हैं। एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हम करेंगे, मगर वर्तमान समय में अम्बरीष जी ने जो संकल्प रखा है हम उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में असमर्थ हैं। पहले हम व्यवस्था कर लें, फिर कानून बना लें फिर इस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। कृपया आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं इससे असहमत नहीं हूं कि आज की तारीख में इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसमें मैंने यह कहा कि जो पैकिंग में आ रहा है सब जगह उसका कचरा न पड़ा रहे, कदम–कदम पर इसका प्रभाव न हो इसके लिए इसके डिस्पोजल की व्यवस्था की जाये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यद्यपि हमारे माननीय मंत्री जी ने विस्तार से सब बातें कहीं हैं। मान्यवर, हम कानून बनाएंगे, लेकिन एक दिन में इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जो हमारी गरीब महिलाएं है उनको हम कपड़ा दे दें, वे उसे सिलकर थैला बेचें। जो व्यक्ति घर से थैला न ले गया होगा वह कपड़े के थैले का प्रयोग करेगा। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिये। हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ......

श्री अम्बरीष कुमार–

..... मान्यवर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मा0 मंत्री जी ने कहा, यह बात सही है जो उद्योग इस काम में लगे हुए हैं वह शोरशराबा करेंगे, लेकिन मान्यवर, आप जिस रोजगार की बात करते हैं, कुटीर उद्योग के माध्यम से अगर हम इसका विकल्प करते हैं, आज आप देखेंगे महिलायें बाजार में निकलती हैं, महिलायें बहुएं, बहिनें भी, मांएं भी तो एक जूट का बढ़िया थैला फैशनेबिल टॉंग कर चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि लोगों में उसका आकर्षण नहीं है कोई पॉलीथीन का बैग टॉंग कर नहीं चलता अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छा करके जो लोगों को अच्छा लगे जो हमारा जूट इन्डस्ट्री है और जो हमारे प्रजापति लोग हैं, इनको इससे लाभ होगा। तो जैसा मा0 मुख्यमंत्री जी ने बताया तो कॉटेज इन्डस्ट्री हमारे घर–घर में हैं इससे बढ़ेगी और जितने लोग शोरशराबा मचायेंगे उससे कई गुने लोगों को इसका रोजगार मिलेगा और जो दूसरा निवेदन मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं कि कानून तो हम लोग बनायेंगे ये तो मा0 मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और जैसा मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा आशय यह भी नहीं है कि आज ही हम प्रतिबन्ध लगा दें कल से कानून बन जायेगा। मैंने तो स्वयं अपने वक्तव्य में यह बात स्पष्ट की थी कि यह तीन तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनजागरण भी देखना पड़ेगा, कानून भी बनाना पड़ेगा और इसका विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। मान्यवर, यह तो मेरे भाषण से स्पष्ट था कि यह एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता इसलिए यह कहना, कल मैं प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता इसका कोई मान्यवर औचित्य नहीं है लेकिन इतना काम तो हम कर सकते हैं अगर हम सारे लोग यह निर्णय ले लें और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर लें एक संदेश भी जारी करें, मा0 मुख्यमंत्री जी की तरफ से शासन की तरफ से कलेक्ट्रेट को हो जाय, कि वह जो एन0जी0ओज0 हैं और धार्मिक संगठन हैं जैसा मैंने शुरू में भी कहा अपने संतों से, महंतो से, अपने मंदिर वालों से उन सब से बातचीत कर लें, आज अपने मंदिरों में पॉलीथीन का प्रयोग बन्द कर लें, अगर फूल बेचने वाले से कहें इसका प्रयोग मत करो, पत्तों में फूलों को दो, तो हम छोटे–छोटे काम शुरू कर दें, शादियों और पार्टियों में इसका प्रयोग न करें लेकिन शादी विवाह में तो एक दम बन्द नहीं कर सकते लेकिन इतना शासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित है या हम लोग अपने निजी कार्यक्रम करते हैं इनमें हम तय कर लें निश्चित रूप से संकल्प ले लें कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करने का काम हम अगर शुरू कर दें। इसलिए आपके माध्यम से मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने मुझसे कहा है संकल्प तो मैं, निश्चित रूप से सरकार की मंशा है, वापस ले लूंगा। मेरा काम तो इतना ही था सरकार का ध्यान आकृष्ट हो और इस दिशा में कार्यवाही हो लेकिन अगर आज मा0 मुख्यमंत्री जी शुरूआत में ही ऐसा कोई विचार रख दें, घोषणा कर दें कि कम से कम शासकीय मामले जो फंक्शन हैं शासन की तरफ से उत्तरांचल का होगा हम किसी प्रकार से भी इस पॉलीथीन का या प्लास्टिक का कोई उपयोग इसमें नहीं करेंगे। दूर–दूर तक इसका संदेश जायेगा और इसमें कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है एक दिशा निर्देश से यह काम हो सकता है। मान्यवर, हम शुरूआत तो करें मेरा सिर्फ इतना आशय है मा0 मुख्यमंत्री जी अगर कृपापूर्वक यह बात कर दें मैं संकल्प तो वापस ले लूंगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पॉलीथिन के

प्रयोग, विक्रय एवं क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया)

सरकारी प्रतिभूतियों व सम्बन्धित प्रासंगिक मामलों को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प

वित्त एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "जबकि उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि राज्यों के लोक ऋण के विनियमन तथा उससे सम्बन्धित अथवा उसके सहायक और प्रासंगिक सभी मामलों के लिये सम्पूर्ण भारत में समरूप कानून होना वांछनीय है ;

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–T T में प्रविष्टि 43 में बताए गये विषय से सम्बद्ध है ;

और जबकि संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा प्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची–T T में प्रविष्टि 43 में बताए गये विषय से सम्बन्धित राज्यों के लिए ऐसा कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है ;

और जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 संघ और राज्य दोनों सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुटाए गये विपणन योग्य ऋणों के लिए लागू है ;

और जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 को सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को सक्षम और सुधारी हुई सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को योग्य बनाने हेतु निरसित और उसे एक नए विधान यथा 'सरकारी प्रतिभूति अधिनियम' द्वारा प्रतिस्थापित करना वांछनीय महसूस किया जाता है।

अतएव अब, अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि संसद को सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित और उससे सम्बद्ध अथवा उसके सहायक अथवा प्रासंगिक मामलों को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान की जाए।"

श्री अध्यक्ष जी–

प्रश्न यह है कि "जबकि उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि राज्यों के लोक ऋण के विनियमन तथा उससे सम्बन्धित अथवा उसके सहायक और प्रासंगिक सभी मामलों के लिए सम्पूर्ण भारत में समरूप कानून होना वांछनीय है ;

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–T T में प्रविष्टि 43 में बताए गये विषय से सम्बद्ध है ;

और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा प्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची–T T में प्रविष्टि 43 में बताए गये विषय से सम्बन्धित राज्यों के लिए

ऐसा कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है ;

और जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 संघ और राज्य दोनों सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुटाए गये विपणन योग्य ऋणों के लिए लागू है ;

और जबकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 को सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को सक्षम और सुधारी हुई सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को योग्य बनाने हेतु निरसित और उसे एक नए विधान यथा 'सरकारी प्रतिभूति अधिनियम' द्वारा प्रतिस्थापित करना वांछनीय महसूस किया जाता है ;

अतएव अब, अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि संसद को सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित और उससे सम्बद्ध अथवा उसके सहायक अथवा प्रासंगिक मामलों को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान की जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

"जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44, सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) को इस राज्य में अंगीकृत किया, के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प"

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "चूंकि जल प्रदूषण को रोकने के लिए तथा उसे नियंत्रित करने और जल को स्वास्थ्यप्रद बनाये रखने या दूषित जल को पुनः स्वास्थ्यप्रद बनाने के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के लिए बोर्डों की स्थापना करने तथा ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित शक्तियां प्रदान करने और कृत्यों को सौंपने की व्यवस्था करना समीचीन है ;

और चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किए जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनाई गयी विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974) अधिनियमित किया जा चुका है और चूंकि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44, सन् 1978) दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त केवल असम, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रवृत्त किया गया और अन्य राज्यों में प्रवर्तन उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के

साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार अधिनियम को अंगीकृत किए जाने के दिनांक से होने का उपबंध किया गया;

और चूंकि, उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में आई अग्रेत्तर कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) अधिनियमित किया गया है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उक्त अधिनियम संख्या 6, सन् 1974, दिनांक 6 अगस्त, 1974 को और उक्त अधिनियम संख्या 44, सन् 1978 और अधिनियम संख्या 53, सन् 1988, दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया था;

और चूंकि, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है;

और चूंकि, इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44, सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) को उपरोक्त कारणों से उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाय।

अतएव अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन्1988) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।"

काजी मो0 मोइउद्दीन:--

मान्यवर, एक बार मैं वन विभाग का कोई बिल पेश कर रहा था, मेरी हिन्दी तो कमजोर है ही। तो मैने अपने पी0 ए0 से कहा कि भाई समझा दो, मुझे अल्फाज, उन्होंने कहा "जी मेरी समझ में नहीं आया"। मैने कहा, "प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाओ"। मैने उनको दिया तो, कहने लगे, "साहब वो इंग्लिश का है, वो देख लीजिएगा", मैने कहा, "वो पढ लिया, लेकिन इन शब्दों का क्या अर्थ है, मुझे बता दें" तो उन्होंने कहा, "इसका मुझे नहीं पता", तो मैंने कहा, "ड्राफ्ट तो आपने ही किया है"। तो कहने लगे, "जी हां, लेकिन मैंने तो अंग्रेजी में कर दिया, वो अनुवाद वालों को भेज दिया था।" तो अनुवाद विभाग वालों को बुलाया गया, तो हमने कहा, "भाई जरा इन शब्दों का अर्थ बता दीजिए"। कहने लगे, "साहब हमें नहीं मालूम", मैंने पूछा, "क्या आपने अनुवाद किया", तो कहने लगे, "जी हमारे पास तो डिक्शनरी रखी रहती है", वो देख कर हम करते रहते हैं, कोई याद थोड़े ही करते हैं।" तो ये तो वहां की दिक्कत भी थी, यहां की दिक्कत भी रहेगी।......

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि जल प्रदूषण को रोकने के लिए तथा उसे नियंत्रित करने और जल को स्वास्थ्यप्रद बनाये रखने या दूषित जल को पुनः स्वास्थ्यप्रद बनाने के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के लिए बोर्डों की स्थापना करने तथा ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित शक्तियां प्रदान करने और कृत्यों को सौंपने की व्यवस्था करना समीचीन है;

और, चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किए जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974) अधिनियमित किया जा चुका है और चूंकि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44, सन् 1978) दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त केवल असम, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रवृत्त किया गया और अन्य राज्यों में प्रवर्तन उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार अधिनियम को अंगीकृत किए जाने के दिनांक से होने का उपबंध किया गया;

और, चूंकि, उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में आई अग्रेत्तर कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) अधिनियमित किया गया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उक्त अधिनियम संख्या 6, सन् 1974, दिनांक 6 अगस्त, 1974 को और उक्त अधिनियम संख्या 44, सन् 1978 और अधिनियम संख्या 53, सन् 1988, दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया था;

और, चूंकि, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है;

और चूंकि, इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44, सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) को उपरोक्त कारणों से उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाय।

अतएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, सन् 1974), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44, सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1988) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जो यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण सम्बन्धी जो सेन्ट्रल एक्ट को एडाप्ट करने की बात कर रहे हैं हम इसमें अपेक्षा यह कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी इस पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि, यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और मद संख्या आगे बढ़ चुकी है इसलिए अब इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1980) का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. मूल अधिनियम में जहां–जहां–

(1) "या परिषद्" आया है, उसे हटाया गया समझा जायेगा।

(2) "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" रख दिया जायेगा।

(3) "लखनऊ" के स्थान पर "देहरादून" अथवा जहां भी राजधानी हो, रख दिया जायेगा।

धारा 5 (1) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 5 (1) में "तिरानवें हजार रुपये" के स्थान पर "साठ हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि तैंतीस हजार रुपये के रेलवे कूपन" रख दिया जायेगा।

धारा 16 (2) का संशोधन

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 16 में शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार पांच सौ रुपये" रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा–

"परन्तु सरकारी आवास सदस्य को आवंटित होने की दशा में यह धनराशि देय नहीं होगी"।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन), विधेयक, 2001 पारित किया जाए।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उ0प्र0 राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया)

जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त तहसील मुनस्यारी तथा धारचूला को जनजाति क्षेत्र घोषित करके उस क्षेत्र के निवासियों को समान रुप से सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

*श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील मुनस्यारी तथा

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धारचूला को जनजाति क्षेत्र घोषित करके उस क्षेत्र के जनजातीय तथा गैर जनजातीय स्थायी निवासियों को समान रूप से सुविधायें प्रदान की जायें।"

श्रीमन् पिथौरागढ़ जनपद का मुनस्यारी और धारचूला विकास खण्ड है सन् 1960 से पूर्व अल्मोड़ा जनपद में आता था। पिथौरागढ़ जनपद बनने के बाद में पिथौरागढ़ जनपद का एक हिस्सा बना और आज भी अगर भौगोलिक आधार पर हम देखें तो पूरे उत्तरांचल में मुनस्यारी तथा धारचूला सबसे बड़े ब्लाक हैं और सबसे दुरूह, विकास की किरण आज भी वहां पर नहीं पहुंच पायी है। अगर हम टनकपुर से अल्मोड़ा से चलेंगे तो सीधे धारचूला या उससे आगे तवाघाट, यही स्थिति मुनस्यारी की भी है तो किसी समय में मुनस्यारी तहसील उ0प्र0 में नीलम नाम का राजस्व गांव सबसे बड़ा गांव था।

जब 1962 में चीन युद्ध से पहले तिब्बत के साथ वहां का हमारे यहां के लोगों का व्यापार चलता था और वहां के मूल निवासी जो चाहे वह जनजाति के लोग हों या गैर जनजाति के लोग हों उनका व्यापार तिब्बत से चलता था। 1962 के चीन युद्ध के बाद उनका व्यापार बन्द हो गया और उन्होंने नीचे आना शुरू कर दिया जहां मैंने अभी नीलम का जिक्र किया है सबसे बड़ा राजस्व गांव होने के साथ-साथ और भी वहां के जो लोग थे उनके लिए कोई यातायात की सुविधा नहीं हो पायी और चीन का व्यापार बन्द होने के बाद जो सक्षम लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था वह तो नीचे खिसक आया। उन्होंने अपने व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे तरक्की करते गये, जो मूल लोग वहां के थे, जो वहां के लोगों के साथ कृषि का व्यवसाय, पशुपालन का व्यवसाय इन व्यवसायों में लिप्त थे वह आज भी वहीं रहे और आज उनकी दशा दयनीय है।

श्रीमन्, अनवाल वहां की एक जाति है जो गैर जनजाति है अगर उसका पूरा एक सर्वे वहां करायें तो आज भी उन लोगों का पेशा बकरी चराना जानवर चराना है, आज की तारीख में भी जहां तक मैं समझ पाया हूं उनके पास जमीन या जायदाद नाम की कोई चीज नहीं है, बाकी जो वहां सम्पन्न वर्ग है, मैं यह नहीं कहता आरक्षण उन्हें नहीं मिलना चाहिए। मगर ऐसी स्थितियां जो विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बनी हों नीलम में बहुत अच्छा आलू पैदा होता है और बीज का आलू पैदा होता है, अगर वहां का आलू ट्रान्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुनस्यारी आते-आते उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि कोई खरीददार नहीं मिलेगा। वहां एक जगह और जहां हिमाचल और कश्मीर के सेब से बढ़िया सेब वहां पैदा होता है। श्रीमन्, वह वहां से लाया नहीं जा सकता है। तो ऐसा मेरा अपना मत था, उस क्षेत्र का भौगोलिक विकास तो नहीं हो पाया, साथ-साथ जो वहां अन्य लोग रहते थे उनको भी अनदेखा किया गया। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर मामले में वे पिछड़ते गये।

आजादी के आज 50 साल हो गये आज हम एक तरफ कहते हैं हमारा देश इतना तरक्की कर गया। एक उदाहरण उस अनवाल जाति का है, उसे देखें जो शायद पर्वतीय

क्षेत्र में भूमिहीन है, जिसके पास सबसे कम भूमि है वह 62 नाली कहा गया है उससे लगान नहीं लिया जाता है, मगर वह अनवाल जो बकरी चराता है, जानवर चराता है, वहां के उसके पास एक नाली भूमि तक नहीं है और वह ऐसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। श्रीमन्, उनका इतना बड़ा योगदान कल यह चर्चा आयी थी, रक्षा का सवाल आया था कि हिमालय हमारा भाल है और वह देश की रक्षा करता है। यही 15 हजार, 16 हजार फिट की ऊँचाई पर जब भी अपनी बकरियों को चराने जाते हैं, चीन से लगी हुई हमारी सीमा है अगर इन लोगों का पलायन नीचे हो गया ये वहां जाना छोड़ दें तो हमारे पास कोई व्यवस्था तो है नही चीन तो हमारे सिर में कालापानी से ऊपर तक पहुंच गया। हम आज भी पैदल जा रहे हैं, यही लोग वहां की सूचना भी हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को देते हैं कि पार क्या गतिविधियां चल रही हैं अगर ये लोग वहां जाना बन्द कर देंगे तो विदेशों की क्या गतिविधियां हैं, ये हमको नहीं मिल पायेंगी। कालापानी जहां से काली नदी निकलती है। जो हमारी नेपाल की सीमा है बार–बार यह जिक्र आता है कि नेपाल की सीमा में आई०एस०आई० की गतिविधियां बढ़ रही है, मगर उसके बाद भी हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था देखें, हमारी पुलिस व्यवस्था धारचूला तक है, पांगु तक है, चौकियां बीच में बनी हुई हैं, मगर बीच के जो दर्रे हैं उन दर्रों की जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं है।

श्रीमन्, अभी दो साल पहले कालापानी जहां से काली नदी निकलती है वहां पर नेपाल के माओवादियों ने कब्जा करने का प्रयास किया, मैंने उस समय उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस पर प्रश्न किया था, मगर मामला राष्ट्र के हित का था इसलिए उसका उत्तर आ गया। इसको चर्चित नहीं किया जा सकता है। उसे जब माओ के लोगों ने कालापानी के स्थान पर जहां पर पानी का उद्‌गम है जो हमारे भारतीय सीमा में है उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था तो सबसे पहले यही बकरी चराने वाले लोगों ने इसकी जानकारी हमारी पुलिस को दी थी कि माओ का यह संगठन ऐसा काम कर रहा है जब जाकर हमारी पुलिस, हमारी बी०एस०एफ० सक्रिय हो पाई थी तब हम सीमा की रक्षा कर पाये थे, जो राष्ट्र की निगरानी करते रहते हैं, आज उनकी दशा आजादी के 50 साल के बावजूद भी ऐसी है। जो एक बहुत सोचनीय और विचारणीय है, इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इसे सीमान्त क्षेत्रों में यह जो मैंने धारचूला, मुनस्यारी का जिक्र किया, हो सकता है गंगोत्री या चमोली का जो बार्डर सीमा होगी वहां भी यह लोग होंगे। यही नहीं हिमाचल प्रदेश से जब यह अपनी बकरी चराने जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश से बद्रीनाथ, गंगोत्री होते हुए ऊपर टॅक से मुनस्यारी पहुंचते हैं, धारचूला पहुंचते हैं। उनको सारे रास्तों की जानकारी है। अगर कोई आपदा चीन के कारण आई तो उस समय यही लोग हमारे लिए सबसे अच्छे इन्फॉरमर का काम करेंगे। जितनी कि हमारी सरकारी एजेंसियां काम नहीं कर सकती हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसे लोगों को जहां आज अनदेखा किया गया है और अगर इस पूरे क्षेत्र को आरक्षण की परिधि में नहीं लिया जाता है तो इस किस्म के लोगों को असुविधा महसूस होगी, तो श्रीमन्, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह

प्रस्ताव हमारे उत्तरांचल सरकार की तरफ से भारत सरकार को इस सिफारिश के साथ कि यह वास्तव में बहुत ही संवेदनशील और राष्ट्र के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र को आरक्षण की परिधि में दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पुनेठा जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं विचार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, धारचूला और मुनस्यारी जो 2 तहसील हैं वे तिब्बत, चीन और नेपाल से जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है इन दोनों तहसीलों की जो जनसंख्या है उनका जो रहन–सहन है, उनका खान–पान है, जो उनकी संस्कृति है सब एक समान है। मान्यवर, इस क्षेत्र को भोट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था जो भी वहां रहते थे उनको किसी जाति के नाम नहीं जाना जाता था। धारचूला, मुनस्यारी तहसील में जिस प्रकार की वहां जातियां रहती हैं और जो वर्ग रहते हैं, वह भोट के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, धारचूला, मुनस्यारी जो क्षेत्र है वह सुदूर क्षेत्र हैं, उनको तहसील और ब्लाक मुख्यालय में आने के लिये 3 दिन का समय लगता है। आज वहां पर जो आर्थिक व्यवस्था है, वहां पर जो उनके निवास हैं, मकान हैं उनकी जो छतें हैं वह घास की हैं। मान्यवर, आज भी वहां जो देखने को मिलता है कि वहां के लोग कर्मठ हैं, वहां के लोगों में ईमानदारी भी है। 6 महीने के अन्दर जब बर्फ पड़ती है तो वह आपके क्षेत्र में आते हैं और जब बर्फ बिखरती है तो पुनः उनका जो मूल निवास है उस क्षेत्र में चले जाते हैं।

मान्यवर, रास्ते में कोई बकरी गिर जाती है या बीमार हो जाती है, तो वो सामान वहीं पर छोड़ देते हैं, और वहीं पत्थर रख देते हैं ताकि वो बरसात में भीगे ना, इसके लिए उसको तिरपाल से ढक देते हैं। 6 महीने बाद पुनः जब नीचे लौटते हैं, तो वो सामान सुरक्षित रहता है। इस प्रकार उस क्षेत्र के लोगों के अन्दर ईमानदारी है, वे लोग कर्मठ हैं। क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, वह आलू और राजमा की खेती है और उस क्षेत्र में किसी चीज की खेती नहीं हो सकती। इसके अलावा वहां पर जड़ी–बूटी का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। जो जड़ी–बूटियां वहां पर पैदा की जाती हैं और जो नर्सरी में पैदा होती हैं, उनकी जानकारी हम लोगों को नहीं। केवल वहां के लोगों को इसकी जानकारी है। उनकी जो बोली, भाषा है, सीधे तिब्बत से मिलती है। तिब्बत की जो भाषा है, उस क्षेत्र के लोगों को उसकी जानकारी है और जो भी जड़ी–बूटियां हैं, उनको आज सीधे तिब्बत के लोग आकर ले जाते हैं। इतनी महंगी जड़ी–बूटियां हैं। मान्यवर, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उन जड़ी–बूटियों में कुछ प्रतिबंधित जड़ी–बूटियां हैं। इन प्रतिबंधित जड़ी–बूटियों को वहां से हटा दिया जाए। यदि हम इन सारी जड़ी–बूटियों को नहीं निकालेंगे, तो स्वतः उनका दोहन हो जाएगा। सालमपंजा है, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो उसका दोहन हो जाएगा। यारसागुमुर है, मान्यवर, इसकी कीमत यहां पर

आज 80 हजार रुपया प्रति किलो है और ढाई लाख डालर कीमत इसकी अमेरिका में है। 80 हजार रुपया जिसकी कीमत यहां पर है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। गांव के एक आदमी से पूछा, इसका क्या किया जाता है? उसने कहा कि लम्बे समय तक जीने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान्यवर, यहां के लोगों का जो रहन–सहन है, वहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है, और उन लोगों का जो खान–पान है, सबको देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन के माध्यम से, जो लोग हिमालय के बिल्कुल तलहटी में एक प्रहरी के रूप में निवास कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आज विकास की किरण नहीं पहुंच पायी है।

क्योंकि यह प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि अगर किसी अधिकारी को दण्ड देना है तो पिथौरागढ़ भेज दिया जाता है। तो पिथौरागढ़ से उसकी नियुक्ति सीधे कहां होती है? मुनस्यारी, धारचूला में यदि किसी अधिकारी को दण्ड पर स्थानान्तरण होना है तो उसे मुनस्यारी, धारचूला भेजा जाता है, और वहां पहुंचकर अधिकारी कहता है कि मुझे इससे आगे नहीं भेजेंगे, इसलिए अधिकारी वहां पर विकास कार्यों में रुचि नहीं लेता है। इसलिए मान्यवर, पुनः मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि जो यह प्रस्ताव, चूंकि उस क्षेत्र की जनता ने काफी लम्बे समय से आन्दोलन भी किया है और भारत सरकार से भी मांग की है, इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। मान्यवर, यह जो सीमान्त क्षेत्र है, हम पूर्व में भी कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं, इस सम्बन्ध में। जो सीमान्त क्षेत्र हैं, वहां पर निवास करने वाली जो जातियां हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध तिब्बत से था और वर्तमान में तिब्बत से उनका व्यापार बन्द हुआ, उन लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी। न तो उनको यहां के लोग स्वीकार करते हैं, न वहां के लोग स्वीकार कर रहे हैं। वो कहीं के नहीं रह गये। मान्यवर, मेरे टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भी 3 गांव ऐसे आते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह संकल्प तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला के सम्बन्ध में है।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, उसी सम्बन्ध में रख रहा हूं, जो सीमान्त क्षेत्र हैं, तिब्बत से जिनका कारोबार होता था। उन्हीं जातियों से जो मिलते जुलते लोग हैं और इधर के लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाए, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया था, गंगी गांव का, इधर के लोग वहां अपनी शादी–ब्याह के रिश्ते भी नहीं करते। तो ऐसी जो जातियां हैं, उनकी पहचान करके जैसे

घारचूला और मुनस्यारी में जो जातियों के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह जातियों की नहीं, क्षेत्र की बात हो रही है।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं। हमारे उत्तरांचल में जो ऐसे क्षेत्र हैं उनकी पहचान करके उनको भी जनजाति घोषित किया जाना चाहिए। ....

मान्यवर, दूसरा मेरा अनुरोध है यह टिहरी जिले का जौनपुर क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी कृपया धारचूला के सम्बन्ध में बात करें।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में सर्वे करके यह पता करें कि ऐसी जातियां कौन–कौन हैं। यह मैं कहना चाहता हूं।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पुनेठा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, यह जो धारचूला, मुनस्यारी का क्षेत्र है इसी अति विषम भौगोलिक स्थितियों का जिक्र माननीय जोशी जी ने किया। सुविधाएं होना न होना यह एक तुलनात्मक बात है, विकास भी तुलनात्मक बात है, आज यदि हम यह कहते है कि हमारे प्रदेश की कोई स्थिति होगी यह भी तुलनात्मक बात है। एक गम्भीर सवाल है श्रीमन्, देश आजाद हुआ तो देश के सभी कोनों में लोगों ने किसी न किसी रूप में तरक्की की है। इन जिन क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक क्षेत्र यह भी है। चकराता विधान सभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा जिन क्षेत्रों ने आजादी की एक बडी भारी कीमत चुकाई और कीमत चुका रहे हैं। मैं तो दृढ़तापूर्ण तरीके से यह बात साबित कर सकता हूं कि देश की आजादी के बाद वहां के लोगों के जीवन स्तर में निरंतर गिरावट आती गई। श्रीमन्, यह वह क्षेत्र है जब देश आजाद नहीं था और चीन और तिब्बत के साथ व्यापार बेरोकटोक हुआ करता था, तो उस क्षेत्र के लोग बहुत मालदार हुआ करते थे। एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत दूर नहीं देहरादून से 60 किलोमीटर दूर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जो पर्वतीय हिस्सा है, उसका प्रवेशद्वार है कालसी। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को आज हम जनजाति क्षेत्र कह रहे हैं। .....

उस क्षेत्र की अशोक काल में क्या स्थिति थी, वहां पर अशोक के जो हिन्दुस्तान के अन्दर 14 मशहूर रॉक एडिक्ट्स हैं, अशोक शिलालेख हैं, उसमें से दो मशहूर शिलालेख या उन 14 में से दो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कालसी में हैं। ये शिलालेख यह साबित करते है कि अशोक काल में भी ये जगह बड़ा ज्ञान विज्ञान और कारोबार का केन्द्र रहा होगा, तभी अशोक महान ने उस जगह पर शिलाओं पर अपने संदेश अंकित करवाये, पर

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद के हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये जो रूट हुआ करता था कालसी से ले करके चमोली
से उधर हमारा पिथौरागढ इलाका कुछ टिहरी का इलाका, जिसको थोड़ा बहुत सम्भवतः
गंगी गांव की तरफ इशारा कर रहे होंगे जोशी जी, ये जो था ये एक नेटवर्क था। आज
की भाषा में कहें तो इन्टरनेशनल ट्रेड का रूट था जब से ये कारोबार बन्द हुआ, ये लोग
कौन थे, ये वे लोग थे जो भेड़ बकरी की पीठ पर अपना सामान रखकर ट्रेड किया करते
थे वे इनके लिए मात्र केवल विपणन का नहीं था। वह जिस तरीके से राजस्थान के व्यक्ति
के लिए ऊँट है उसी तरीके से ऊन और भेड़ बकरी के व्यापार के साथ–साथ ही उनका
एक भाग था। जब से देश आजाद हुआ उनकी स्थिति यह हो गई कि राष्ट्र की मुख्य धारा
में ये जुड़ नहीं सकते। एक किनारे में क्रास द बार्डर ये कुछ नहीं कर सकते। आज
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से बंधे हुए हैं। संचार माध्यम उन तक पहुंचने के लिए रोड कम्युनिकेशन
है नहीं। सवाल पैदा हो सकता है कि बहुत अच्छा उत्पादन करिये मगर विपणन कहां करें।

मानननीय, पुनेठा जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो सेब वहां पर पैदा
हो सकता है। इतने अच्छे हाइट पर, आलू का बहुत अच्छा उत्पादन होता है लेकिन उसका
जो ट्रान्सपोर्टेशन है उसके हिसाब से जब उसको बेचते हैं तो बाजार की किसी प्रतिस्पर्धा
में यह टिक नहीं सकता। आज भी उन लोगों की विवशता है, उन लोगों के पास एक धारा
है कि घूमफिर करके भेड़ बकरियों से अपना गुजर बसर कर लें केवल जिन्दा रहने का मात्र
इंतजाम हो सकता है। मैं मा0 पुनेठा जी की इस बात से सहमत हूं कि उस क्षेत्र में यह
विसंगति हुई उस क्षेत्र के अन्दर कुछ लोगों को जैसे कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन
हमारा किया। आदरणीय फोनिया जी ने भी कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा। जब मैंने
बंगाली जातियों को तराई में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल
किये जाने के बारे में सिफारिश भारत सरकार को भेजने की बात कही थी, मैं आप लोगों
की तरफ से भी आभारी हूं उस बात के लिए वहां पर एक विसंगति हुई, धारचूला, मुनस्यारी
की कुछ जातियों को तो विशेष जनजाति की श्रेणी में रख दिया लेकिन दूसरे लोगों को
छोड़ दिया गया है। हकीकत है कि जिस तरीके से चकराता क्षेत्र के अन्दर सामाजिक,
भौगोलिक, शैक्षणिक जो पिछड़ापन है जो प्रिमीटियल लाइफ होने के मूलभूत तत्व थे
उनके विद्यमान होने जरूर सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्दर जितने मूल निवासी थे। सबको जनजाति
क्षेत्र घोषित करके उनको यह सुविधा देने का काम किया गया। निश्चित रूप से धारचूला,
मुनस्यारी के सभी लोग उस रियायत, उस सुविधा के हकदार थे तो इससे ज्यादा उपयुक्त
विचारणीय कोई विषय दूसरा हो नहीं सकता। मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 पुनेठा जी को
इन मसलों पर प्रस्ताव लाने की जरूरत न पड़े बल्कि यह सरकार की तरफ से प्रस्ताव
आया कि धारचूला, मुनस्यारी सभी प्रकार के निवासियों को जो वहां के मूल निवासी हो।
ऐसा नहीं कि 2–4 साल से कारोबार के लिए गया हो। जो वहां का मूल निवासी है, वहां
के नेटिव है, जिन्हें एन्थ्रोपोलोजी में नेटिव कहा गया है वे जो भी नेटिव हैं उन सबको
कालसी चकराता के क्षेत्र के तर्ज पर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के
लिए सदन के माध्यम से भारत सरकार को सिफारिश की जाय। उन लोगों के प्रति न्याय
होगा और इसके साथ ही उन क्षेत्रों पर भी विचार होने चाहिए जिनके बारे में इस प्रस्ताव
में तो जिक्र नहीं हुआ है लेकिन जोशी जी ने जिक्र किया। मैं समझता हूं कि हमने उसकी
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है श्रीमन्, सदन को अवगत कराया, निश्चित रूप से आभारी होऊँगा, और
हम उन क्षेत्र के लोगों के प्रति सरकार का आभार भी व्यक्त करूंगा। यदि फोनिया जी
सहमत हों तो, सम्भवतः जोशीमठ क्षेत्र का कुछ उल्लेख ऐसा है जिसकी किसी तरह से

चर्चा में निकल गया जो चमोली जिले का जोशीमठ का भी एक ब्लाक है, जिसके अन्दर यही परिस्थितियां विद्यमान हैं तो मैं कहना चाहता हूं धारचूला, मुनस्यारी और जोशीमठ के अड़ोस-पड़ोस के उन क्षेत्रों के अन्दर यह परिस्थितियां विद्यमान हैं उसको भी जनजाति क्षेत्र घोषित कराने के लिए भारत सरकार को सिफारिश भेजने की आप कृपा करें। धन्यवाद।

*काजी मो0 मोइउद्दीन-

मान्यवर, जो प्रस्ताव रखा गया है बहुत अच्छा है। जैसा कि मुन्ना जी ने बताया कि वह क्षेत्र बहुत सम्पन्न था और अब और पिछड़ गया, इतना पीछे पहुंच गया, मान्यवर, शेरशाह जी एक फिलोस्फर हुये हैं उन्होंने कहा, मुझसे पूछा कि मूर्ख और बुद्धिमान में क्या फर्क है तो उन्होंने कहा काम दोनों एक ही करते हैं, बुद्धिमान पहले करता है और मूर्ख बाद में करता है, तो मान्यवर, जब यहां वह प्रस्ताव आया था तो मैंने कहा इसको साल 2 साल के लिये चुनाव के लिये मुल्तवी कर लीजियेगा तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि वह मुल्तवी कर दिया जाये। मैंने कहा शहीद केवल वह होता है जो इस देश पर जान दे देता है, तो यहां सब लोग नाराज हो गये, मुन्ना सिंह जी ने कह दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि शहीद वह होता है जो देश पर जान देता है। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ एक आग्रह करता हूं-जानता हूं जो कुछ लिखेंगे जवाब में फासिद के आते-आते खत और लिख लूं। जानता हूं जो कुछ लिखेंगे वो जवाब में, कि हमारी बात तो मानी नहीं जाती है, हम अगर यह कहते हैं कि सीमा बढ़ा लीजियेगा गन्ने की। यह वायदा सेन्ट्रल ने कर रखा है, पार्लियामेण्ट ने किया है तो यह कहा जाता है कि जो सेन्ट्रल ने कर दिया तो कर दिया, अब मैं तो यह नहीं कहूंगा कि जिन जातियों को घोषित कर दिया तो कर दिया, मान्यवर, मैं यह चाह रहा हूं कि जो हाल मुनस्यारी का हो रहा है, 10-12 साल में वही हमारा होगा। लिहाजा साथ में हमारा भी प्रस्ताव घोषित कर दें।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)-

मान्यवर, मैं माननीय पुनेठा जी का आभारी हूं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक प्रस्ताव रखा, हम सब लोगों की भावनायें उसी प्रकार की हैं। मान्यवर, मैं 2 साल पहले धारचूला गया था और इस बार मैं मुनस्यारी गया था, लगभग 2 दिन के लिये गया था, मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि स्वर्ग में हम आ गये। इतनी सुन्दरता वहां थी और मैंने माननीय अटल जी को पत्र लिखा, उसकी कापी मैं आपको दूंगा, मैंने कहा आप हर बार शिमला, मनाली वगैरह जाते हैं। अबकी बार कृपा करके मुनस्यारी जायें, उससे मेरे दो उद्देश्य हैं, वह आयें तो उनको आराम मिलेगा और अच्छे एक प्रकृति की गोद में रहेंगे, दूसरा यह भी उद्देश्य था कि जब वह आयेंगे तो उनका ध्यान वहां के उन सब बातों की ओर जायेगा जो आप सब लोगों ने यहां पर उल्लेख किया है। यही विषय ऐसा है इसके अन्दर 2-3 बातें आ गई कि सदन को सब बातें स्पष्ट मालूम रहे। जहां तक व्यापारी का सम्बन्ध है, पहले व्यापार चीन के साथ होता था और काफी अच्छा व्यापार था। मान्यवर, चीन ने हमारे साथ धोखा किया, आपको, सब को मालूम है, तो चीन का दरवाजा बन्द हो गया हमारे लिये। हमने बन्द कर दिया उनके लिए। नेपाल से तो अब भी थोड़ा बहुत व्यापार होता है। मान्यवर, व्यापार में कमी आई है, यह मैं मानता हूं, लेकिन यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वहां किसमें कमी आई है।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, व्यापार में कमी आयी है, मैं मानता हूं लेकिन यह मानने को तैयार नहीं
हूं कि वहां विकास में कमी आयी है। विकास हो रहा है, अभी मैं गया हूं, मैंने देखा वहां
आस–पास बहुत दूर तक कोई डिग्री कालेज नहीं है। मैं वहां कह कर आया हूं कि यहां
पर हम डिग्री कालेज स्थापित करेंगे और भी जितने हमारे माननीय सदस्य अपने–अपने
क्षेत्र के अन्दर जाते हैं, कुछ न कुछ वहां काम कराते हैं। हम वहां पर और भी दो–चार
काम बताकर आये हैं।

मान्यवर, यह पूरा क्षेत्र ऐसा है जो कि सचमुच बहुत पिछड़ा है। वहां के लोग बहुत
अच्छे हैं। मैंने जो भी बैठकें की वहां पर, वहां के जन प्रतिनिधियों से, अपनी पार्टी के
लोगों से, उन्होंने जो विचार रखे, मुझे ऐसा लगा कि वे इस क्षेत्र में रहते हुए, जहां न
अखबार आता है, न वहां कोई बहुत ज्यादा विकास की बात होती है, वो लोग इतने अच्छे
विचार रखते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। दो–तीन लोग तो उसके अन्दर बहुत ही सुलझे
हुए हैं। जहां तक हमारी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, पहले व्यापार करते थे, तो
सीमाएं सुरक्षित थी। वो बात तो अब भूल जाइए, व्यापार करने के बाद भी चीन ने जो कुछ
किया वो सबको मालूम है। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बी0एस0एफ0 की
जो योजनाएं हैं, वो हमको मालूम हैं और पूरी तरह से भारत सरकार इस बारे में
संवेदनशील है और जहां–जहां, कालापानी, चम्पावत में भी 3–4 स्थान ऐसे हैं, वहां पूरी
व्यवस्था है और लगातार उसकी समीक्षा होती रहती है। मैं माननीय पुनेठा जी से निवेदन
करूंगा कि जो प्रस्ताव हम केन्द्र सरकार को भेजेंगे, उसके अन्दर हमें पीस मेल तो भेजना
नहीं चाहिए। आप भी चाहते हैं, हमें और भी जगह के बारे में बातचीत करनी होगी। सब
जगह के बारे में बातचीत एक सम्पूर्ण प्रस्ताव आप लोगों की राय लेकर भेजें। जिससे
बार–बार प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए उचित होगा मान्यवर, इस वक्त
इस प्रस्ताव को वापस ले लें। सरकार इस बारे में बिल्कुल वचनबद्ध है। मैं स्वयं वहां पर
गया हूं। मैं इस बात से संतुष्ट होकर आया हूं कि पूरा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित हो।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सरकारी संकल्प भी आना चाहिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, वो हम करेंगे, क्योंकि और भी जगह की बात आ रही है। सबको विचार
करके उनके गुण–दोष पर विचार करके हम यहां से भारत सरकार को भेजेंगे। मैं इतना
आश्वासन आपको दे रहा हूं। इसलिए कृपा करके इसको वापस ले लें।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

श्रीमन्, जैसा माननीय नेता सदन ने इस बात के लिए एक पूरा और मैंने भी
इसीलिए धारचूला, मुनस्यारी के साथ जो पूरी हिमालयन रेंज जो हमारी सीमा का क्षेत्र या
उससे और भी लगा हुआ, जैसा माननीय जोशी जी ने बताया, हो सकता है, उत्तरकाशी का
भी कोई क्षेत्र आता हो। मेरा भी आशय यही था कि हमारी जो पूरी हिमालयन रेंज, जो
हमारी सीमा चीन या नेपाल से जुड़ी हुई है। उनके बारे में विचार–विमर्श कर लिया जाए।
तो मान्यवर, यह जो माननीय नेता सदन ने आश्वासन दिया कि पूरे क्षेत्र को, और अच्छा
है कि हमारे उत्तरकाशी का एक बैल्ट, भले ही देर–सबेर कभी भी उसका प्रस्ताव बने,

भारत सरकार को। मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन ने जो आश्वासन दिया, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनके इस आश्वासन पर मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। .....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील मुनस्यारी तथा धारचूला को जनजाति क्षेत्र घोषित करके उस क्षेत्र के जनजातीय तथा गैर जनजातीय स्थायी निवासियों को समान रूप से सुविधायें प्रदान की जाएं" को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

सहकारी बैंकों के त्रिस्तरीय ढांचे को बदलने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकारी बैंकों के त्रिस्तरीय ढांचे को बदलकर द्विस्तरीय ढांचे को लागू किया जाये ताकि अनावश्यक खर्चों में कटौती हो सके तथा इन बैंकों को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।"

मान्यवर, सहकारिता जीवन का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी तस्वीर आपके आसन के पीछे लगी है उनका तो मूलमंत्र ही था कि समाज को सहकारिता और ट्रस्टीशिप की भावना से ही काम करना चाहिए और हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर हिन्दुस्तान की आज की तारीख तक जो तरक्की हुई उसमें सहकारिता आंदोलन का बड़ा भारी योगदान भी है। सहकारिता के चरणबद्ध विकास के रूप में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पूंजी के विनियमन का भी काम प्रारम्भ हुआ और जिसने विकसित हो करके सरकारी बैंकों का रूप धारण किया। देश के अन्दर बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सहकारिता आंदोलन ने बहुत तरक्की की और जहां पर सहकारिता के माध्यम से अपना काम करने वाले, अपना धंधा, अपना कारोबार करने वाले लोगों ने अपनी अंशपूंजी लगा करके और बड़ी–बड़ी सहकारी संस्थाएं, जिनकी बहुत बड़ी–बड़ी पूंजी हैं आज की तारीख में, उन संस्थाओं को खड़ा किया। उन बैंक जैसी संस्थाओं को भी खड़ा किया, लेकिन कालान्तर में वैसे तो पूरा सहकारी आंदोलन ही अपने आप में कुछ मायने में राजनीति की भेंट चढ़ गया, उसको राजनीति के अखाड़े के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिणति यह हुई कि जो सहकारी बैंक थे उसको भी राजनीतिक लोगों ने अपने जेब का इंस्टीट्यूशन बना करके बैंक के प्रबन्धक मंडलों के चेयरमैन जो बहुत सारी दशा में निर्वाचित होकर के आते थे, बहुत सारी दशा में प्रशासक नियुक्त होते थे, उन्होंने अपनी जेबी संस्था के रूप में उसका दुरूपयोग करने का क्रम चलाया और या फिर जिन–जिन सहकारी बैंकों के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, छोटा कारोबार करने वाला कृषक, छोटी खेती करने वाला कृषक, बड़ी खेती करने वाला कृषक तथा सारे लोग जो

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी गाढ़ी खून–पसीने की कमाई से पूंजी संजो करके इन संस्थाओं में योगदान करते थे, जब इन संस्थाओं में एक अराजकता का वातावरण इस तरीके से तैयार हुआ कि एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बनता चला गया और पिरामिड शेप क्या उल्टी पिरामिड कह लीजिए तो सारे प्रबन्ध तंत्र का इंतजाम इस तरीके से हुआ कि नीचे हमारी प्राइमरी स्तर की बैंक हैं, बीच में हमने जिला सहकारी बैंक बना दिये, ऊपर अपेक्स बैंक बना दिये, निचले स्तर पर वित्तीय अनियमिताओं निजी संसाधनों का दुरूपयोग, बीच के स्तर पर जिसे हम जिला सहकारी बैंक कहते हैं वहां पर भी निर्वाचित प्रबन्धक मंडल, निर्वाचित अध्यक्ष उन तमाम सारे लोगों ने भी बैंक से संसाधनों का दुरूपयोग अपने निजी सुख–सुविधा, अपने घोड़ा–गाड़ी, अपने दफ्तर, अपने संचालन में बैंक की सुख–सुविधाओं को बरबाद करना शुरू किया। बिना यह सोचे समझे कि जो संसाधन हम बरबाद कर रहे हैं यह उस मेहनतकश किसान, मेहनतकश ग्रामीण, छोटा रोजगार करने वाला, छोटा काश्तकार जो इसमें हिस्सेदार बनकर अपनी अंशपूंजी इसके अन्दर लगाता है, इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हुई, यही नहीं पूरे देश के अन्दर।

जैसा मैंने कहा कि सहकारिता आंदोलन एक देश व्यापी आंदोलन था। बहुत सारे प्रदेशों में सहकारिता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की भी की। उनसे कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गुजरात, महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं, लेकिन तमाम तरीके की सिफारिश से इन तमाम सारी बातों के बारे में समय–समय पर दी जाती रही। उ0 प्र0 के अंदर रहते हुए भी कई बार यह विचार आया कि सहकारी बैंकों का जो स्ट्रक्चर है उसे टू टियर बना दिया जाये, थ्री टियर की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, तमाम तरह की सिफारिशें, तमाम सारी बातों के बारे में समय–समय पर की जाती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हुए कई बार विचार आया कि सहकारी बैंकों का जो स्ट्रक्चर है ये टू टियर बना दिया जाय, थ्री टियर का विचार नहीं है, लेकिन उसके ऊपर यह तर्क दिया जाता था कि उ0 प्र0 बहुत बड़ा प्रदेश है, केवल नीचे उसकी शाखाऐं होंगी, और ऊपर एपेक्स बैंक होगा। जो शाखायें और एपेक्स बैंक के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होगा, बड़ा प्रदेश होगा बहुत सारी शाखाएं होंगी उसका नियंत्रण मुश्किल होगा, इसलिये पीछे का जो इण्टरमीडिएट स्टेज है, उसको खत्म करने की जो बात आती थी उसके खिलाफ यह तर्क दिया जाता था कि श्रीमन्, मैं मा0 सहकारिता मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं जिसकी आप गम्भीरता से चर्चा करें। आज मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे मात्र 13 जनपदों का यह प्रदेश है। मा0 मुख्यमंत्री जी सम्भवतः यह तो कारण है कि आपने कहा कि यहां पर मण्डल स्तरीय कार्यालय हैं उनकी तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है। डिविजनल कमिश्नर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिकली इनको नोडल ऑफिसेज कोआर्डिनेटिंग ऑफिसर का काम अदा करते थे। यह स्थिति है सहकारी क्षेत्रों की। 13 जनपदों के जिलाधिकारियों की आप आसानी से बैठक कर सकते हैं। कमिश्नर का इन्स्टीट्यूशन है, उसको किस तरीके से डिसमेंटल कर सकते हैं, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अवधारणा यही कायम है। ठीक उसका पैरलल समतुल्य लगा करके अपनी यह आर्गयूमेंट दे रहा हू, तर्क को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं।

आज मात्र 13 जनपदों का यह प्रदेश है यदि 13 जनपदों की मात्र सहकारिता बनेगी, केवल हम एपेक्स बैंक रखें और नीचे केवल उसकी शाखायें हों तो 13 जिलों के अंदर कितनी शाखायें होंगी, क्या हर जिले में जिला स्तरीय डी0 सी0 बी0 की आवश्यकता

है। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उसकी आवश्यकता को बनाये रखने से शायद मैंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि किस तरीके से गांव का जो छोटा काश्तकार है, दस्तकार है, किसान है जो अपनी छोटी पूंजी लगा करके इन सहकारी संस्थाओं से ऋण लेता है या उनमें पैसा जमा करता है, उसका किस तरीके से शोषण होता है। मैं आपके सामने दो चार उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमन्, नाबार्ड बैंक कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो नाबार्ड जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक एपेक्स बैंक है, एपेक्स फाइनेनशियल इन्स्टीट्यूशन है, वह जब ऋण को स्वीकार करता है वहां से जो पैसा चलता है तो साढ़े 6 प्रतिशत की ब्याज दर से उपलब्ध कराया जाता है। हमारे प्रदेश में पहुँचता है प्रदेश के स्तर पर उसके ऊपर और टैक्स लग जाता है उसके बाद वह पैसा जिला स्तर पर चला जाता है तो जिला सहकारी बैंक उसके ऊपर अपनी एडमिनिस्ट्रेन हैण्डलिंग चार्जेज जो कुछ भी उसको कह लीजिए वह उसके ऊपर और लगता है और इस तरीके से जो पैसा मात्र 6.5 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया जाता है किसान को दिये जाने के लिए कितना अन्याय हम उस किसान के साथ करते हैं कितना अन्याय हम उस ग्रामीण जनता के साथ करते हैं। जो पैसा साढ़े 6 प्रतिशत ब्याज दर पर स्वीकृत हुआ वह पैसा उसे 14 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, श्रीमन्, ऐसा नहीं है कि प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति हो रही हो, कोई भला हो रहा हो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें जिला स्तर में जो बीच में बैंक है उसको हम अतिरिक्त तनख्वाहें दे रहे हैं। जिला स्तर में जो प्रबन्धक का बोर्ड है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उनकी सुख सुविधा, उनके गाड़ी व अन्य का खर्च उसके ऊपर करते हैं।....

श्रीमन्, मेरे सामने ऐसे 2 उदाहरण इस उत्तरांचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, अभी एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का उदाहरण मेरे सामने है, वहां के डी0 सी0 बी0 को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्रेट है उसने एक लाख बीस हजार रुपया लिया, अपने इण्टरटेनमेण्ट के ऊपर खर्च किया। क्या इण्टरटेन्मेण्ट करते हैं वो जाने, घोड़ा–गाड़ी का जो दुरुपयोग होता है, उसको आप जानें। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल ख्याली पुलाव नहीं है इसके ऊपर कमेटी बनी। आपके यहां भी प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास उत्तरांचल प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उसने नाबार्ड से उत्तरांचल राज्य हेतु जो त्रिस्तरीय ढाँचे से द्विस्तरीय ढाँचे में बदलने की जो नाबार्ड की सिफारिश थी उसके ऊपर विचार किया, यही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक ने अपने 14–2–2001 और 14–3–2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिये स्पष्ट सिफारिश की है कि यहां द्विस्तरीय ढांचा ही उपयुक्त है। ये प्रशासनिक व्ययों में कटौती करके और इन बैंकों को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिये बहुत गर्व की बात होगी, जैसा मैंने कहा कि सहकारिता एक राष्ट्रीय आन्दोलन है, दिल्ली के अन्दर 7 मई, 1999 को सहकारिता के क्षेत्रों में, चूंकि बैंकों ने उत्कृष्ट कार्य किया, उनको भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुरस्कृत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो कहा, वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उत्तरांचल जैसे छोटे प्रदेश के लिये नहीं बल्कि बड़े प्रदेशों के सहकारी बैंकों के बारे में उन्होंने कहा, वह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके अन्दर उन्होंने कहा, हमें ग्रामीण सहकारिता में ऋण की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं एवं ऋण प्राप्त करने वालों के मध्य दूरी कम करनी चाहिए। मैं यहां बहुत दूरी की नहीं बल्कि

संस्थागत दूरी की बात कर रहा हूं। उदाहरणार्थ नाबार्ड एवं अन्तिम लाभार्थी के मध्य ऋण वितरण वाली संस्थायें क्यों होनी चाहिए यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं कहना चाहता हूं, श्रीमन्, मुझे बताया गया कि बहुत से कृषि ऋण जो नाबार्ड से 6.05 प्रतिशत की दर से वितरित किये जाते हैं, अन्त में कृषक को 12 से 13 प्रतिशत पर दिये जाते हैं, यह बड़ा अन्तर सम्भवतया राष्ट्रीय स्तरीय, जिला स्तरीय और स्थानीय स्तरीय के मध्यवर्ती सहकारी संस्थाओं की लागत जोखिम और मार्जिन को दूर करने के कारण हैं। मैं इस पूरे भाषण को बढ़ाने की अनिवार्यता नहीं महसूस करता हूं उसके जो महत्वपूर्ण अंश थे उसको मैंने पढ़कर के सुनाया, इस प्रक्रिया में नुकसान किसका होता है, क्या सहकारी संस्थायें कृषकों की सहायता के लिये हैं यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बैंक के अन्दर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मजे से रहें, क्या इसके लिये सहकारी संस्थायें चल रही हैं या काश्तकार, दस्तकार का काम ठीक से चले इसके लिये है। प्रधानमंत्री जी के इस निष्कर्ष को कोट करने के बाद मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति के लिये ऐसा कहने की कोई गुंजाइश नहीं बची, उसके बाद मैं 1–2 बिन्दु की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

मान्यवर, प्रत्येक बैंक के लिए 28 प्रतिशत से 33 प्रतिशत कैश रिजर्व एवं लिक्विड कवर के रूप में रक्षित करना अनिवार्य है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय ढांचे के जिला स्तर पर रक्षित एस0एल0आर0 राशि 400 करोड़ रुपये होती है। जिसका 28 प्रतिशत से 33 प्रतिशत एस0एल0आर0 शीर्ष बैंक स्तर पर लगभग न्यूनतम 112 करोड़ रुपये की धनराशि रक्षण की आवश्यकता होती है। जिसकी ब्याज हानि उत्तरांचल राज्य को उठानी होगी, इसका ब्याज तो मिलेगा नहीं। जबकि यदि द्विस्तरीय ढांचा रखा जाता है। ढांचे में लगभग 400 करोड़ रुपये के दोहरे एस0एल0आर0 रक्षण करने से बचत होगी। साथ ही बड़ी धनराशि के विनियोजन पर निक्षेप की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक ब्याज हमको मिलेगा। श्रीमन्, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं कुछ निहायत व्यवहारिक पहलू माननीय मंत्री जी, जो आपने अपने विभाग के बारे में महसूस किए होंगे। आपको संभवतः यह जानकारी होगी कि जो जिला सहकारी बैंक हैं, उनको ऑपरेटिव कैश के अलावा ज्यादा कैश रखने की इजाजत भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं है। उनको अपना खाता स्टेट बैंक में या दूसरे शेड्यूल बैंक में रखना पड़ता है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ने आपके जिला सहकारी बैंक को इस बात के लिए लिखा है कि हमारे यहां इस बात का ऑडिट ऑब्जेक्शन है, हम आप लोगों का खाता नहीं रखेंगे। नैनीताल बैंक ने तो थोड़ा बहुत इंतजाम करके अपना खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में रखवा लिया। दूसरे बैंकों के सामने यह भी स्थिति है कि वो अपने कैश को कहां रखें। श्रीमन्, मेरा कहना है, यदि केवल शाखाएं होंगी और ऊपर मात्र एक ऐपेक्स बैंक होगा तो निश्चित रूप से वो बैंक आर0बी0आई0 के साथ टाई–अप करके शेड्यूल बैंक की श्रेणियों में आ जाएगा और उसे ये जो दूसरे बैंकों को सुविधाएं मिली हैं, अपना कैश आदि रखने की, ये भी उसको अनुमति मिल जाएगी।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि सहकारिता, मैंने स्वयं कहा, मैंने अपनी बात की शुरुआत यहां से की कि उत्तर प्रदेश के अन्दर तो सहकारी संस्थाओं का भट्ठा बैठा दिया नेतागिरी के चक्कर में, लेकिन इस छोटे से राज्य के अन्दर, बहुत सीमित पूंजी के साथ यहां के लोगों ने सहकारी संस्थाओं में इन्वेस्ट किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, यहां पर हम सहकारी संस्थाओं के अन्दर संसाधनों की बर्बादी को रोकें। इसके लिए कम से कम कड़े कदम, इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि जिला सहकारी बैंक में आपके कितने

चेयरमैन हैं और किसकी पार्टी के कितने चेयरमैन हैं। किसकी पार्टी का चेयरमैन बनेगा, इसी एंगिल को लेकर सहकारी संस्थाओं का मट्ठा बैठ गया। श्रीमन्, मैं आपसे कहूंगा, साहस का परिचय दीजिए और इस सैक्टर में आमूल-चूल परिवर्तन में हम आपके साथ में कन्धे से कन्धा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे। इस बात के लिए वातावरण निर्माण का काम करेंगे और गांधी जी का जो सपना था कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहकारी आन्दोलन के जरिए हम हिन्दुस्तान के गांव और गरीब तबके की सेवा करने का काम करेंगे, उसकी तरक्की की बात करेंगे। श्रीमन्, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय इस प्रदेश के सामने वर्तमान में नहीं हो सकता। मैं इसी के साथ माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बहुत गंभीरता से इस बात को बिल्कुल दृष्टिगत न रखते हुए कि एक विपक्ष के सदस्य की तरफ से यह प्रस्ताव मूव किया गया है। इस पर गंभीरता से विचार करें और मेरी नहीं तो प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप इस पर जरूर कार्यवाही करें और उत्तरांचल के अन्दर ये ऐपेक्स बैंक और बाकी सब उसकी शाखाओं को समाप्त करके और इस तरह से जो सहकारी सिस्टम है, उसको हिन्दुस्तान के अन्दर हम एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करें, धन्यवाद।

*श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो प्रस्ताव कोऑपरेटिव के द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय के लिए रखा है .....

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो प्रस्ताव कोऑपरेटिव बैंकों के द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय ढांचे के सम्बन्ध में रखा है वास्तव में अगर देखा जाये तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। गांव, गरीबों और किसानों का देश है और ऐसे में अगर कोई उसके उच्च स्तर तक पहुंच सकता है तो सहकारिता आंदोलन ही पहुंच सकता है। इसके माध्यम से ही हम गांव, गरीब, किसान को एक अच्छा आर्थिक आधार भी दे सकते हैं। बहुत सी बातें श्री चौहान जी ने रखी हैं। ज्यादा विस्तृत में न जाकर जैसे नाबार्ड से साढ़े छः प्रतिशत आया और काश्तकार को साढ़े चौदह प्रतिशत पर ऋण दिया गया। अगर मैदानी क्षेत्रों का हिस्सा छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र में हम जायें तो छोटी काश्त के लोग वहां होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काश्तकार होगा तो उसे 5 हजार का फसली ऋण दिया जायेगा। उनकी स्थिति यह होती है कि स्टेट बैंक, नैनीताल बैंक या जो बैंक हैं उनसे वे अपने फसली ऋण के लिए कोई पैसा नहीं ले सकते हैं या कोई दूसरे माध्यम से भी अगर सहकारी बैंक से कोई ऋण लेना चाहता है, जब कोई बैंक उस व्यक्ति को लोन नहीं देता है तब वह मजबूरी में ढाई प्रतिशत अधिक ब्याज देकर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है। ऐसी स्थिति में जहां मजबूरी में ऋण लिया गया है वहां वह तो कर्जदार बनता ही है साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक की पूंजी भी डूब जाती है। सहकारी बैंकों का जो ढांचा है और देखा जाये तो उससे जितना अधिक फायदा हमारे इस उत्तरांचल प्रदेश को होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इस द्विस्तरीय ढाँचे का छोटा सा उदाहरण श्रीमन्, मैं देता हूँ अल्मोड़ा जिला बैंक, पिथौरागढ जिला बैंक को कोई सहायता नहीं देता। उसका उदाहरण यह है, श्रीमन्, यू०पी०सी०बी० ने एक कस्टोडियम बनाया। जिसमें 5 करोड़ रुपया देहरादून का भी गया। पिथौरागढ तथा अल्मोड़ा की बैंकों का मिलाकर के 24 करोड़ रुपया हमारा उस कस्टोडियम में यू०पी०सी०बी० में जमा हुआ। मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यह व्यवस्था अगर त्रिस्तरीय होती तो यू०पी०सी०बी० के बैंक के अधिकारियों को भी चिंता होती। कस्टोडियम जो उन्होंने बनाया था, अपना पैसा जिस व्यापार में उन्होंने

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाया था, वहां से अपना पैसा तो उन्होंने वसूल कर लिया। 96 में मैंने उ0प्र0 में इसमें प्रश्न भी लगाया था कि हमारा पैसा कहां है, उसके बारे में बताया जाये। आज भी यह पैसा उस कस्टोडियम के अन्तर्गत लखनऊ में पड़ा हुआ है, इसकी किसी को चिंता नहीं है, अगर एक पूरे उत्तरांचल का जिला बैंक होता या उ0प्र0 का एक सहकारी बैंक होता तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या देहरादून की शाखा ने जो पैसा दिया होता तो उसका फायदा हम को मिलता। 24 करोड़ हमारे बट्टे खाते में चले गये। आज पिथौरागढ़ के पास बैंक का प्रॉफिट है, अल्मोड़ा के पास बैंक का प्रॉफिट है। यहां भी हमारी जो 9 चीनी मिलें हैं, वे लोग चाहते है कि इस पैसे को हमारे पास लगा दें। उस पैसे का कम उपयोग नहीं हो सकता। उसके बारे में आपको माननीय चौहान जी ने स्पष्ट बताया है। यदि यह पैसा हम अपने जो कोऑपरेटिव बैंक हैं या जो सहकारी चीनी मिलें हैं, उसमें हम लगाते तो 300–400 करोड़ रुपये का हमको अतिरिक्त फायदा भी मिलता। यहां तक कि जैसा मैंने बताया, एक तरफ हमारी सरकार उत्तरांचल में यह चाह रही है कि हम स्वरोजगार का रास्ता अपना कर लोगों को बेमौसमी सब्जी है, फलों की खेती है ऐसे माध्यमों से हम उनको ऊंचा उठाएं। तो आज जो हमारी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम उनको ऋण नहीं दे सकते। 1–2 हजार अगर हम उनको ऋण देते हैं तो इससे बेमौसमी सब्जी हो नहीं सकती। चूंकि इसको अन्य बैंकों ने कामर्शियल मान लिया है, फ्लोरीकल्चर के लिए एक उनका प्रोजेक्ट बना हुआ है। जब ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक उनको 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक फाइनेन्स कर सकता है, मगर कोऑपरेटिव बैंक नहीं कर सकता। अगर किसी काश्तकार को या मुझे ही पिथौरागढ़ से ड्राफ्ट बनाकर यहां लाना हो तो कोऑपरेटिव बैंक ड्राफ्ट नहीं देगा। कोऑपरेटिव बैंक को अगर अपना ड्राफ्ट यहां भेजना है तो स्टेट बैंक के माध्यम से भेजेगा और उसमें कमीशन का नुकसान कोऑपरेटिव बैंक का होता है। वैसे भी जहां तक पूरे अगर देश का हम एक समावलोकन करें कि विभिन्न राज्यों में बैंकों की स्थिति क्या है।

जहां राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सारे बड़े प्रदेश हैं और जहां द्विस्तरीय व्यवस्था है अंडमान एवं निकोबार, अरूणांचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा जहां मिश्रित व्यवस्था है असम, हिमांचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यह देखा जाये जो बड़े–बड़े राज्य हैं वहां तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उत्तरांचल जैसे छोटे राज्य जो बाद में बने हैं। माननीय अटल जी के भाषण का उल्लेख माननीय चौहान जी ने किया है और दिल्ली में जहां द्विस्तरीय व्यवस्था है। माननीय अटल जी ने अपने भाषण दिया, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। श्रीमन्, त्रिस्तरीय व्यवस्था में कुछ सुधार आना ही चाहिए।

मान्यवर, दिल्ली में ही जहां त्रिस्तरीय व्यवस्था है वहां मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण दिया था और उसमें भी अगर सुधार की आवश्यकता है, श्रीमान, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सुधार आना ही चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं पुनः इस ढाँचे में एक बार सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुनः विचार करके हमारे छोटे कास्ट के लोग हैं इनको हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, कृषि के आधार पर ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता हूं इसलिये इस ढांचे पर विचार करें।

*श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा सहकारी बैंक त्रिस्तरीय ढांचे को बदल कर द्विस्तरीय किये जाने के सम्बन्ध में लाये संकल्प के पक्ष में बोलते हुए मान्यवर मेरा अनुरोध है कि सहकारिता के मामले में जैसा हमारा सहकारी बैंक है, उसकी व्यवस्था में बदलाव लाना बहुत आवश्यक हो गया है, और आज प्रतिस्पर्द्धा का जो युग है उसमें कहीं पर भी वर्तमान में जो व्यवस्था है वह टिक नहीं सकती। अगर हम सहकारी बैंक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य बैंको के समान प्रतिस्पर्द्धा में उतार सकते हैं, तो उसके लिये हमें उसको दो स्तरीय करना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, सहकारिता के मामले में, पहाड़ों के बारे में तो सभी के संज्ञान में बात है, उत्तरांचल में सहकारिता आन्दोलन बदनाम हुआ है, उसके पीछे सहकारी बैंकों की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके लिए सीधा–सीधा जिम्मेदार है, उसके कारण आज उत्तरांचल में किसी भी क्षेत्र में सहकारिता का विकास नहीं हो पाया और जिस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था से किसान त्रस्त है, मान्यवर, उनकी जो आर्थिक स्थिति जरजर हुई है आज वह कर्जदार बना हुआ है, और कर्जदार बनकर कंगाल बना हुआ है। उसकी मान्यवर, कहीं मिसाल नहीं मिल सकती है।

सहकारी समितियों के माध्यम से जो ऋण का भुगतान किया गया दिखाया गया है, कहीं–कहीं तो हाथ के अंगूठे और जब जाँच हुई, तो लोगों ने शिकायत की, यहां सम्पर्क किया, वसूली आ गई–उसकी जाँच चली, तो पैर के अंगूठे भी उसमें लगे हुए पाये और उसमें क्या व्यवस्था है, मान्यवर, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान नहीं करना पड़ता है इसलिए जो मूलधन और ब्याज बराबर हो जाय उसके बाद उसको वसूली के लिए नोटिस भेजी जाती है। काश्तकार के पास जब इतना पैसा नहीं होता। उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। पहाड़ों में जो वह फसली ऋण के रूप में जो ऋण लेते हैं, किसी समिति के माध्यम से होता है वह दूसरे मदों में उसे खर्च कर देता है और उसका परिणाम क्या होता है, जब वसूली का नोटिस गया उसके बाद समितियों के माध्यम से उसकी ट्रांस्फर इन्ट्री होती है। जो सचिव है वह अपनी जेब भरता है। 2–4–5 सौ जितने उसने लिया और उसके बाद कहता है जाओ तुम्हारी ट्रांस्फर इन्ट्री करा देता हूँ। अगर किसी ने मान्यवर दो हजार लिया तो उसका बढ़ करके ब्याज लगा करके चार हजार हो गया वह चार हजार मूलधन में बदल गया और फिर इस प्रकार से वह प्रक्रिया चलती रही। मान्यवर, फिर वह ट्रांस्फर इन्ट्री हो गयी और होते होते वह 20–25 हजार हो गया। आज बहुत से लोग हमको मिलते हैं, वह कहते हैं कि हमने जो यह दो हजार रुपये लिया था आज 40–50 हजार की वसूली हम पर आ गई। इस प्रकार की खराब व्यवस्था आज उसके कारण लोग कंगाल हो गये और लोगों ने अपने खेत बेच दिये, जेवर बेच दिये, जानवर बेच दिये और इस स्थिति में आ गये, अब वह भुखमरी के कगार पर हैं, तो ऐसी व्यवस्था और उसका जो सहकारी आन्दोलन है उनमें हुआ है।

मान्यवर, और किसी भी क्षेत्र में जब सहकारिता की बात की जाती है तो उसमें जो है परिणाम अपेक्षित नहीं मिलते, जनता का सहयोग नहीं मिलता और स्थिति यह है कि मान्यवर, यह जो सहकारी समितियों की बात हमने की है बहुत सारे कारण हैं, जिले में भी 95% सहकारी समितियाँ हैं। मान्यवर, और उसमें लगभग 75% समितियाँ डिफाल्टर हैं और डिफाल्टर समितियाँ होने के बाद उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि लोगों की पूँजी डूब गई उनके डिफाल्टर समितियों के सदस्य तथा सचिव थे वे आज तक भी कार्यरत हैं। मान्यवर, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। मान्यवर, मेरा अनुरोध है अगर सहकारिता को बचाना है तो सहकारिता पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनभावना यदि जागृत करनी है एक नयी व्यवस्था लानी पड़ेगी और उसके लिये ये त्रिस्तरीय व्यवस्था तो समाप्त की ही जानी चाहिए। मेरा प्रबल अनुरोध है और उत्तरांचल में द्विस्तरीय ढाँचे की व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए।

उत्तरांचल में द्विस्तरीय ढाँचे की व्यवस्था यहां पर की जानी चाहिए ताकि इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमारा सहकारी बैंक भी जीवित रहे और सहकारी बैंकों के माध्यम से जिन लोगों ने अपनी पूँजी वहां जमा की है, वह पूँजी भी सुरक्षित रहे, यही अनुरोध करता हूँ मैं, इस प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुन्ना सिंह चौहान जी का विचार इसमें आया। मैं इस पर अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, मुन्ना जी ने कह दिया, लाखी राम जोशी जी ने कह दिया कि किस तरह से बेमानी हो रही है, मैं तो कहूँगा कि ठीक उस तरह जैसे एक कोई धनाढ्य अपने लिये नौकर रख लें और उससे कहे कि रोज शाम को दूध गरम करके लाये और जब दूध में मलाई कम हो तो दूसरा नौकर उसे देखने के लिये रखे और उस तरह 2–4 और रख दिया तो पानी मिलता है, सेठ जी की मलाई नौकर खा जाते हैं तो फिर मजबूरी में सेठ जी को अपने आप दूध गरम करना पड़ता है, तो यही स्थिति इन बैंकों की आज है, तो मैं समझता हूँ कि जब से इनका सहकारीकरण हुआ है और इसमें जो बड़ा ढाँचा बनाया गया है जिला के बैंक बने, प्रबन्ध तंत्र में सचिव आदि जो अधिकारीगण हैं, मैं उन व्यवस्थाओं की तरफ जो आपने पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कि यदि हम किसी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या किसी और बैंक से ट्रैक्टर के लिये लोन लेते हैं तो वहां केवल एक प्रारूप है उसे भरकर देना पड़ता है। वहां अगर कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं तो हमें उस ट्रैक्टर की कीमत के बराबर जमीन की रजिस्ट्री उस बैंक के नाम करनी पड़ती है और उस रजिस्ट्री का खर्चा भी किसान को भरना पड़ता है, किन्तु नुकसान किसान को उठाना पड़ता है, चूँकि किसानों की वजह से बैंक चल रहे हैं। मान्यवर, आज जो बीच की दलाली का काम है वह कम होना चाहिए। आज यदि मैं ड्राफ्ट अल्मोड़ा के बैंक से देहरादून के लिये बनाता, तो वहां पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अल्मोड़ा खोलना पड़ेगा, वह ड्राफ्ट तब बनेगा। कई व्यवसायों में उद्योग धन्धों में यदि हमारा कोऑपरेटिव बैंक उत्तरांचल हो तो उसकी हर जगह ब्रांच होगी, तो ड्राफ्ट के माध्यम से काफी पैसा जो दूसरे बैंकों को जाता है वह कोऑपरेटिव बैंक उत्तरांचल को मिलेगा। मान्यवर, मैं अधिक न बोलते हुये यही अनुरोध करता हूं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस व्यवस्था को समाप्त कर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री ज्ञान चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने बैंको के त्रिस्तरीय ढांचे को बदल कर द्विस्तरीय ढांचा करने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं चन्द सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने अपनी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से शुरु की थी और इसका जो उद्देश्य था, यह जन सहभागिता कोऑपरेटिव, जन सहभागिता से ही इसको चलाया जाना है। इसीलिए त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें की गयी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था को तो बदलना चाहते हैं लेकिन आपके जो कोऑपरेटिव सचिव हैं, जिसको कि आज तक सरकारी मुलाजिम नहीं माना गया। वो आज चुनाव लड़ रहा है। आपके कोऑपरेटिव सचिव, कोऑपरेटिव सचिव के साथ-साथ ग्राम प्रधान भी बने हुए हैं। तो ये एक चिन्ता का विषय है। अभी माननीय जोशी जी तथा अन्य लोगों ने जो चिन्ता व्यक्त की, ये सच है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इसमें जो अविश्वसनीयता आयी है। आज तो डायरैक्ट लोनिंग एक छत के माध्यम से दिया जा रहा है। कोऑपरटिव बैंक के माध्यम से। लोनर्स को नगद पैसा दिया जाता था लेकिन आज वो व्यवस्था समाप्त की गयी है। मेरा तो यह निवेदन है कि इस व्यवस्था को बनाए रखते हुए, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि की सहभागिता है। जहां तक माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहा कि एक ऐपेक्स बैंक होगा। स्टेट बैंक में इसका खाता खुलेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ये तो हमारी जिले की एक संस्था है। मैं समझता हूं कि हमारे जिले में कई ऐसे बैंक खुल गए, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है और सीधे-सीधे उनको आसानी से लोनिंग हो जाता है। क्योंकि अन्य बैंकों में आपने कहा था कि चाहे ऐपेक्स बैंक हो, स्टेट बैंक हो या अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंक हो, उसमें आप इतनी आसानी से काश्तकार का लोनिंग नहीं हो पाता। तो ये बैंक जिससे कि आसानी से सीधे-सीधे लोगों को लोन दिया जाता है। गारन्टर आपको आसानी से मिल जाता है। मैं तो समझता हूं कि इस बैंक स्थिति और मजबूत की जानी चाहिए। ये तो एक संस्था है और ये अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो करेगी ही। मैं तो इस संकल्प का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू किया जाए।

श्री राम सिंह सैनी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया, मैं सहकारिता के विषय में कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारे सम्मानित साथियों, बहुत विद्वान साथियों ने यह कहा कि कोऑपरेटिव बैंक में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो अपनी सुख-सुविधाओं के लिए लाखों-लाखों रुपये खर्च करते हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रजातंत्र है, हमने प्रजातंत्र को अंगीकृत किया है। प्रजातंत्र की जो मूलभूत भावनाएं है, वह यह नहीं है कि प्रजातंत्र केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहता। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनको कितनी सुख-सुविधाएं है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन का एक अपना स्थान होता है, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का प्रभाव होता है। इसलिए वह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का चेयरमैन चुना जाता है। इस पद पर रहने का मुझे भी मौका मिला। मैं कहना चाहता हूं कि जो सहकारिता की भावना है वहां पर जो हमारी क्षेत्रीय सहकारी समिति होती है, वह ऋण देती है। इतनी प्रगति और उन्नति हुई है और आप कहते हैं कि उसे समाप्त करें। मैं बताना चाहता हू कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हरिद्वार मुनाफे में चल रहा है और जहां तक मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, देहरादून और ऊधमसिंह नगर भी लाभ में चल रहे हैं। हम उसकी कार्यप्रणाली को सुधारें, उसमें जो खामियां है उसको हम सुधारें, लेकिन हम एक संस्था को समाप्त कर दें यह मेरी समझ से बाहर की बात है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में अगर आप अपना डिपाजिट जमा करते है तो, दूसरी जो हमारी कामर्शियल बैंक है उनके अनुपात में आधा प्रतिशत ब्याज ज्यादा देते हैं जिससे हम जमाकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की शाखाओं में जो हमारी

किसान सहकारी समितियां होती है, उनका प्रभावी कंट्रोल रहता है। आपने कहा एक एपेक्स बैंक बना दें पूरे के पूरे स्टेट में उनका कंट्रोल उन सहकारी समितियों पर नहीं रह सकता और फिर आपका जो आंदोलन है सहकारिता का। माननीय मुन्ना सिंह जी ने विचार व्यक्त किया क्योंकि यह महात्मा गांधी का चित्र आपके पीछे लगा है और उनका हम सम्मान करते हैं, उनके आदर्शों पर हम चलते हैं। चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों चाहे उधर के बैठने वाले लोग हों, महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का हम अनुकरण करते हैं तो मान्यवर, सहकारिता में कैसे थ्री टियर को समाप्त कर दिया जाये। मैं समझता हूं फिर प्रभावी कंट्रोल नहीं रहेगा। यहां तक कि हमारे शाह साहब ने कि जो लोन देते हैं तो जमीन को गिरवी रखते हैं। जो लैण्ड डेवलपमेंट बैंक हैं जब वे लोन देते हैं तो ऐसा करते है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अलग है, आपका लैण्ड डेवलपमेंट बैंक अलग हैं। इसलिए थ्री टियर सिस्टम मेरी समझ से ज्यादा प्रभावी है, हमारे कृषकों के ज्यादा हित में है और मैं तो समझता हूं कि आदरणीय अटल जी ने पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही होगी इसका या तो हम पूरा डिटेल मंगाये कि क्या उन्होंने कहा होगा। मान्यवर, यहां की परिस्थितियां अलग हैं दिल्ली प्रदेश के सन्दर्भ में उन्होंने कहा होगा तो दिल्ली प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। माननीय अटल जी तो बहुत सी बातें कहते हैं हम उनकी सारी बातें स्वीकार थोड़े ही करते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का थ्री टियर सिस्टम क्या सुझाव है, किसानों के हित में है और सहकारिता जो हमारे प्रजातंत्र की रीढ़ है। आज के युग में यह व्यवस्था मील का पत्थर साबित हो सकती है तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि यह थ्री टियर सिस्टम ही रहना चाहिए।

कृषि, कृषि विपणन, पशुपालन, सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने जो नियम 103 के द्वारा जो प्रस्ताव किया है।

(व्यवधान)

.....मान्यवर, मा0 मुन्ना सिंह चौहान द्वारा जो 103 का प्रस्ताव किया गया है कि बैंकों में त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय में कौन सी व्यवस्था रखी जाय इन्होंने कहा कि दो स्तरीय व्यवस्था रखी जाय इस पर मैं अपनी बात कहूं इससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ लोगों की भ्रान्तियां तोड़ना चाहता हूं अभी बात आई कि हम बैंकों से सहकारिता को अलग करें या बैंक से जनता की भागीदारी को अलग करें, ऐसा नहीं है। एपेक्स बैंक और उसकी शाखा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक या नीचे साधन सहकारी बैंक से जनता की भागीदारी न हो, किसी भी स्तर पर चाहे वह त्रिस्तरीय हो चाहे द्विस्तरीय हो जनता की भागीदारी न हो ऐसा ध्यान में नहीं आना चाहिए। समिति जो आज काम कर रही है, वह तब भी काम करेगी चाहे वह त्रिस्तरीय हो या द्विस्तरीय हो, उसको छुआ नहीं जायेगा। किसान का सीधा सम्बन्ध डी0सी0बी0 से है ही नहीं, उसका सम्बन्ध साधन सहकारी समिति से है वहाँ वह बोर्ड रहेगा और ब्रांच आफिसों को बैंक करने के लिए द्विस्तरीय ढांचा करते हैं तो फिर उसमें एपेक्स बैंक है उस पर हर जिले से एक–एक दो–दो निदेशक, चुनकर आयेंगे और उनका एक सशक्त बोर्ड रहेगा। जनता की भागीदारी को कहां अनदेखा किया जा रहा है, ऐसा तो द्विस्तरीय में भी नहीं और त्रिस्तरीय में भी नहीं है। दूसरी एक बात कही गई थी,

बैंकों के घाटे की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, देहरादून इसमें सबसे घाटे में चल रहा है और पौड़ी जिला वह भी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक नैनीताल का वह सबसे अच्छा चल रहा है जिसको इनाम भी मिला है, अन्य बैंक भी कई घाटे में हैं, ऐसा मैं नहीं कहता।

आज बहुत ही सामयिक सटीक विषय को मा0 मुन्ना सिंह चौहान ने छूने का प्रयास किया है। मैं इधर हूँ नियम और सिद्धान्तों से बंधा हूँ, लेकिन इस बात के लिए नहीं बंधा हूँ कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसको मैं शाबासी न दूं। तो अच्छा विषय उन्होंने आज रखा है ये इन्होंने ही नहीं रखा है, बल्कि आज जनता में चर्चा का विषय है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं वह तो चर्चा कर ही रहे हैं वे तो बहुत से ऐसे लोग हैं अधिकांश डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आकर मुझसे अपनी-अपनी बात कही हैं, एकाध डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं जिन्होंने कहा कि ये होना चाहिए इन जनप्रतिनिधियों के अलावा भी जनता में भी एक बात है, आज ये जो काश्तकार के लिए बनाये गये डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक थे या समितियाँ थीं क्या ये काश्तार के हित में काम कर रही हैं, यह चर्चा का विषय है। आपने बात कही उस पर विभिन्न सदस्यों द्वारा, श्री पुनेठा जी द्वारा, जोशी जी द्वारा, ज्ञान चन्द जी द्वारा, सैनी जी द्वारा, शाह जी द्वारा, बहुत अच्छे प्रस्ताव इसमें आये। वैसे में डी0सी0बी0 की स्थिति आज सोचनीय है, विचारणीय है और कोई अच्छा निर्णय नहीं किया, तो आने वाले 10 सालों में भी कोआपरेटिव बैंक की स्थिति वह जो साधन सहकारी समिति, क्रय विक्रय समिति, उपभोक्ता भंडार, कभी मैं इनमें हुआ करता था, तो कभी 4 मित्र आते थे तो उनको चाय पानी पिलाता था, आज ऐसी स्थिति है जो वहाँ का चेयरमैन बनेगा तो वह पल्ले का निकालकर उनको चाय पिलायेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो जर्जर है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें कोई निर्णय करना चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हू कि जो भी यह विषय है इसमें सभी मंत्रिगण विधान सभा सदस्य, चेयरमैन, डायरेक्टर और कोई भी जनप्रतिनिधि हो सबसे विचार-विमर्श चल रहा है तो सब लोगों ने मुझसे बात की है मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बहुत से लोगों ने ऐसी उत्साहजनक बातें कहीं हैं। नाबार्ड से भी मैंने विचार विमर्श किया क्योंकि आजकल यह एकदम गरम चर्चा का विषय है।

जैसा हमारे चौहान साहब ने कहा और सुझाव दिये कि द्विस्तरीय व्यवस्था ठीक रहेगी और मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार काम कर रही है, लोक हित में जनहित में हम निर्णय करेंगे और निश्चित रूप से आपके इस प्रस्ताव पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे जो भी सुझाव सबके आयेंगे उस पर हम बात करेंगे। अभी आदरणीय सैनी जी ने कहा गांधी जी बैठे हुए हैं, गांधी जी तो वहां भी बैठे हैं जहां त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में गांधी जी नहीं बैठे हैं, वह तो पूरे देश में बैठे हैं। वह तो जहां व्यवस्था ठीक होगी वहाँ लागू किया जायेगा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस व्यवस्था पर हम अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों से आप सब से जो डी0सी0बी0 के चेयरमैन हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनसे खुलकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जो जनहित के निर्णय होंगे वह करेंगे और बहुत अच्छा प्रस्ताव था और व्यक्तिगत रूप से था, पूछो तो मैं तो आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। तुष्टीकरण से ऊपर उठकर, हल्की राजनीति से ऊपर उठकर मैं आपकी सराहना करता हूँ लेकिन, जिन सब की सहकारिता में भागीदारी होती है और सब को साथ लेकर इसमें चलना होता है, विचार-विमर्श करेंगे

जो अच्छा निर्णय होगा, जो जनता के हित में होगा, वह निर्णय करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस सदन में चर्चा करके कम से कम मेरी भावनाओं को उजागर किया है तो अच्छा होगा, इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मानीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आमतौर से संसदीय जनतंत्र में हमारी मजबूरी है कि जो चीजें एक्सपर्ट कमेटी, सरकारी कमेटी, जांच समितियों द्वारा सब्स्टेंटिव नहीं भी होता है, उन चर्चाओं को भी हम इस सदन के अन्दर जनभावनाओं के अनुरूप रखते हैं और उन चर्चाओं को सदन के अन्दर रखते हैं तो यह मानकर के चलते हैं कि इन चर्चाओं का लाभ सिर्फ यह होगा कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगी, यह हम भी सोचकर के आते हैं, ऐसा नहीं है कि चर्चा के आधार पर फैसला हो जायेगा, उससे हम सरकार को सोचने के लिए मजबूर करते हैं और उसमें यह मान करके चलते हैं कि निश्चित रूप से सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं और उसको एक समय चाहिए और उसके बाद उस पर विचार करेंगे, कोई भी निर्णय हो सकता है, लेकिन यह मसला उसे बिल्कुल भिन्न मैंने कहा उसमें मेरी निजी राय तो कम है, उसके अन्दर जितनी भी राय मैंने दी, वह एक्सपर्ट कमेटी की राय पर।

व्यक्ति के, देश के, सर्वोच्च कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो इन्स्टीट्यूशन हैं वह नाबार्ड है। नाबार्ड की एक्सपर्ट कमेटी यह ओपिनियन दे चुकी है, छोटे प्रदेश में त्रिस्तरीय ढांचे का क्या काम है। सैनी जी ने जो बेशक बात त्रिस्तरीय ढांचे की की है, लेकिन उन्होंने समर्थन द्विस्तरीय ढांचे का ही किया है, क्यों, इसलिए क्या उनको संशय यह होगा कि चुने हुये जनप्रतिनिधियों से इस प्रोसेस से हटना चाहते हैं यह मेरा विचार है ऐसा कदाचित विचार नहीं है, एपेक्स की बात हम कर रहे हैं, हर जिले में डायरेक्टर आये, उनके चेयरमैन बने, जनसहभागिता भी हो, कोई जिला स्तरीय बैंक में नहीं हो सकता है क्या? मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्हीं लफड़ों की वजह से कोआपरेटिव बैंक में डी०सी०जी० 50 तरीके की टेक्नोलिटीज हैं, इस तरह से स्टेट बैंक ने और जो दूसरे कॉमर्शियल बैंक हैं उन्होंने आपका खाता रखने से मना कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूँ, आप केवल सहकारिता मंत्री होते तो वह बात मैं आपसे नहीं कहता, आप गन्ना विकास और चीनी उद्योग के मंत्री भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण पहलू इसका है, अभी रिजर्व बैंक ने जो एक्स्पोजर पॉलिसी जारी की है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ने कुछ पॉलिसी निर्धारित किये हैं उसके मुताबिक कोई भी बैंक अपनी निजी पूंजी और 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र का, चीनी मिलों का और 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के चीनी मिलों का वित्त पोषण कर सकता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूरे उत्तरांचल के अन्दर कितने डी०सी०पी० आपके पास हैं जो इस पॉलिसी में खड़े हो सकते हैं। मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने डी०सी०पी० ऐसे हैं जो चीनी मिलों का वित्त पोषण कर सकते हैं। आपका ऐपेक्स बैंक होगा जो इस पॉलिसी में आयेंगे। .....

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कोई साफ तौर पर तो कहा नहीं, ये तो माना कि खामियां हैं।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने साफ तौर पर कहा या नहीं कहा, इसका प्रश्न नहीं उठता। मैंने कहा कि आपने एक सामरिक और सटीक बात कही, उस पर मैं विचार करूँगा और गंभीरता से करूंगा। आपने कहा कि स्टेट बैंक आपको पैसा नही दे रहा और आपने तो कहा कि स्टेट बैंक ने पत्र लिखा है कि डी0सी0बी0 का हम कैश नहीं रखेंगे। मैं उससे आगे कह रहा हूँ, कि स्टेट बैंक ने पैसा रखना बंद कर दिया, ये स्थिति पैदा हो गयी लेकिन उसके बाद भी चूँकि सरकार का निर्णय एक सामूहिक निर्णय होता है। हमने कहा है, कि हम इस पर विचार करेंगे, सबके विचार आ जाएं। आपकी किसी बात से हम सहमत नहीं हैं, जैसा आपने कहा चीनी उद्योग का और बैंक का क्या रिश्ता है? आपने बहुत ही ठीक कहा, बिल्कुल एक सहोदर भाई का रिश्ता है, बहुत नजदीक का रिश्ता है, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि इस पर गंभीरता से सबसे बातचीत कर लें, जो स्वस्थ निर्णय होगा, वो करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी तो हर समय गंभीर रहते हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कम से कम इस विषय पर तो हैं ही। और बहुत से माननीय मंत्रिगण, विधायक गण इस पर अपनी सहमति मुझे दे चुके हैं और उस पर हम बात करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी एक समयबद्ध तरीके से इस प्रश्न पर सहकारिता के हित में, सहकारी बैंक डूबने से बच सकें, इस हित में और सहकारिता को जो ग्रामीणों को सुलभ ऋण कम ब्याज पर और चीनी निगमों का वित्त पोषण, ये बड़ा सवाल है। श्रीमन्, मुझे तो हैरानी हो रही है, रोज तो गन्ने को लेकर काजी साहब और राम सिंह जी बड़ी चिन्ता व्यक्त करते हैं, अभी मैंने चीनी मिलों के वित्त पोषण की बात की तो उसमें नेतागिरी काहे की। वहां नहीं जीतेंगे तो यहां जीतेंगे, ये प्रश्न बीच में ले आए। मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा विषय नहीं है, जिसको इस आधार पर नकारा जा सके। 13 लोग चुन नहीं पाएंगे, डी0सी0बी0, तो कोई अकाल नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन सहकारी बैंक के माध्यम से हम ग्रामीणों का शोषण करें, ये बात बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए श्रीमन्, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात के लिए कैटेगेरिकल एश्योरेंश दें। सरकार इस पर महीने भर के अन्दर निर्णय करेगी तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने कह दिया कि सरकार निर्णय करेगी, और क्या निर्णय करेगी, यह समय बताएगा। कोई भी निर्णय आपसे पूछ कर ही करेगी, आप सबको साथ लेकर करेगी। मैं सबकी सहभागिता, सहकारिता शब्द ही सहभागिता है, मैं सबको साथ लेकर इस पर चर्चा

करूंगा और मैं चूंकि व्यक्तिगत बंशीधर भगत आपको बता चुका हूँ कि मैं स्वयं इस बात के लिए चिन्तित हूँ कि जो साढ़े 6 प्रतिशत का ब्याज नाबार्ड से चल रहा है, वो 14 प्रतिशत में काश्तकार को मिल रहा है। बैंक आज हमको 12 प्रतिशत में लोन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो है। इसका सुधार तो करना है। अब किस प्रकार का सुधार करना है कि काश्तकार को हम अन्य बैंकों के समान ब्याज पर ऋण दे सकें और अपने बैंकों की स्थिति ठीक कर सकें। उस पर सबकी राय आ जाएगी, सबसे बात करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ठीक है, ऐपेक्स बैंक का भी लाइसेंस मिल सकता है, आपको तो बैंकिंग का भी मिल जाएगा। यदि ऐपेक्स हो जाएगा। इसलिए श्रीमन्, चूंकि माननीय मंत्री जी ने विषय पर काफी गंभीरता शासन की तरफ से प्रदर्शित की, तो निश्चित रूप से कोई शंका का कारण नहीं बनता, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। ----

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारी बैंकों के त्रिस्तरीय ढांचे को बदलकर द्विस्तरीय ढांचे को लागू किया जाये ताकि अनावश्यक खर्चों में कटौती हो सके तथा इन बैंकों को अधिक लाभकारी बनाया जा सके"। को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–20 पुकारे जाने पर माननीय सदस्या डा0 इन्दिरा हृदयेश सदन में उपस्थित नहीं थी)

उत्तरांचल राज्य में ठाकुरद्वारा से हजारों गांवों राजस्व ग्राम न होने के सम्बन्ध में श्री ईसम सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा 4 मई, 2001 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत वित्त मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं राजस्व मंत्री (श्री (डा0) रमेश पोखरियाल निशंक)–

[उक्त सूचना उत्तरांचल राज्य में ठाकुरद्वारा से हजारों गांव, राजस्व ग्राम में न होने के कारण वहाँ की जनता मूलभूत समस्याओं से जूझती रहती है तथा उनके कब्जों का विनियमितीकरण नहीं हो रहा है, से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में, सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि ठाकुरद्वारा उत्तरांचल के किस जिले में स्थित है अथवा ठाकुरद्वारा से उत्तरांचल के किन जिलों के किन ग्रामों में लोगों को मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, फिर भी मा0 विधायक जी के गृह जनपद हरिद्वार से सूचना प्राप्त की है, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार ने सूचित किया है कि ठाकुरद्वारा नामक ग्राम जनपद हरिद्वार में कोई नहीं है।]

नोट– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

पहली सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की रुड़की विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग व महिला आरक्षण का लाभ उ0 प्र0 के अभ्यर्थियों को देने तथा उत्तरांचल के अभ्यर्थियों को वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूँ।

दूसरी सूचना श्री राम सिंह सैनी जी की जनपद नैनीताल के ग्राम पंचायत घण्डरेही ब्लाक के बेतालघाट की 3/4 भाग भूमि में सिंचाई व्यवस्था का उपलब्ध न होना है इसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूँ।

तीसरी सूचना श्री ईसम सिंह जी की जनपद हरिद्वार के अनेक ग्रामों में चेचक महामारी का प्रकोप तथा स्वास्थ्य विभाग में टीके की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में है। इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

(अब हम उठते हैं मंगलवार 11 बजे तक के लिए)

(इसके बाद सदन 6 बजकर 25 मिनट पर मंगलवार 15 मई, 2001/अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

दिनांक 11–5–2001

एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधान सभा/336–18–10–2002–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।